लोक-सभा

वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड २६, १९५९/१८८० (शक)

[२३ फरवरी से ५ मार्च १९५९/४ से १४ फाल्गुन १८८० (शक)]

2nd Lok Sabha

Preservation Unit
Fumigated On
Parliament Library

सातवां सत्र, १९५९/१८८० (शक)

(खण्ड २६ में अंक ११ से २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

[द्वितीय माला, खण्ड २६, अंक ११ से २०—२३ फरवरी से ५ मार्च, १९५९/४ से १४ फाल्गुन १८८० (शक)

अंक ११—सोमवार, २३ फरवरी, १९५९/४ फाल्गुन, १८८० (शक)

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५१९, ५२०, ५४७, ५२१ से ५२६, ५२८, ५२९, ५३१, ५३२, ५३४, ५३५ और ५३७ . .	११९७—१२२१
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३	१२२२—२४
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५२७, ५३०, ५३३, ५३६, ५३८ से ५४१, ५४३ से ५४६, ५४८ से ५६८	१२२४—३७
अतारांकित प्रश्न संख्या ६६६ से ६९१ और ६९३ से ७३४ . .	१२३७—७२
श्री बेदलपतला गंगाराजू का निधन—	१२७२
स्थगन प्रस्ताव—	
पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा गोली चलाया जाना . .	१२७२—७४
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	१२७४—७५
राष्ट्रपति से सन्देश . .	१२७५
राज्य-सभा से सन्देश	१२७५
चल-चित्र (संशोधन) विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा संशोधनों सहित लौटाये गये रूप में सभा-पटल पर रखा गया	१२७५
प्राक्कलन समिति—	
चौतीसवां प्रतिवेदन	१२७६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
इंडियन स्टैन्डर्ड वैगन कम्पनी के कर्मचारियों का अस्थायी रूप से काम से अलग किया जाना	१२७६
तारांकित प्रश्न संख्या ४ के उत्तरों की शुद्धि	१२७६
विधेयक पुरःस्थापित किये गये . . .	१२७७
१. भारत का राज्य बैंक (संशोधन) विधेयक . . .	१२७७
२. बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक	१२७७
कामगार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक	१२७७—८४
खण्ड २ से २० तथा १	१२७७—८१
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . .	१२८१—८४

पृष्ठ

वर्ष १९५८-५९ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) . . . १२८४—१३११

भारतीय आय-कर (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . . . १३१२—१८

दैनिक संक्षेपिका . . . . १३१९—२५

अंक १२—मंगलवार, २४ फरवरी, १९५९/५ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५६६ से ५७५, ५७७, ५८१, ५८३, ५८५, ५८६, ५८८, ५८९ और ५९३ . . . . १३२७—५१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५७६, ५७८ से ५८०, ५८२, ५८४, ५८७, ५९० से ५९२ और ५९४ से ६२१ . . . . . १३५२—६७

अतारांकित प्रश्न संख्या ७३५ से ७९७ और ७९९ से ८४१ . . १३६७—१४१९

स्थगन प्रस्ताव के बारे में १४१९

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १४१९

विनियोग विधेयक—पुर:स्थापित . . . १४२०

विशेषाधिकार समिति—

आठवां प्रतिवेदन . . . . . १४२०—२६

भारतीय आय कर (संशोधन) विधेयक . . १४२७—४०

विचार करने का प्रस्ताव . . . . १४२७—३९

खण्ड २ से ५ और १ . . . . . . १४३९—४०

पारित करने का प्रस्ताव १४४०

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक— . . . . . १४४०—५९

राज्य-सभा द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार करने का प्रस्ताव . १४४०—५७

राज्य-सभा द्वारा किये गये संशोधनों से सहमति . . . १४५७—५९

दैनिक संक्षेपिका . . . . . . १४६०—६६

पृष्ठ

अंक १३—बुधवार, २५ फरवरी, १९५९/६ फाल्गुन, १८८० (शाक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६२२ से ६३० और ६३२ से ६३४ . . . १४६७—९०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . . १४९१—९३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३१ और ६३५ से ६६२ . . . १४९३—१५०६

अतारांकित प्रश्न संख्या ८४२ से ९३४ . . . १५०६—४४

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . १५४४-४५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

पैंतीसवां प्रतिवेदन . . . १५४५

तारांकित प्रश्न संख्या ९४७ के अनुपूरकों के उत्तर की शुद्धि . . . १५४६

विनियोग विधेयक—

पारित . . . १५४६-४७

रेलवे आय-व्ययक—सामान्य चर्चा . . . १५४७—८३

दैनिक संक्षेपिका . . . १५८४—९०

अंक १४—गुरुवार, २६ फरवरी, १९५९/७ फाल्गुन, १८८० (शाक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६६३ से ६७०, ६७२ और ६७४ से ६७८ . . . १५९१—१६१२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६७१, ६७३ और ६७९ से ७२१ . . . १६१२—३७

अतारांकित प्रश्न संख्या ९३५ से ९४८ और ९५० से १०३१ . . . १६३७—७८

स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . . १६७८-७९

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . १६८०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

राज्य व्यापार निगम द्वारा एक संस्था को कास्टिक सोडा देने से कथित इन्कार . . . १६८०

रेलवे आय-व्ययक—सामान्य चर्चा . . . १६८१—१७२२

दैनिक संक्षेपिका . . . १७२३—२९

388 (Ai) L.S.D.—11.

पृष्ठ

अंक १५—शुक्रवार, २७ फरवरी, १९५९/८ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७२२ से ७२५, ७२७, ७२९ से ७३४, ७३७, ७३८, ७४०, ७४३, ७४४, ७४७ और ७५१ . . . १७३१—५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७२६, ७२८, ७३५, ७३६, ७३९, ७४१, ७४२, ७४५, ७४८ से ७५०, ७५२, ७५४ से ७६२ . . १७५६—६४

अतारांकित प्रश्न संख्या १०३२ से १११०, १११२ और ११११३ . १७६४—१८०२

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . . १८०२—०३

विधेयक पर राय . . १८०३

राज्य-सभा से सन्देश . . . १८०३

लागत तथा निर्माण लेखापाल विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया १८०३

प्राक्कलन समिति—

पैंतीसवां प्रतिवेदन १८०३

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति —

बारहवां प्रतिवेदन . . . १८०३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

गंडक परियोजना के बारे में बिहार के सिंचाई मंत्री का वक्तव्य . १८०४

सभा का कार्य . . . . १८०४—०५

रेलवे आयव्ययक सामान्य चर्चा . . . . १८०५—२२

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

पैंतीसवां प्रतिवेदन १८२३

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता की दूसरी किस्त देने के सम्बन्ध में संकल्प—अस्वीकृत . . . . १८२३—४१

नये औद्योगिक एककों को अनुज्ञप्ति देने की नीति के सम्बन्ध में संकल्प . १८४१—४२

दैनिक संक्षेपिका . . . . १८४३—४९

अंक १६—शनिवार, २८ फरवरी, १९५९/९ फाल्गुन, १८८० (शक)

सामान्य आय व्ययक, १९५९-६० का उपस्थापन . . १८५१—७३

वित्त विधेयक—पुरःस्थापित किया गया १८७३

दैनिक संक्षेपिका . . १८७४

पृष्ठ

अंक १७—सोमवार, २ मार्च, १९५९/११ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७६३ से ७६७, ७६९, ७७१ से ७७३, ७७५ और ७७६ . . . . १८७५—९९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ . . . १८९६–९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७६८, ७७४, ७७७ से ७९२, ७९४ से ७९६ और ७९८ से ८२० . . . . १८९७—१९१४

अतारांकित प्रश्न संख्या ११९४ से ११९१ . . . १९१४—४५

स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . . १९४५—४७

अनुपस्थिति की अनुमति १९४७–४८

सामान्य आयव्ययक पर चर्चा के बारे में प्रक्रिया . . . १९४८

रेलवे आयव्ययक—सामान्य चर्चा . . . . १९४९—९२

दैनिक संक्षेपिका . . . . . . १९९३—९८

अंक १८—मंगलवार, ३ मार्च, १९५९/१२ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८२१ से ८२३, ८२५ से ८२८, ८३०, ८३१, ८३३, ८३५, ८३७ और ८४० से ८४३ . . . १९९९—२०२४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८२४, ८२९, ८३२, ८३४, ८३६, ८३८, ८३९, ८४४ से ८४७, ८४९ से ८६१ और ८६३ से ८७१ . . . २०२५—४१

अतारांकित प्रश्न संख्या ११९२ से १२०१, १२०३ से १२५० और १२५२ २०४१—६७

स्थगन प्रस्ताव के बारे में २०६८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

कराची में हुई भारत पाकिस्तान वार्ता . . . . २०६८—६९

चलचित्र (संशोधन) विधेयक—

राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों से सहमति . . . २०६९—७०

रेलवे आय-व्ययक—सामान्य चर्चा . . . . . २०७०—९०

अनुदानों की मांगें—रेलवे, १९५९-६० . . . . . २०९०—२१२६

दैनिक संक्षेपिका . . . . २१२७—३१

अंक १९—बुधवार, ४ मार्च, १९५९/१३ फाल्गुन, १८८० (शक) पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८७३, ८७६, ८८०, ८८४, ८८६, ८८७, ८९१, ८९३, ९२१, ८९४, ८९५, ९०१, ९०३, ९०४, ९०६, ९०८ और ९१० . २१३३—५५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ से ८ २१५५—६१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८७२, ८७४, ८७५, ८७७ से ८७९, ८८१ से ८८३, ८८५, ८८८ से ८९०, ८९२, ८९६ से ९००, ९०५, ९०७, ९०९, ९११ से ९२० और ९२२ से ९२४ . २१६१—७४

अतारांकित प्रश्न संख्या १२५३ से १३७३, १३७५ से १३८७ . २१७४—२२२९

अतारांकित प्रश्न संख्या १७०८ दिनांक १७ १२-५८ के उत्तर में शुद्धि २२३०

स्थगन प्रस्ताव के बारे में २२३०

सभा-पटल पर रखा गया पत्र २२३१

राज्य-सभा से संदेश २२३१

प्राक्कलन समिति—

तेतीसवां प्रतिवेदन २२३१

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

छत्तीसवां प्रतिवेदन . २२३१

भारत का राज्य बैंक (सहायक बैंक) विधेयक—

पुरःस्थापित २२३२

अनुदानों की मांगें—रेलवे १९५९–६० २२३२—७२

दैनिक संक्षेपिका . २२७३—८०

अंक २०—गुरुवार, ५ मार्च, १९५९/१४ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९२५ से ९२९, ९३२ से ९३५, ९३७ से ९३९ और ९४२ २२८१—२३०२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ २३०२–०३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९३०, ९३१, ९३६, ९४०, ९४१, ९४३ से ९५७ और ९५९ से ९६३ २३०३—१२

अतारांकित प्रश्न संख्या १३८८ से १४८१ २३१२—५०

स्थगन प्रस्ताव के बारे में—

डॉक लेबर बोर्ड कलकत्ता में कर्मचारियों की मुअत्तली २३५१–५२

पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . २३५२

राज्य-सभा से संदेश २३५३

रेलवे आय-व्ययक अनुदानों की मांगें, १९५९–६० . . . २३५३—२४१३

स्ट्रैप्टोमाइसीन तथा डीहाइड्रोस्ट्रैप्टोमाइसीन बनाने के लिये करार के सम्बन्ध में
प्रस्ताव . २४१४—२८

कार्य मंत्रणा समिति—
छत्तीसवां प्रतिवेदन २४१७

दैनिक संक्षेपिका २४२९–३५

नोट :—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

शुक्रवार, २७ फरवरी, १९५९

८ फाल्गुन, १८८० (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

भौजायनिकों और काशविज्ञों का प्रशिक्षण[1]

†*७२२. **श्री राजेन्द्र सिंह** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में भौजायनिकों और काशविज्ञों के प्रशिक्षण के लिये राज्य सरकारों को सहायता देने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो सहायता के लिये शुरु में चुने गये राज्यों के क्या नाम हैं ; और

(ग) चुनाव किस आधार पर किया गया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, हां ।

(ख) (१) आंध्र प्रदेश ।

(२) केरल ।

(३) मद्रास ।

(४) उत्तर प्रदेश ।

(ग) योजना को राज्य सरकारों को परिचालित किया गया था और उनसे पूछा गया था कि क्या वे योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता का लाभ उठाना चाहेंगी । राज्य सरकारों से प्राप्त सभी योजनाओं का अनुमोदन कर दिया गया है ।

[1]Training of Refractionists and Opticians.

†मूल अंग्रेजी में

370 (Ai) L.S.D.—1

†**श्री राजेन्द्र सिंह :** बिहार का उल्लेख क्यों नहीं है। क्या कारण हैं ?

†**श्री करमरकर :** इसमें बिहार नहीं है।

†**श्री राजेन्द्र सिंह :** बिहार से कोई उत्तर क्यों नहीं आया ? क्या बिहार सरकार को यह बताया गया है ?

†**श्री करमरकर :** यह तो बिहार सरकार पर ही निर्भर है।

†**श्री तंगामणि :** राज्य-वार कितने विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा ?

†**श्री करमरकर :** मुझे ठीक पता नहीं है कि कितने विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। हमने योजना को राज्य सरकारों में परिचालित किया था और निर्दिष्ट राज्यों ने योजना चला रखी है। इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षित किये जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताने के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

†**श्री गोरे :** चुनाव किस आधार पर किया गया ?

†**श्री करमरकर :** मेरे विचार में चुने जाने के लिये योग्य उपयुक्त अभ्यर्थियों को चुना जायेगा।

†**श्री गोरे :** मैं इन विशेष राज्यों के चुने जाने का आधार जानना चाहता हूं।

†**श्री करमरकर :** जिन राज्यों ने उत्तर दिया, वे चुने गये। यदि वे उत्तर नहीं देते हैं तो हम उनको नहीं चुनते।

†**श्री वाजपेयी :** विभिन्न राज्यों को कितनी केन्द्रीय सहायता दी जायेगी ?

†**श्री करमरकर :** १६५७-५८ में आंध्र प्रदेश और मद्रास सरकारों को क्रमशः ७५,५०० रुपये और ७६,२२० रुपये दिये गये। मेरे विचार में समूचे पंचवर्षीय योजना काल में अनावर्तक व्यय के ७५ प्रतिशत और आवर्तक व्यय के ५० प्रतिशत से अधिक नहीं दिया जायेगा। प्रत्येक केन्द्र का अनुमानित अनावर्ती व्यय १ लाख रुपये और आवर्ती व्यय १६,२०० रुपये है।

†**श्री पुन्नूस :** केरल को कितनी धनराशि दी गयी है ?

†**श्री करमरकर :** वास्तव में १६५७-५८ में कुछ नहीं दिया गया है। चालू वित्तीय वर्ष के लिये आयव्ययक में १·५ लाख रुपये की और अगले वित्तीय वर्ष के लिये ३ लाख रुपयों का उपबन्ध है। उसमें से १६५६-६० में केरल को इस योजना के अन्तर्गत २०,००० रुपये मिलेगा।

†**श्री राजेन्द्र सिंह :** बिहार को कितना धन मिलेगा ?

†**श्री करमरकर :** बिहार को कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने अभी तक यह मांगा नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय :** वे यहां पर क्यों चिन्तित हैं। कुछ माननीय सदस्यों को यह प्रश्न वहां उठाना चाहिये। बिहार सरकार ने यह मांगा नहीं है। माननीय सदस्य अपने को सरकार के स्थान पर नहीं रख सकते।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राजेन्द्र सिंह :** बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार से पूछताछ की है। अतः मैं केन्द्र से स्थिति स्पष्ट कराना चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि माननीय सदस्य मुझे बिहार सरकार का पत्र दिखायें तो मैं उनको प्रश्न पूछने का और अवसर दूंगा।

हुगली के पश्चिमी किनारे पर गहरे डुबाव वाले पत्तन

+

†*७२३. { **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री राम कृष्ण :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १ दिसम्बर, १९५८ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ४३१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हुगली नदी के पश्चिमी किनारे पर गहरे डुबाव वाले पत्तन बनाने के बारे में उसके बाद निर्णय किया गया है ?

(ख) यदि हां, तो इसके लिये कौनसा स्थान चुना गया है ; और

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में कितना काम करने का विचार है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) अभी नहीं। प्रस्ताव के प्राविधिक पहलू पर अभी विचार हो रहा है।

(ख) तथा (ग). ये प्रश्न नहीं उठते।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या श्री पुस्थमा वह स्थान देखने गये थे और कुछ समय पूर्व उन्होंने अपना प्रतिवेदन रखा था ?

†**श्री राज बहादुर :** वह १४ नवम्बर को आये थे। उन्होंने कुछ स्थानों का दौरा किया वह कलकत्ता भी गये और हुगली नदी का भी दौरा किया। उन्होंने कुछ सिफारिशें की थीं जो विचारार्थ रख ली गई हैं।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या आकलैंड बार को जो कि नदी के मुहाने की ओर है, इस योजना के अन्तर्गत खोदा जायेगा ?

†**श्री राज बहादुर :** अनुभव प्राप्त करने के लिये ऐसा करना आवश्यक है ताकि यह मालूम हो सके कि क्या यहां ३६ फीट की गहराई तक जहाज आ सकते हैं ?

†**श्री राम कृष्ण :** इस पत्तन से लगभग कितने टनभार के माल का यातायात किया जा सकता है ?

†**श्री राज बहादुर :** इस समय तो लगभग १०० लाख टन का।

†**श्री बर्मन :** परियोजना के अनुसार इसकी गहराई कितनी होनी चाहिये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राज बहादुर :** अनुमानतः यह २६ से ३० फीट तक होनी चाहिये ।

†**श्री पाणिग्रही :** क्या सरकार का भारत के पूर्वी किनारे पर कोई बड़ा पत्तन बनाने का विचार है ; यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है ?

†**श्री राज बहादुर :** यह तो व्यापार की आवश्यकता पर निर्भर है । इस समय तो मैं नहीं कह सकता कि वहां कोई अतिरिक्त बड़ा पत्तन बनाने का हमारा विचार है ।

टेलीफोन के तार बिछाना

+

†*७२४. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० चं० माझी :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता और आसनसोल के बीच टेलीफून के तार बिछाने का काम पूरा हो गया है ;

(ख) यह कब से प्रारम्भ होगा ;

(ग) क्या कलकत्ता और बम्बई के बीच तार बिछाने और अन्य बड़े शहरों को जोड़ने का कार्य प्रारम्भ हो गया है ; और

(घ) यदि हां, तो अब तक इसके लिये क्या कार्यक्रम बना है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का ० पाटिल) :** (क) जी हां ।

(ख) काम १२-७-५८ से शुरू हो गया है ।

(ग) कलकत्ता और दिल्ली, तथा आगरा और बम्बई के बीच तार बिछाने की योजना है । कलकत्ता और दिल्ली के बीच तार बिछाने का कार्य प्रारम्भ हो गया है । इस खंड को बम्बई से मिलाने का कार्य तृतीय पंच वर्षीय योजना में करने का विचार है ।

(घ) नई दिल्ली आगरा खंड का काम करीब-करीब पूरा है । आगरा कानपुर के बीच का काम भी शीघ्र ही समाप्त हो जायेगा ।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या इसके लिये जिस सामान की आवश्यकता होगी वह मिल जायेगा ?

†**श्री स० का० पाटिल :** जी हां । वह मिल जायेगा ।

†**श्री सूपकार :** कलकता को दिल्ली से तथा दिल्ली को बम्बई से मिलाने में कितना व्यय होगा ?

†**श्री स० का० पाटिल :** दिल्ली-कलकत्ता-बम्बई और फिर दिल्ली को मिलाने—अर्थात् इस त्रिभुजाकार—में ८ करोड़ से कुछ कम लगेगा ।

†**श्री आसर :** आधुनिक तारों का प्रयोग किया जा रहा है, और प्रत्येक तार के भीतर और कितने तार हैं ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री स० का० पाटिल :** ये को-एम्पिल तार हैं। ये आधुनिकतम हैं, और अलग-अलग ढंग है—एक तरह के नहीं हैं। माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि प्रत्येक स्टेशन पर कितने तार होंगे। मेरे पास इस सम्बन्ध में आंकड़े हैं। यह एक लम्बा विवरण है।

†**श्री सूपकार :** इस ८ करोड़ राशि में विदेशी विनिमय कितना है ?

†**श्री स० का० पाटिल :** मेरे पास इस समय ये आंकड़े तो नहीं हैं। किन्तु ये लगभग एक चौथाई होंगे ठीक-ठीक तो मैं नहीं बता सकूंगा।

†**श्री आचार :** क्या दक्षिण में भी किन्हीं स्टेशनों को मिलाने के बारे में विचार किया गया है ?

†**श्री स० का० पाटिल :** इस पर फिर विचार किया जायेगा। इस समय तो इसी त्रिभुज के बारे में काम हो रहा है तथा इस रास्ते में जो स्टेशन आयेंगे उन्हीं को मिलाया जायेगा। यह कई हजार मील लम्बी लाइन होगी। इसका काम समाप्त हो जाने के पश्चात् ही दक्षिण के बारे में विचार किया जायेगा।

†**श्री दामानी :** इन तारों के बिछाने के बाद ट्रंक कालों की कुशलता में कितना सुधार हो जायेगा तथा उनकी संख्या में कितनी वृद्धि हो जायेगी।

†**श्री स० का० पाटिल :** कुशलता में तो काफी वृद्धि हो जायेगी। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अनुसार एक अच्छी टेलीफून व्यवस्था सुनिश्चित हो सकती है।

†**श्री दासप्पा :** इस योजना के लिये जिस सामान की आवश्यकता पड़ेगी उसमें से क्या काफी सामान का संभरण हिन्दुस्तान केबिल्स करेगा ?

†**श्री स० का० पाटिल :** मैं नहीं जानता कि वे कितना दे सकेंगे। किन्तु को-एक्सिल का तो आयात किया जायेगा हालांकि हम भी ये बहुत जल्दी बनाने लगेंगे।

कृत्रिम वर्षा

+

†*७२५. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री भक्त दर्शन :
सरदार इक़बाल सिंह : }

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १२ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ८९२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानसून के मौसम में स्टीम इन्जैक्टरों की स्थापना करके कृत्रिम वर्षा करने की योजना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की स्थायी वित्त समिति तथा प्रशासकीय निकाय के समक्ष रख दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में उनकी क्या राय है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) :** (क) जी हां।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) स्थायी वित्त समिति का ख्याल था कि इस योजना का कोई लाभदायक परिणाम नहीं निकालेगा अतः उसने यह तय किया कि परिषद् को चाहिये कि इसे कोई सहायता न दे। समिति ने यह भी महसूस किया कि अन्तरिक्ष-शास्त्रीय विभाग से कहा जाये कि यदि वह चाहे तो इस योजना को ले सकता है। प्रशासकीय निकाय ने स्थायी वित्त समिति से अपनी सहमति प्रकट की है।

†**श्री राम कृष्ण :** क्या इस सम्बन्ध में अब तक कोई प्रयोग किया गया है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख :** श्री एस० आर० सेवर के प्रयोग के बाद कुछ नहीं किया गया है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने बताया कि इस विचार का समर्थन नहीं किया गया। क्या यह खर्च के कारण हुआ है, और क्या खर्च का अनुमान बताया जा सकता है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख :** मंत्रणा समिति ने बताया है कि डा० सेवर ने अंकगणना करके जो मात्रा बताई थी वह अवास्तविक थी और जो वे दावे करते थे वे अनुपयुक्त थे।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या दूसरे देशों में नकली वारिश करने का प्रयोग सफल हुआ है। यदि हुआ है तो क्या उसका अनुकरण भारत में नहीं किया जा सकता ?

डा० पं० शा० देशमुख कुछ खास इत्तला नहीं है। एक जगह तो यह हुआ कि जो एक्स-पेरीमेंट करने वाले थे उनको भाग जाना पड़ा क्योंकि जितनी बार बारिश चाहिये थी उससे बहुत ज्यादा हो गयी और फ्लड आ गया।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या आस्ट्रेलिया में हुये इन प्रयोगों के आधार पर जो निर्णय हुये उनसे अपना निर्णय करने से पूर्व भारत सरकार ने कोई लाभ उठाया ?

†**डा० पं० शा० देशमुख :** आस्ट्रेलिया के प्रयोगों के बारे में हमें बहुत मामूली सी जानकारी थी। किन्तु उन पर अधिक निर्भर नहीं रहा जा सकता था।

उत्तर प्रदेश में बाढ़ नियन्त्रण

†*७२७. **श्री स० म० बनर्जी :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री २७ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २६८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण का कार्य प्रारम्भ हो गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसकी देरी के क्या कारण हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) २७ नवम्बर, १९५८ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या २६८ के उत्तर में जिस 'मास्टर प्लान' का उल्लेख किया गया है उसके तैयार करने से पूर्व ही उत्तर प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण का कार्य प्रारम्भ हो गया था।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० म० बनर्जी :** २७ नवम्बर को पहले प्रश्न का उत्तर देते हुये माननीय मंत्री ने कहा था कि :

> "इस योजना में निहित कुछ कार्यों का कार्य प्रारम्भ हो गया है । शेष काम आगामी वर्षों में शुरू किये जायेंगा । किन्तु यह कार्य किन क्षेत्रों में होगा इसके बारे में केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड निश्चय करेगा ।"

क्या केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड ने इस बारे में कोई निर्णय किया है कि कौन से कार्य इस वर्ष शुरू किये जायेंगे और कौन से कार्य आगामी वर्षों में किये जायेंगे ?

†**श्री हाथी :** इन योजनाओं की एक लम्बी सूची हमें मिली है जिसमें ७१ योजनाओं का उल्लेख है ।

†**श्री सूपकार :** इसे सभा पटल पर रखा जा सकता है ।

†**श्री स० म० बनर्जी :** इसके लिये केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को कितना धन दिया है ।

†**श्री हाथी :** १९५४ से १९५७-५८ में अब तक ८०५ लाख रुपये दिये गये हैं ।

श्री म० ला० द्विवेदी : क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि पिछली बाढ़ की वजह से अलीगढ़, दिल्ली और मथुरा के आस-पास पानी भर गया था जिससे तमाम सड़कें खराब हो गईं, और वह पानी अभी तक नहीं निकल पाया है । उत्तर प्रदेश से मालूम हुआ है कि केन्द्र से पर्याप्त सहायता न मिलने के कारण यह काम नहीं हो पा रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस बारे में केन्द्र से और राज्य सरकार से लिखा पढ़ी हो रही है, और यदि हां, तो उसमें क्या प्रगति हुई है ?

†**श्री हाथी :** इस प्रकार के पानी भरे क्षेत्र उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में हैं । सिंचाई और विद्युत मंत्री स्वयं वहां गये थे और इंजीनियरों का वहां सम्मेलन हुआ था । इन क्षेत्रों के लिये योजनायें तैयार हो रही हैं ।

†**श्री म० ला० द्विवेदी :** इसमें कितना समय लगेगा ?

†**श्री हाथी :** मेरा विचार है कि उत्तर प्रदेश ने योजना तैयार कर ली है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो बाढ़ रोकने की योजनायें हैं इन पर कुल कितना खर्चा होने का अनुमान है और उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र से कितने रुपये का अनुदान मांगा है और कितना दिया जा रहा है ?

श्री हाथी : बाढ़ की जो योजनायें हैं उनके लिये उत्तर प्रदेश के सैकिंड फाइव इअर प्लान में देने के लिये जो रुपया रखा गया है उसमें से अभी तक ७७३ लाख रुपया दिया जा चुका है, ११० लाख बचा है जिसमें से दिया जायेगा ।

†**श्री गोरे :** क्या सरकार को इस बात का संतोष है कि इन योजनाओं का दिल्ली-मथुरा की मुख्य रेलवे लाइन तथा अन्य स्थानों के रास्तों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

†**श्री हाथी :** जी हां । इस का प्रभाव रेल तथा सड़कों पर पड़ेगा । उत्तर प्रदेश ने योजना का कार्य शुरू कर दिया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खाद्यान्न भांडार मन्त्रणा समिति[1]

†*७२९. **श्री वाजपेयी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्यान्न भांडार मंत्रणा समिति ने अपनी ३० दिसम्बर, १९५८ की बैठक में क्या सिफारिशें की हैं ; और

(ख) उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) समिति ने निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :

(१) आटा मिल तथा खाद्यान्न जमा करने वाले के समक्ष भांडारों को रखने के लिये वैज्ञानिक उपायों का प्रदर्शन, और मिलों में आवश्यक रूप से खाद्यान्नों के भांडारों को दवाई इत्यादि डाल कर रखने की संभावनाओं पर विचार करना;

(२) जनता के हितार्थ उपयुक्त गोदामों के बनाने में जानकारी बताने वाली पुस्तिकाओं का प्रकाशन ; और

(३) जनता को सरकारी गोदामों में भांडारों को रखने के ढंग के दिखाने के लिये सुविधायें देना और भांडारों में कीड़े इत्यादि को मारने के लिये जो प्रबन्ध किये गये हैं उनसे जनता को परिचित कराना ।

(ख) खाद्य विभाग द्वारा इन सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है ।

†**श्री वाजपेयी :** सरकार ने खाद्यान्नों के थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने का निश्चय किया है इस बात को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार ने इस हेतु भांडार क्षमता के बारे में कोई अनुमान लगाया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** इन सब बातों पर विचार हो रहा है । वास्तव में तो सरकार का कार्यक्रम इसके लिये बहुत से गोदाम बनवाने का है ।

†**श्री वाजपेयी :** क्या सरकार का विचार उन गोदामों को प्रयोग में भी लाने का है जो ग़ैर-सरकारी अभिकरणों के पास हैं ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** उनके प्रयोग करनें में कोई आपत्ति नहीं है ।

†**श्री जयपालसिंह :** आजकल भांडार क्षमता कितनी है तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बढ़ कर यह क्षमता कितनी हो जायगी ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** इस समय सरकार के पास १३ लाख टन भांडार करने की क्षमता है । कुछ और गोदामों को किराये पर लेने का प्रयत्न कर रहे हैं । २० लाख टन भांडार करने के लिये भवन निर्माण का हमारा कार्यक्रम है ।

श्री म० ला० द्विवेदी : जब मरहूम रफी अहमद किदवाई साहब मिनिस्टर थे उस वक्त उन्होंने पांच बड़ गोदाम हायर किय थ और उनमें बहुत गल्ला रखा था क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि उन गोदामों का क्या हुआ, और जो गल्ला था उसका क्या हुआ, और जो यह स्कीम चालू हो रही है, इसके लिये काफी कैपेसिटी हो जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Foodgrains storage Advisory Committee

श्री अ० प्र० जैन मालूम नहीं कि कौन से पांच गोदामों के बारे में माननीय सस्दस्य कह रहे हैं। जब तक उनका हुलिया न बतलाया जाये तब तक क्या जवाब दिया जा सकता है।

श्री म० ला० द्विवेदी : उस वक्त कितने गोदाम थे और अब कितने कम हो गये हैं और कौन-कौन से कम हो गये हैं और उनकी वजह से कितना गल्ला काम हो गया है ?

†**अध्क्ष महोदय :** एक ही प्रश्न पर कितने प्रश्न हैं।

†**श्री म० ला० द्विवेदी :** वास्तव में बात तो यह है कि भांडार की क्षमता काफ़ी थी जिसका वर्तमान मंत्रालय ने उत्सर्जन कर दिया और इसीलिये यह खाद्य कठिनाई उठी। मैं यह ज्ञात करना चाहता हूं कि भांडार की कितनी जगह बेची गई अथवा उन व्यक्तियों को वापस की गई जिनसे कि उसे किराये पर लिया गया था ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** बात इसके विपरीत है। भांडार करने की हमारे पास बहुत बड़ी क्षमता है। हमने कुछ भी नहीं बेचा है। हालांकि कुछ गोदाम थे जो पहले किराये पर लिये गये थे और अब उन्हें वापस कर दिया गया है। हमारे पास हापुड़ में २७००० टन भांडार रखने की जगह है। हम अधिक से अधिक गोदाम लेने का प्रयत्न कर रहे हैं।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** क्या सरकार को इस बात का ज्ञान है कि गोदामों की कमी के कारण ही पूर्वी मध्य प्रदेश में चावल उत्पादन आन्दोलन पर काफी प्रभाव पड़ा था। यदि यह ठीक है तो क्या सरकार गेहूं वसूली के आन्दोलन में, जो कि शीघ्र ही आरम्भ होने वाला है, इस प्रकार की कठिनाई को दूर करन के लिये क्या उपाय करेगी ?

श्री अ० प्र० जैन : माननीय सदस्य की जानकारी बिल्कुल और पूर्णतः गलत है। मध्य प्रदेश ने हमें जितना भी चावल दिया है वह सब हमने उससे लिया है। इसलिये गोदामों की कमी के कारण किसी पर तनिक भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ा। हमारे पास काफ़ी भांडार है और हम मध्य प्रदेश के अलावा अन्य स्थानों से भी चावल खरीद रहे हैं।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** क्या माननीय मंत्री का ध्यान मध्य प्रदेश के खाद्य मंत्री के उस उत्तर की ओर दिला सकता हूं जो उन्होंने वहां की विधान सभा में दिया था और कहा था कि गोदामों की कमी भी एक कारण थी जिस कारण वहां चावल अथवा धान की वसूली कम हुई। यदि यह बात ठीक है तो क्या माननीय मंत्री जी इस सम्बन्ध में जांच करेंगे जिससे कि ठीक-ठीक बात का पता चल जाये।

†**श्री अ० प्र० जैन :** मैंने इस सम्बन्ध में कोई जांच नहीं की थी क्योंकि असलियत के बारे में मैं निश्चित था। मिलों तथा व्यापारियों द्वारा जितना भी चावल दिया गया था वह हमने सब खरीदा था। काफी सामान आ गया है और जो कुछ आना शेष है वह हम लेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य ने कहा है कि वहां के खाद्य मंत्री ने कहा है कि गोदामों की कमी के कारण वे चावल नहीं खरीद सके थे। क्या माननीय मंत्री को इस बात की जानकारी है।

†**श्री अ० प्र० जैन :** बात यह है कि केन्द्र जो कुछ खरीददारी वहां करता है उसका दायित्व मेरा है। केन्द्र भी चावल खरीद रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमने वहां चावल के लिये मना नहीं किया है। जितना भी चावल हमें वहां मिला वह सब हमने खरीदा। जहां तक

---

†मूल अंग्रेजी में

कि केन्द्र का मामला है हमारे पास गोदामों की कोई कमी नहीं है। यदि राज्य सरकार की कोई बात है तो मैं नहीं कह सकता ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री आसानी से बता सकते हैं कि क्या उनको इस बात की जानकारी है कि क्या राज्य के मंत्री ने ऐसा वक्तव्य दिया था ।

†**श्री अ० प्र० जैन :** मैं कह सकता हूं कि वहां कोई कठिनाई नहीं है क्योंकि इसके बारे में मुझे निश्चित रूप से ज्ञात है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** हम राज्य को केन्द्र से अलग नहीं कर सकते । केन्द्रवासी ही नहीं खाते हैं राज्य के निवासी भी खाते हैं । इसलिये अगर राज्य के मंत्री कोई बात कहते हैं और उसकी ओर यदि केन्द्र के मंत्री का ध्यान आकर्षित किया जाता है तो उन्हें यहां यह बताना चाहिये कि क्या बात है राज्य के मंत्री ऐसा क्यों कहते हैं और वे ऐसा क्यों कहते हैं ।

†**श्री अ० प्र० जैन :** पहली बात तो यह है कि मैं नहीं जानता कि उन्होंने क्या वक्तव्य दिया है । दूसरे जिन बातों से मेरा सम्बन्ध है उनके बारे में ही दायित्व लेता हूं । राज्य प्राधिकारी धान खरीदते हैं उन्हें कठिनाई हो सकती है । यह केन्द्र का सम्बन्धित विषय नहीं है । हम चावल खरीदते हैं । चावल के बारे में कोई कठिनाई नहीं है । यही मैंने कहा है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री महोदय के वक्तव्य से यह स्पष्ट है कि राज्य द्वारा चावल वसूली के बारे में वहां कुछ कठिनाई हो सकती है जिसके बारे में उन्हें कोई ज्ञान नहीं है । माननीय मंत्री महोदय को राज्य के मंत्री महोदय के उस वक्तव्य के बारे में कोई जानकारी नहीं है जिसमें उन्होंने कहा है कि वहां गोदामों की कमी है । बस यही बात आवश्यक थी । आशा है कि माननीय सदस्य अब सन्तुष्ट होंगे ।

†**श्री कोडियान** : क्या यह सच है कि कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से अपने उन गोदामों को मांगा है जो केन्द्रीय सरकार उपयोग में ला रही है। यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : मुझे केरल राज्य सरकार की बात तो ज्ञात है जिसने केन्द्रीय सरकार से गोदामों को मांगा था । उनको गोदाम वापस करने के बारे में हमने निश्चय कर लिया है ।

†**श्री शिवनंजप्पा** : भांडागार बोर्ड द्वारा भांडार बनाने में कितनी प्रगति हुई है ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : यह प्रश्न भांडागार बोर्ड के बारे में नहीं है । यदि यह प्रश्न अलग से रखा जाये तो मैं इसका उत्तर दे सकता हूं ।

मेडिकल-विद्यार्थी

†*७३०. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री निम्न बातों को दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) देश में कितने विद्यार्थी चिकित्सा (मेडिसिन) तथा चीरफाड़ (सर्जरी) में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण ले रहे हैं ;

(ख) किन-किन स्थानों पर इस प्रकार के प्रशिक्षण का प्रबन्ध है ;

(ग) इन केन्द्रों को केन्द्र से कितनी सहायता मिलती है ; और

(घ) इन सुविधाओं के विकास के लिये सरकार की योजनायें क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) वांछित जानकारी एकत्रित की जा रही है और समय पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) अब तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार इस प्रकार के २३ केन्द्र हैं जहां चिकित्सा तथा चीरफाड़ में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण सुविधायें दी जाती हैं ।

(ग) द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अधीन उन राज्यों तथा संस्थाओं को अनुदान दिये जाते हैं जहां स्नातकोत्तर प्रशिक्षण के लिये सुविधायें दी जाती हैं और ये संस्थायें केन्द्रीय सरकार की उन योजनाओं के अधीन आती हैं जिनमें संस्थाओं को बढ़ाने का उल्लेख है । भवन पर होने वाले व्यय को छोड़ कर ५० प्रतिशत आवर्तक तथा ५० प्रतिशत अनावर्तक व्यय केन्द्रीय सरकार देगी ।

(घ) केन्द्रीय सरकार ने इसकी जांच करने के लिये एक दूसरी क्रमोन्नति समिति की नियुक्ति की है । इस समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : जो नये मेडिकल कालेज खोले जा रहे हैं उनको दृष्टिगत रखते हुये क्या मैं जान सकता हूं कि इसमें किस प्रकार के व्यक्तियों की आवश्यकता होगी और क्या वर्तमान स्थिति को देखते हुये वर्तमान सुविधायें काफी हैं ?

†**श्री करमरकर** : सामान्यतः स्नातकोत्तर शिक्षण के लिये उपयुक्त अध्यापक की आवश्यकता होती है । अब यह देखना है कि क्या प्रत्येक कालिज में इस प्रकार की सुविधायें उपलब्ध हैं । जहां कहीं ये कालिज वांछित आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं उसी कालिज को उस विभाग के हेतु जिसमें कि इस प्रकार की सुविधायें उपलब्ध हैं क्रमोन्नति योजना के अधीन सहायता देंगे ?

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मेरा प्रश्न यह है कि इस प्रकार के व्यक्तियों के लिये आवश्यक बातें क्या हैं, और क्या वर्तमान सुविधायें कम पड़ेंगी अथवा वे काफी होंगी ? कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होंगी ।

†**श्री करमरकर** : जैसा कि मैंने अभी बताया है कि उस व्यक्ति में स्नातकोत्तर कक्षाओं को पढ़ाने की क्षमता हो वह काफी उपयुक्त हों । उदाहरणतः उसके पास स्नातकोत्तर डिग्री . . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी ?

†**श्री करमरकर** : विभिन्न संस्थाओं में भिन्न प्रकार की स्थिति है । किसी राज्य में, उदाहरण के लिये, कोई व्यक्ति छाती कीचीरफाड़ के लिये उपयुक्त है तो हम उसे मान्यता दे देते हैं । यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक संस्था में व्यक्ति अथवा सामान पूरे हों जिससे कि उसमें प्रत्येक विभाग की उन्नति कर दी जाये ।

†**श्री आचर** : विद्यार्थियों का चयन किस आधार पर किया जाता है । क्या राज्यों का कोटा निश्चित होता है अथवा चयन का कोई और भी आधार है ।

†**श्री करमरकर** : क्रमोन्नति कृत संस्थाओं में ५० प्रतिशत विद्यार्थियों का चयन केन्द्रीय सरकार द्वारा और ५० प्रतिशत विद्यार्थियों का चयन उन संस्थाओं के द्वारा किया जाता है जिनके विभागों की उन्नति के लिये हमने सहायता दी है ।

†**श्री सामन्तसिंहार** : चीरफाड़ तथा चिकित्सा की किस शाखा में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रत्येक शाखा में कितने विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाता है ?

---

†**मूल अंग्रेजी में**

†**श्री करमरकर** : मुझे बहुत से विद्यार्थियों का नाम पढ़ना होगा। उदाहरणार्थ, चिकित्सा, सामान्य चिकित्सा, सामान्य चीरफाड़, पेथोलाजी, प्रसूति शिक्षा, पेडियाट्रिम-यक्ष्मा, फार्मालॉजी आदि बहुत से हैं। मैं समझता हूं कि ये काफ़ी हैं।

†**श्री जाधव** : क्या यह सत्य है कि जो विद्यार्थी आयुर्वेदिक कालेजों से आते हैं उन्हें स्नातकोत्तर प्रशिक्षण नहीं दिया जाता ?

†**श्री करमरकर** : आयुर्वेद डिप्लोमा प्राप्त विद्यार्थियों के लिये जामनगर में एक प्रशिक्षण केन्द्र है जहां स्नातकोत्तर प्रशिक्षण के लिये २० विद्यार्थियों की भर्ती की जाती है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : माननीय मंत्री महोदय के पास इन योजनाओं की सहायतार्थ कितना धन है ?

†**श्री करमरकर** : मेडिकल कालिजों के कुछ विभागों को उच्चस्तर देने के लिये द्वितीय योजना में २५ लाख रुपये की व्यवस्था है। १९५७–५८ तक ७,४२,३९९ रुपये व्यय हुये हैं। इस वर्ष के लिये ६ लाख रुपये की व्यवस्था है। आगामी वित्त वर्ष के बारे में मुझे जानकारी नहीं है।

धान का मूल्य

+

†७३१. { **श्री विद्याचरण शुक्ल** : **श्री किस्तैया** :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह प्रस्ताव किया है कि किसानों को दिये जाने वाले धान के मूल्य में वृद्धि की जाये ;

(ख) यदि हां तो इस सम्बन्ध में सरकार के प्रस्ताव क्या हैं ;

(ग) इस बारे में केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग). ये प्रश्न नहीं उठते।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से चावल की वसूली के मूल्य बढ़ाने के लिये प्रार्थना की है, यदि हां तो उस सरकार की सिफारिशें क्या हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : भारत सरकार द्वारा चावल का मूल्य निश्चित करने के पश्चात् मध्य प्रदेश सरकार ने इस प्रकार का कोई अभ्यावेदन नहीं किया है। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मूल्य को उस स्तर पर ही रखने का विचार सरकार का अन्तिम निर्णय है। इसलिये सदन में तथा सदन के बाहर किसी प्रकार की भ्रांति न हो इसलिये यह बता देना चाहता हूं कि मूल्य में कोई संशोधन करने का विचार नहीं है।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या चावल की वसूली के लिये केन्द्रीय सरकार ने जो घटिया किस्म का चावल निश्चित किया है वह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निश्चित घटिया किस्म के चावल से विभिन्न प्रकार का है, और यदि यह बात सच है तो क्या इससे मध्य प्रदेश के किसानों तथा व्यापारियों को असुविधा हुई है ?

---

†**मूल अंग्रेजी में**

†श्री अ० प्र० जैन : मैं प्रश्न की भावना को नहीं समझ सका । यदि माननीय सदस्य इसे दोहरायें तो मैं उत्तर दे सकता हूं ।

†श्री ब्रजराज सिंह : क्या सरकार को इस बात का ज्ञान है कि मध्य प्रदेश में वसूली के लिये जो कम दाम सरकार ने निश्चित किये हैं उससे भविष्य में धान की उपज पर प्रभाव पड़ेगा ?

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य उस मूल्य को बहुत कम समझ रहे हैं ।

†श्री ब्रजराज सिंह : यह बहुत ही कम है । ९ रुपये प्रति मन भाव से बिकता है ।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य समझते हैं कि यह बहुत कम है और माननीय मंत्री समझते हैं कि यह ठीक है । क्या हम देश में बाहर एक विरोध की प्रतिक्रिया फैला रहे हैं कि वे अधिक मूल्य की मांग करें। प्रायः बंगाल तथा अन्य भागों से प्रश्न पूछे जाते हैं कि मूल्य काफी नहीं है । साथ ही यह भी कहते हैं कि काफी खाद्यान्न नहीं दिया गया है । काफी मूल्य नहीं दिया गया है इस मामले को हम माननीय मंत्री पर छोड़ दें कि वह इन सब बातों को निश्चित करें और यदि माननीय मंत्री ऐसा नहीं करते तो माननीय सदस्य इस पद को ले लें ।

†श्री ब्रजराज सिंह : इसका प्रभाव धान की उपज पर पड़ेगा ।

†श्री रंगा : क्या मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा सरकार से केन्द्रीय सरकार को यह शिकायत नहीं मिली है कि धान का मूल्य बहुत कम है, और वह चाहती है कि उनके उत्पादन को कुछ ऊंचे मूल्य पर लेकर केन्द्रीय सरकार उनकी सहायता करे ।

†श्री अ० प्र० जैन : हमें मध्य प्रदेश की सरकार से कोई ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

†श्री रंगा : उड़ीसा सरकार के सम्बन्ध में क्या किया गया ?

†श्री अ० प्र० जैन : प्रश्न केवल मध्य प्रदेश से सम्बन्ध रखता है बिहार से नहीं ।

†श्री महन्ती : क्या चावल की वसूली इस कारण की जा रही है कि सरकार गल्ले का व्यापार करेगी, यदि हां तो वसूली की कीमत भारत सरकार ने निश्चित की है या राज्य सरकार ने ? यदि इस प्रश्न का उत्तर हां में है तो क्या सरकार ने वसूली का मूल्य स्थिर करते समय किसानों के हित का भी ध्यान रखा है ?

†अध्यक्ष महोदय : मैं एक प्रश्न के अन्तर्गत तीनों प्रश्नों की अनुमति नहीं दे सकता हूं । एक का दूसरे से कोई सम्बन्ध नहीं है । क्या सरकार यह खरीद, सरकार द्वारा गल्ले की खरीद का निश्चय किये जाने के फलस्वरूप कर रही है ?

†श्री अ० प्र० जैन : राज्य द्वारा गल्ले के व्यापार की योजना अभी लागू नहीं हुई है । तथापि राज्य द्वारा वसूली का कार्य इसलिये किया जा रहा है कि सरकार द्वारा गल्ले का व्यापार किये जाने की योजना को इससे सहायता मिल सके ।

†श्री पाणिग्रही : मध्य प्रदेश में अब तक कितने चावल की वसूली की गई । क्या वसूल किये गये चावल का कुछ अंश पश्चिम बंगाल के लिये भी है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री अ० म० थामस :** मध्य प्रदेश में केन्द्रीय सरकार के लिये ११६००० टन चावल की वसूली की जा चुकी है । यह गल्ला केन्द्रीय सरकार के खाते के अन्तर्गत जमा किया जायेगा और आवश्यकतानुसार विभिन्न राज्यों को भेज दिया जायेगा । राज्य सरकार ने अपने खाते के अधीन ५८००० टन चावल की वसूली की है ।

श्री विभूति मिश्र : क्या यह सही है कि चावल मिल वाले जितना गल्ला खरीदेंगे उसमें से १/४ हिस्सा सरकार को देंगे और ३/४ हिस्सा अपने पास रखेंगे ?

श्री अ० प्र० जैन : यह प्रश्न तो मध्य प्रदेश का है । मध्य प्रदेश में तो जितना चावल मिलों के पास है या स्टाकिस्ट्स के पास है और वह बहुत सारा है, वे हमको देते हैं । हम सब ले रहे हैं ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** क्या केन्द्रीय सरकार ने वसूली के लिये ऐसा चावल लेना निश्चित किया है जो औसत प्रकार के मामूली किस्म का है लेकिन जो राज्य द्वारा निश्चित औसत प्रकार के मामूली किस्म के चावल से अच्छा है क्या इससे कृषकों तथा मध्य प्रदेश के छोटे व्यापारियों को पर्याप्त असुविधा हो गई है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह तो अपनी अपनी राय है । मैं इस प्रकार के प्रश्न की अनुमति नहीं दे सकता हूं । माननीय मंत्री प्रश्न के पहले भाग का उत्तर दे सकते हैं जो उचित है और मैं उसकी अनुमति प्रदान करता हूं । माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में वसूल किये गये चावल की कीमत, राज्य द्वारा वसूल किये गये उसी प्रकार के चावल की कीमत से कम दी गई ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** मध्य प्रदेश की सरकार कोई चावल नहीं खरीद रही है । केवल केन्द्रीय सरकार चावल की खरीद कर रही है । इसलिये केन्द्रीय तथा मध्य प्रदेश द्वारा दी जाने वाली कीमतों के उन्तर का प्रश्न पैदा ही नहीं होता है ।

मद्रास और केरल के बीच अन्तर्राज्यीय जल विवाद

*७३२. **श्री न० रा० मुनिस्वामी :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री ४ दिसम्बर, १९५८ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५८१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या दोनों राज्यों (मद्रास और केरल) द्वारा स्वीकृत अस्थायी प्रस्तावों के आधार पर परम्लिकुलम् सिंचाई तथा विद्युत परियोजना के सम्बन्ध में कोई अन्तिम समझौता हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका विस्तृत विवरण क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) भारत सरकार को अभी तक दोनों राज्यों द्वारा स्वीकृत अन्तिम और औपचारिक समझौते का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी :** इस योजना का वित्तीय प्रभाव क्या होगा तथा इससे कितनी एकड़ भूमि को लाभ पहुंचेगा ?

†**श्री हाथी :** अभी योजना का विस्तृत विवरण प्राप्त नहीं हुआ है तथापि मेरे विचार से इससे २ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी । मद्रास राज्य में ११३००० किलोवाट और केरल में ५४००० किलोवाट बिजली का उत्पादन होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी :** क्या परियोजना के सफल होने पर इस परियोजना को केन्द्रीय सरकार की सहायता भी उपलब्ध हो सकेगी ?

†**श्री हाथी :** परियोजना का विस्तृत प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही इसका निश्चय किया जा सकेगा ।

†**श्री वे० ईयाचरण** : केरल राज्य के कथनानुसार मद्रास राज्य को अतिरिक्त जल की कितनी राशि उपलब्ध हो सकेगी ?

†**श्री हाथी :** सामान्यतः इन सिद्धान्तों पर दोनों पक्षों की सहमति प्राप्त हो गई है । यदि जल का बहाव. १६५००० लाख घन फुट से बढ़ जायेगा तो २५००० लाख घन फुट अतिरिक्त पानी मद्रास राज्य को दे दिया जायेगा लेकिन केरल राज्य चित्तूर क्षेत्र में उसका उपयोग कर सकेगा ।

†**श्री पुन्नूस :** क्योंकि अब विवाद लगभग समाप्त हो चुका है तो क्या केरल सरकार को पेरम्बिकुलम् परियोजना के कार्य को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी जायेगी ।

†**श्री हाथी :** समझौते के आधार पर विस्तृत विवरण तैयार किये जा रहे हैं । जैसे ही वह प्राप्त हो जायेंगे केरल सरकार को काम को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी जायेगी ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिये कोई अन्तर्राज्यीय बोर्ड भी है ?

†**श्री हाथी** : अधिनियम के अधीन एक बोर्ड बनाया जा सकता था । लेकिन दोनों राज्य इस सम्बन्ध में परस्पर सहमत हो गये हैं ।

†**श्री तंगामणि** : क्या इस समझौते के कारण पेरम्बिकुलम् परियोजना का कार्य दूसरी पंच-वर्षीय योजना में प्रारम्भ हो जायेगा या उसे तीसरी पंच वर्षीय योजना तक प्रतीक्षा करनी होगी ?

†**श्री हाथी :** यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि हमें परियोजना के विस्तृत विवरण कब प्राप्त होते हैं ।

कोयना परियोजना

†*७३३. **श्री आसर** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयना परियोजना में निर्माण का कार्य अभी तक अनुसूची के अनुसार नहीं चल रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). सामान्यतः कोयना जल विद्युत परियोजना का कार्य अनुसूची के अनुसार चल रहा है केवल प्रेशर शेफ्टों का काम धीमा चल रहा है । इस प्रकार का कार्य हमारे देश के लिये नया है । तथापि अनुभव के साथ साथ इस कार्य की गति में भी उत्तरोत्तर वृद्धि होगी ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री आसर** : परियोजना पर अब तक कितनी राशि व्यय हुई है क्या यह आयोजित प्राक्कल के अनुसार है ?

†**श्री हाथी** : दिसम्बर, १९५८ तक ११·९५ करोड़ रुपये व्यय हुये हैं। दूसरी पंच वर्षीय योजना तक कुल २९ करोड़ रुपयों के व्यय की व्यवस्था है।

†**श्री आसर** : भविष्य में परियोजना पर अनुमानतः कुल कितना रुपया व्यय होगा ? क्या विश्व बैंक से एक बड़ी राशि ऋण लेने के सम्बन्ध में जो बातचीत चल रही थी वह सफल रही है ?

†**श्री हाथी** : परियोजना पर अनुमानतः कुल ३८·२८ करोड़ रुपया व्यय होगा। इस सम्बन्ध में विश्व बैंक से बातचीत हो रही है।

†**श्री जयपाल सिंह** : कोयना परियोजना को उस स्थिति से बचाने के लिये जो कि रिहान्ड परियोजना की हुई थी—रिहान्ड परियोजना से भविष्य में उत्पन्न होने वाली भारी विद्युत शक्ति पहले से ही बुक की जा चुकी है और पूर्वी उत्तर प्रदेश को बिजली नहीं दी जायेगी—क्या सरकार ने हाल में नियुक्त तत्सम्बन्धी समिति को इस आशय के निदेश दिये हैं कि जल शक्ति के वितरण में समानता बरती जाय ? क्या वे समान वितरण की कोई योजना बना रहे हैं अथवा यह भारी शक्ति बम्बई नगर या ऐसी ही अन्य समितियों को उपलब्ध कर दी जायेगी ?

†**श्री हाथी** : यह बात बम्बई सरकार की इच्छा पर निर्भर है। उन्होंने एक समिति नियुक्त की है और वे विद्युत शक्ति सर्वेक्षण के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं।

†**श्री आसर** : क्या यह सच है कि हमारे दो ज्येष्ठ अधिकारी विश्व बैंक से अत्यावश्यक वार्ता करने जा रहे हैं। यदि हां तो यह वार्ता किस सम्बन्ध में होगी ?

†**श्री हाथी** : वार्ता विश्व बैंक से ऋण लेने के सम्बन्ध में होगी।

†**श्री गोरे** : क्या विश्व बैंक भारत सरकार से स्विटजरलैंड के इंजीनियरों की सेवायें स्वीकार करने के लिये जोर दे रहा है ?

†**श्री हाथी** : विश्व बैंक इस बात पर जोर नहीं दे रहा है लेकिन बम्बई सरकार की एक परामर्शदातृ फर्म है।

'प्रोसेसिंग यूनिट' के लिये लाइसैन्स

*७३४. **श्री पाणिग्रही** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रोसेसिंग यूनिटों के लिये लाइसेंस केवल सहकारी संस्थाओं को ही दिये जायेंगे ?

†**सामुदायिक विकास मंत्री के सभा सचिव (श्री ब० स० मूर्ति)** : अभी तक इस प्रकार का सामान्य निर्णय कोई नहीं किया गया।

†**श्री पाणिग्रही** : क्या मैं जान सकता हूं . . . .

†**श्री वाजपेयी** : सभा-सचिव को भी आगे की बैंचों पर बैठना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह इतनी दूर पीछे क्यों बैठते हैं ?

†**श्री ब० स० मूर्ति** : मुझे प्रश्न सुनाई नहीं दिया (हंसी)।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** सभा-सचिव ने अपने आप को . . . . .

†**एक माननीय सदस्य :** आशा करनी चाहिये कि वह आगे बढ़ेंगे ।

†**श्री ब० स० मूर्ति :** यह स्थान मेरे लिये निर्धारित है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मेरे विचार में तमाम सरकारी मंत्री महोदय आगे बैठते हैं, उन्हें भी यहीं कहीं स्थान मिलना चाहिये । मैंने समझा कि कोई अन्य साधारण सदस्य ही बोल रहे हैं ।

†**श्री पाणिग्रही :** क्या ग्रामीण लघु उद्योगों को सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा क्षेत्रों में विकसित करने के लिये प्रोसेसिंग यूनिटों के लाइसेन्स सहकारी संस्थाओं को देने के मामले पर विचार किया है ?

†**श्री ब० स० मूर्ति :** प्रश्न यह है, कि सहकारी संस्थाओं के विकास की रूपरेखा, १९५६ के सरकार की औद्योगिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव में निहित है और हाल ही में राष्ट्रीय विकास परिषद् ने एक प्रस्ताव द्वारा सहकारिता को अपनाने पर जोर दिया है । उसके लिये कार्य करने के हेतु एक दल की नियुक्ति की गई है । उस ने सारे प्रश्न पर विचार कर यह सिफ़ारिश की है कि नये खाद्य प्रोसेसिंग यूनिटों के काम के लिये सहकारिता को ही प्रोत्साहन देना चाहिये ।

†**श्री पाणिग्रही :** क्या मैं जान सकता हूं कि सामुदायिक विकास क्षेत्रों में लघु उद्योगों के विकास के लिये सरकार की कोई निश्चित योजना है ?

†**श्री ब० स० मूर्ति :** सामुदायिक विकास खंडों और देश दोनों ही के लिये इस सारे प्रश्न पर विचार किया जा रहा है । अगले मास की १३ और १४ तारीख को राज्यों के सहकार मंत्रियों, राज्यों में इस विषय से सम्बन्धित सचिवों, सहकार रजिस्ट्रारों और ग़ैर-सरकारी सदस्यों का एक सम्मेलन हो रहा है और वहां पर समूचे प्रश्न की छानबीन की जायेगी ।

†**श्री तंगामणि :** जिस प्रश्न को मैं पूछना चाहता था, उसका उत्तर आंशिक रूप में दिया गया है । मुझे खुशी है कि सहकारिता रजिस्ट्रारों का सम्मेलन बुलाया जा रहा है । क्या मैं जान सकता हूं कि होने वाले सम्मेलन की कार्यावलि क्या है, और क्या इसमें विभिन्न सहकारी समितियों के पंजीयन के कार्य में तीव्रता लाने और सहकारिता आन्दोलन को प्रोत्साहन देने के विषय भी शामिल हैं ?

†**श्री ब० स० मूर्ति :** सारे प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

†**श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :** क्या सहकारी प्रोसेसिंग यूनिट केवल खाद्यान्नों तक ही सीमित रहेंगे अथवा उनके अन्तर्गत अन्य उद्योगों का विस्तार भी होगा ?

†**श्री ब० स० मूर्ति :** जहां तक संभव होगा, सभी उद्योगों को उसके अन्तर्गत लिया जायेगा ।

†**श्री रघुवीर सहाय :** मैं यह जानना चाहता हूं कि सामुदायिक विकास क्षेत्रों में सहकारी संस्थाओं से काम के बारे में क्या अनुभव रहा है । क्या यह सत्य नहीं है कि इनकी अवस्था बड़ी शोचनीय रही है और कार्य आशा के अनुसार नहीं हुआ । इससे लोगों का विश्वास कुछ हिल गया है ? इन संस्थाओं के कार्य सम्बन्धी लोगों में पुनः विश्वास उत्पन्न करने के लिये क्या किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**अध्यक्ष महोदय :** यह सामान्य प्रश्न है ।

†**श्री ब० स० मूर्ति :** पता नहीं माननीय सदस्य का 'लोगों का विश्वास हिलने' से क्या तात्पर्य है । क्या यह सहकारिता के सम्बन्ध में है अथवा विस्तार खंडों के सम्बन्ध में ?

†**अध्यक्ष महोदय :** उनका उल्लेख सहकारिता सम्बन्धी कार्य से था । यह सामान्य प्रश्न है । कुछ सहकारी संस्थाओं के सम्बन्ध में प्राय: शिकायत रही है और कई प्राय: बधाई की पात्र बनती रही हैं ।

जल परिवहन निगम

†*७३७. **श्री अरविन्द घोषाल :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा में नौपरिवहन के लिये कोई जल परिवहन निगम की स्थापना की गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो इसमें कितने राज्य सम्मिलित हो रहे हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री अरविन्द घोषाल :** क्या सरकार इस प्रकार के निगम का इसलिये निर्माण करने जा रही है, क्योंकि गैर-सरकारी समवाय बहुत भारी नफा कमा रहे हैं परन्तु न तो वह नदी तल से मिट्टी निकालने का काम करते हैं और नहीं पुराने जहाजों को ही बदलते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** मंत्री महोदय 'न' कह चुके हैं और माननीय सदस्य सरकार को इस पर अमल करने का सुझाव दे रहे हैं ।

†**श्री राज बहादुर :** जो भी जानकारी उपलब्ध है, उस आधार पर मैंने 'न' कहा है । गैर-सरकारी समवाय भारी नफा नहीं कमा रहे हैं । जहां तक बिहार सेवा का सम्बन्ध है, उसके बारे में ऐसा ही कहा जाता है ।

रिन्डरपैस्ट

*७३८. **श्री पद्म देव :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें विदित है कि हिमाचल प्रदेश में हर वर्ष पशुओं में रिंडरपैस्ट की बीमारी फैलती है और उससे बहुत हानि होती है ; और

(ख) सरकार ने इस बीमारी को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) और (ख) सभा-पटल पर एक विवरण रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८३]**

श्री पद्म देव : मैं जानना चाहता हूं कि हिमाचल के दूर के इलाकों में जहां डाक्टरों का जाना एकदम सम्भव नहीं है, क्या लोगों को प्रिकाशनरी मेजर के तौर पर किसी किस्म की सुविधायें प्रदान की गई हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

डा० पं० शा० देशमुख : यह सवाल तो रिंडरपेस्ट के इनाकुलेशन के बारे में है। जेनरल इन्तजाम क्या है यह मैं नहीं कह सकता ।

श्री पद्म देव : मैंने तो इस बीमारी के फैलने के बारे में प्रश्न किया था । वहां यह फैलती है और पंचवर्षीय योजना में उसके इनाकुलेशन का बेशक प्रबन्ध किया गया है। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं बीमारी के फैलने से पहले क्या लोगों को इस किस्म की शिक्षा दी गई है जिससे वे लोग डाक्टरों के पहुंचने से पहले स्वयं भी इस बीमारी की कुछ रोक थाम कर सकें ?

†**डा० पं० शा० देशमुख :** १९५८ से पूर्व से हिमाचल प्रदेश में रिंडरपेस्ट नहीं फैला। परन्तु इसके फैलने के परिणामस्वरूप २ लाख ६९ हजार रुपये की एक योजना स्वीकृत की गई। इसके लिये कुल ९ लाख ७ हजार की संख्या में इनाकुलेशन करना है। १ लाख ६८ हजार दिसम्बर, १९५८ तक हो चुके हैं।

ड्यूडोनल और गैस्ट्रिक अल्सर

†*७४०. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस में बाम की शक्ल में एक औषधि तैयार की गई है जो ड्यूडोनल और गैस्ट्रिक अल्सर को तीन सप्ताहों में ठीक कर देती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या एसी औषधि भारत में आई है ;

(ग) यदि हां, तो क्या भारत में किसी प्राधिकार द्वारा उसके प्रभाव का परीक्षण किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका परिणाम क्या निकला है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) से (घ). सरकार को इस औषधि की कोई सूचना नहीं है ।

†**श्री श्रीनारायण दास :** क्योंकि इस सम्बन्ध में भारतीय समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित हुआ था, अतः मैं जानना चाहता हूं कि इसकी कोई जांच की गयी है ?

†**श्री करमरकर :** हां, हम ने इस संबंध में अपने मास्को स्थित दूतावास को लिखा है, और आशा है कि कुछ समय तक जानकारी प्राप्त हो जायेगी ।

विमान निगमों का विलय

+

†*७४३. { **श्री खुशवक्त राय :**
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'एयर इंडिया इंटरनेशनल' और 'इंडियन एयर लाइन्ज़ कारपोरेशन' के विलय का प्रश्न भारत सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ; और

(ग) कब तक अन्तिम निर्णय हो जाने की आशा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) दो निगमों के विलय का प्रश्न इस समय तो विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

श्री खुशवक्त राय : क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इसका अमलगेमेशन (एकीकरण) करने की जरूरत है या नहीं ?

श्री मुहीउद्दीन : जरूरत के ऊपर आइन्दा गौर किया जायेगा। जब मुमकिन हुआ तो कोशिश की जायेगी कि अमलगेमेशन किया जाये। लेकिन इस वक्त मौजूदा हालत में यह मसला जेरे गौर नहीं है।

†**श्री नाथ पाई** : प्राक्कलन समिति ने बड़ी जोरदार सिफारिश की है कि दोनों को एकीकृत कर दिया जाये। प्राक्कलन समिति की उस सिफारिश को देखते हुए, हम यह जानना चाहते हैं कि इसे स्वीकार और कार्यान्वित करने में क्या कठिनाइयां हैं, और क्या यह सच है कि ऋण के सम्बंध में जो वार्ता हुई थी उस में यह भी तय हुआ था कि निगमों को एकीकृत नहीं किया जायेगा ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : यह तो अपनी अपनी राय की बात है कि प्राक्कलन समिति ने एकीकरण की जोरदार सिफारिश की है या नहीं।

†**श्री नाथ पाई** : नरमी से सिफारिश की है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : सच तो यह है कि समिति ने एकीकरण की सिफारिश की है, और उसने यह भी सुझाव दिया है कि यदि एकीकरण मुमकिन न हो तो उसके बदले क्या किया जाये।

प्रश्न के दूसरे भाग के संबंध में, यह सच है कि एयर इंडिया इन्टरनेशनल ने जब विश्व बैंक से ऋण की बात चलाई थी तो, विश्व बैंक ने यह शर्त रखी थी कि ऋण लेने वाले निगम को किसी दूसरे निकाय में संविलित नहीं किया जाना चाहिये, या उस में कोई और परिवर्तन नहीं करना चाहिये। विश्व बैंक हमेशा ही ऋण देने के समय यह शर्त रखता है।

†**श्री जाधव** : समाचार पत्रों की इस सूचना में कितनी सचाई है कि १९६५ तक यह एकीकरण नहीं किया जायेगा ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : यदि सरकार अनुमोदन नहीं करेगी तो १९६५ तक एकीकरण नहीं होगा।

†**श्री राजेन्द्र सिंह** : गत वर्ष मैंने एक प्रस्ताव पेश किया था, और उस प्रस्ताव संबंधी चर्चा के दौरान में मैंने माननीय मंत्री से पूछा था कि वह इन दोनों निगमों का एकीकरण करने वाले हैं या नहीं। उसका उत्तर देते हुए, उन्होंने कहा था कि उनका कोई भी पूर्वाग्रह नहीं है, न पहले से कोई बनी-बनाई धारणा है और वह प्रश्न पर विचार कर रहे हैं और वर्ष के अन्त तक वह किसी एक निर्णय पर पहुंचने की आशा करते हैं। लेकिन, अब तो उनका कोई एक निर्णय होने से पहले ही विदेशी शक्तियों के साथ समझौता कर लिया गया है कि एकीकरण नहीं किया जायेगा। मैं जानना........

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को यह कैसे पता लगा कि माननीय मंत्री ने कोई भी निर्णय नहीं किया है ?

†**श्री राजेन्द्र सिंह** : मैं एक बड़ी ही महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में सूचना मांग रहा हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** हो सकता है कि चीज़ बड़ी ही महत्वपूर्ण हो। माननीय मंत्री ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया है दोनों का एकीकरण करने का कोई विचार नहीं है। और जब तक कोई निर्णय नहीं हुआ तब तक अन्य कोई समझौता कैसे किया जा सकता है ?

†**श्री राजेन्द्र सिंह :** यही तो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि हमें जब-तब बताया जाता है..........

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न क्या है ?

†**श्री राजेन्द्र सिंह :** यह कि सरकार कहती है जब वह विदेशों से ऋण लेती है, तो उन ऋणों के पीछे कोई शर्तें या विदेशी हित नहीं होते। लेकिन यह उदाहरण तो स्पष्टतया उस से भिन्न बात सिद्ध करता है।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह तो अपनी-अपनी राय की बात है।

†**श्री जोकीम आल्वा :** यदि विदेशी ऋणदाताओं ने इन दो निगमों के एकीकरण में अड़चनें पदा कर दी हैं, तो क्या ये दोनों निगम विमान-चालकों के प्रशिक्षण, प्रचार, भोजन-व्यवस्था और अधिकारियों के वेतन तथा भत्तों के मामलों में भी एक साथ मिलकर काम नहीं कर सकते ? उस में क्या अड़चनें हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल) :** मैं तो इसे अड़चन नहीं समझता यह उत्तर दिया जा चुका है कि जब हम कोई ऋण लेते हैं, तो ऋणदाता और ऋण लेने वाल, का अस्तित्व, दोनों का रूप बना रहना चाहिये। इसको किसी विदेशी शक्ति का हित नहीं माना जा सकता। वह ऐसा कुछ नहीं है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या ऋण की शर्तों को अन्तिम रूप देने से पहले निगम ने सरकार से परामर्श किया था ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** जी, हां। सरकार के अनुमोदन के बाद ही ऋण लिया गया था, सिर्फ परामर्श के बाद नहीं।

उर्वरक

+

†*७४४. { **श्री श० च० गोडसोरा :**
काज़ी मतीन :
श्री इगनेसबेक : }

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री सभा-पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में निम्न जानकारी दी गई हो :

(क) १९५८-५९ में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा व्यादेशित विभिन्न उर्वरकों की अलग-अलग मात्रा ;

(ख) इस मांग की पूर्ति के लिये आयात किये और स्थानीय रूप से तैयार किये उर्वरकों की सुलभ मात्रा ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या मांग और पूर्ति में कोई अन्तर है ; और

(घ) यदि हां, तो खाद्यान्नों के उत्पादन तथा व्यापारिक फसलों की खेती पर उसका क्या प्रभाव पड़ा पड़ेगा ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) तथा (ख). मंत्रालय द्वारा जिनके संभरण का प्रबन्ध किया जाता है, उन नाइट्रोजनीय उर्वरकों के सम्बन्ध में दो विवरण लोक-सभा पटल पर रखे जाते हैं ।

(ग) जी, हां ।

(घ) अधिक सम्भरण होने से खाद्यान्नों और व्यावसायिक फसलों का उत्पादन और भी बढ़ जाता ।

श्री श० च० गोडसोरा : विवरण से पता चलता है कि ६,८६,९२२ टन उर्वरकों की कमी पड़ती है । इस कमी को दूर करने के लिये क्या किया गया है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : विवरण में दिखाया गया है कि हम ने विदेशों से साढ़े चार लाख टन के आयात का प्रबन्ध किया है । अभी तक इस से अधिक कुछ नहीं किया जा सका है । हमने सम्भरण बढ़ाने का यथाशक्ति प्रयास किया है ।

†**श्री श० च० गोडसोरा** : क्या राज्य सरकारों ने इन उर्वरकों के कम सम्भरित होने की या उर्वरकों की किस्म उन क्षेत्रों में लोकप्रिय न बन पाने की शिकायतें की थीं ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : उर्वरकों की किस्म के बारे में तो ऐसी कोई ज्यादा शिकायतें नहीं आईं थीं । हां, ऐसी शिकायतें अवश्य आई थीं कि उतनी मात्रा से उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो पातीं ।

†**श्री वेंकटा सुब्बैया** : विदेशों से आयात किये जाने वाले और देश में तैयार किये जाने वाले उर्वरकों के मूल्यों में कितना अन्तर रहता है ? यदि अन्तर रहता है, तो उस पर कितनी राशि व्यय की गई है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : मूल्यों में अन्तर होता है । यह सही है कि आयात किये हुए उर्वरक देश में ही तैयार किये गये उर्वरकों से सस्ते पड़ते हैं, लेकिन दोनों को एक साथ मिला दिया जाता है ।

†**श्री तंगामणि** : विवरण देखने से पता चलता है कि आन्ध्र और मद्रास राज्यों में से प्रत्येक ने १,४०,००० टन सल्फेट आफ एमोनिया मांगा था, लेकिन उन्हें पूरी मात्रा नहीं मिली । उनकी मांग बढ़ती जा रही है । क्या अब अगले वर्ष उनको अपनी पूरी मांग के अनुसार उर्वरक मिलेंगे ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : हमें किसी हिसाब से ही बंटवारा करना पड़ता है । मांगें तो सम्भरण से अधिक होती हैं, इसी लिये हम प्रत्येक राज्य की आवश्यकताओं का ध्यान रखने का प्रयास करते हैं ।

†**श्री रंगा** : क्या सरकार को मालूम है, या उसे राज्यों से कोई सूचना मिली है कि उर्वरकों की मांग तेजी से बढ़ने और सम्भरण की कमी के कारण इन उर्वरकों को एक बड़े पैमाने पर काले-बाजार में बेचा जा रहा है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : जी, हां; हमारे पास शिकायतें आई हैं कि कुछ राज्यों से यह उर्वरक आन्ध्र और मद्रास राज्य में पहुंच जाते हैं, जहां कि मांग बहुत ज्यादा है और जो अधिक मूल्य देने को तैयार रहते हैं । ऐसी भी शिकायतें आई हैं कि वितरण में भी बड़ी मुनाफेखोरी की जाती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दासप्पा :** जब यह स्पष्ट है कि उर्वरकों के आयात से खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ता है, तो फिर खाद्यान्नों का आयात न करके उर्वरकों को भी अधिक आयात की नीति क्यों नहीं अपनाई जाती ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन):** विदेशी मुद्रा के अपने संसाधनों के मुताबिक हम उर्वरकों का अधिक से अधिक जितना भी आयात कर सकते थे, हम ने किया है। लेकिन एक का स्थान दूसरा तो नहीं ले सकता। खाद्यान्नों का अधिकांश आयात पी० एल० ४८० के अन्तर्गत किया जाता है, और उसके लिये हमने विदेशी मुद्रा में अदायगी नहीं करनी पड़ती। उसके लिये हम भारतीय मुद्रा में अदायगी करते हैं और वह भी कई वर्षों में। दूसरी ओर उर्वरकों के आयात के लिये तो तुरंत और वह भी विदेशी मुद्रा में अदायगी करनी पड़ती है।

†**श्री जयपाल सिंह :** जो भी राज्य उर्वरकों का अधिक उपयोग करते हैं, उनको अधिक मात्रा दी जाती है और जो खेती की दृष्टि से पिछड़े हुए राज्य हैं उन को कम मात्रा में उर्वरक दिये जाते हैं। माननीय मंत्री ने स्वीकार किया है कि इस से उर्वरक काले बाज़ार में पहुंच जाते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि राज्यों की मांगों की काट छांट किस आधार पर की जाती है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख :** राज्यों के साथ बातचीत कर के, उनकी पिछली खपत के आधार पर।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि आप किसी राज्य विशेष की आवश्यकता का मूल्यांकन किस आधार पर करते हैं। क्या सिर्फ़ यह देख कर कि राज्य की आवश्यकता कितनी है या इस आधार पर कि उस राज्य में कृषि का क्षेत्र कितना है और उस ने पहले कितने उर्वरक की मांग की थी ?

†**डा० पं० शा० देशमुख :** इन सभी चीज़ों को देख कर, वहां होने वाली कुल फ़सल, पिछली सफलताओं, उर्वरकों की लोक प्रियता, इत्यादि को देख कर।

†**श्री मं० रं० कृष्ण :** चूंकि सरकार चीनी ढंग की खेती को अपनाना चाहती है, इसलिये क्या उसने यह अनुमान लगा लिया है कि उस ढंग की खेती में उर्वरकों की कितनी अतिरिक्त मात्रा की आवश्यकता पड़ेगी ?

†**डा० पं० शा० देशमुख :** मैं आपको बता दूं कि खेती का चीनी ढंग जैसी कोई चीज़ नहीं है। हां, एक दो बातों में चीनियों के अपने कुछ तरीक़े हैं, और हम उनका परीक्षण करना चाहते हैं। उसकी तुलना खेती के जापानी ढंग से बिलकुल नहीं की जा सकती। मैं तो यही समझता हूं कि चीनी लोग गहरी जोताई और अधिक बीज़ों का प्रयोग—इन दो चीजों का परीक्षण कर रहे हैं। उनका दावा है कि इस में उन्हें भारी सफलता मिली है। हम भी इन्हीं का परीक्षण करेंगे। जापानी खेती के ढंग से इसकी कोई तुलना है नहीं की जा सकती।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि, ढंग जो भी हो, क्या उस में उर्वरकों का उपयोग ज्यादा होगा ?

†**डा० पं० शा० देशमुख :** जी, हां। इन सभी ढंगों में उर्वरक ज्यादा लगेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज

†*७४७. **डा० सुशीला नायर** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज के प्रशासन बोर्ड को समाप्त कर कालेज के सीधे भारत सरकार द्वारा चलाए जाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली विश्वविद्यालय ने उस प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) दिल्ली विश्वविद्यालय के अनुमोदन की कोई आवश्यकता नहीं है ।

†**डा० सुशीला नायर** : क्या मंत्रालय शैक्षणिक संस्थाओं का मंत्रालयिक स्तर से चलाया जाना उचित समझता है ?

†**श्री करमरकर** : मैंने बताया कि अभी वह प्रस्ताव विचाराधीन है । परन्तु मैं माननीय सदस्या और सदन को बता देना चाहता हूं कि प्रत्यक्ष भारत सरकार की वित्तीय सहायता के अन्तर्गत दिल्ली में तीन अस्पताल हैं—लेडी हार्डिंग, सफदरजंग और विलिंगडन । तीन शैक्षणिक संस्थायें—लेडी रीडिंग हैल्थ स्कूल, नर्सिंग कालेज और लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज—भी प्रायः भारत सरकार के वित्त से चल रही हैं ।

अब हम यह मालूम करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि क्या इन समस्त संस्थाओं के एकीकरण से हम चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में अधिक कुशल कार्य चालन का विकास कर सकते हैं ।

दूसरे, लेडी हार्डिंग कालेज के कर्मचारी केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में नहीं आते हैं जिस के परिणामस्वरूप उनके लिए उन्नति के वे मार्ग खुले हुए नहीं हैं जो केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के सदस्यों को प्राप्त हैं । इसलिए एक तो अधिक कुशल चिकित्सा शिक्षा की व्यवस्था करने और दूसरे कालेज के कर्मचारियों के लिए भावी उन्नति के मार्ग खोलने की दृष्टि से इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ।

†**डा० सुशीला नायर** : क्या यह ठीक नहीं है कि देशमें पटेल चैस्ट जैसी अन्य संस्थायें भी हैं जिनका वित्तपोषण पूर्णतः भारत सरकार द्वारा किए जाने पर भी उनके अलग प्रशासकीय बोर्ड हैं ? दूसरे, क्या यह सच नहीं है कि शिक्षा का विषय ....

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्या यह कहना चाहती हैं कि सरकार को पृथक बोर्ड क्यों नियुक्त करना चाहिए । माननीय मंत्री ने बताया दिया है कि वह क्या कर रहे हैं ।

†**श्री करमरकर** : हां, श्रीमान् मैं जो कुछ बता सकता था वह मैंने बता दिया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब इस मामले में तर्क करने से क्या लाभ है । मतभेद हो सकता है । माननीय मंत्री यह सोचते हैं कि सरकार के प्रबन्ध के अन्तर्गत ही उन कर्मचारियों को अन्य कर्मचारियों के समान बनाया जा सकता है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : इन संस्थाओं के नियंत्रण के लिए प्रशासकीय व्यवस्था किस प्रकार की है ?

†**श्री करमरकर** : वर्तमान व्यवस्था पूर्त धर्मस्व अधिनियम के अन्तर्गत है । यदि सरकार अन्त में वैसा निर्णय करती है तो हमें कालेज के लिए एक मंत्रणा बोर्ड बनाना होगा जो हमें कालेज के चालन के संबंध में परामर्श देगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

तांबे के तार की चोरी

+

†*७५१. { श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० च० माझी :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९५८ में तांबे के तार की चोरी में कुछ वृद्धि हुई है ;

(ख) इस अवधि में ऐसे कितने मामलों का पता लगाया गया और कितना तार बरामद किया गया ;

(ग) क्या यह सच है कि चोरियों का तुरन्त और सही पता लगाने के लिये "फाल्ट लोकेटर" नामक एक विद्युत् युक्ति चालू की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इस विधि द्वारा १९५८ में कितने मामलों का तथा किन राज्यों से पता लगा है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)**: (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८५**]

†**श्री स० चं० सामन्त** : ६७७ मामलों में चोरियों के स्थान का पता फाल्ट लोकेटर्स की सहायता से लगाया गया । क्या इन लोकेटर्स का व्यापक प्रयोग समस्त देश भर में किया गया है ?

†**श्री स० का० पाटिल**: मैं ऐसा तो नहीं कहता कि व्यापक प्रयोग किया जाता है परन्तु हां, हम उसका अधिकाधिक प्रयोग कर रहे हैं ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : तांबे के तार की चोरी रोकने के लिए सरकार और क्या कदम उठायेगी ?

†**श्री स० का० पाटिल** : हम सुरक्षा का प्रबन्ध कर रहे हैं । इसके लिए राज्य सरकारों को धन दिया जा रहा है और इसी प्रकार के अन्य कार्य किए जा रहे हैं ।

†**श्री तंगामणि** : चोरी के ४५४३ मामलों का पता लगा और १८६ टन तार बरामद हुआ । मैं जानना चाहता हूं कि बरामद हुए तार का मूल्य कितना है और उस तार का मूल्य कितना है जो चोरी गया परन्तु बरामद नहीं हुआ ?

†**श्री स० का० पाटिल** : मेरे पास मूल्य संबंधी अंक नहीं हैं और यदि माननीय सदस्य प्रश्न की सूचना दें तो वह जानकारी दे दी जायेगी ।

†**श्री तंगामणि** : बरामद हुए १८६ टन तांबे के तार का मूल्य तो बताया ही जा सकता है ।

†**श्री स० का० पाटिल** : मेरे पास अंक नहीं हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्नों के लिखित उत्तर

रेलगाड़ियों का चालन समय[1]

†*७२६. { श्री नागी रेड्डी :
श्रीमती पार्वती कृष्णन् :
श्री रामी रेड्डी : }

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समस्त रेलों में किसी जंकशन और उसके पिछले स्टेशन के बीच का चालन समय सामान्यतः बढ़ा दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस परिवर्तन में कुल कितना अतिरिक्त व्यय होगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

वातानुकूलित गाड़ियां

*७२८. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ अन्य मार्गों पर वातानुकूलित गाड़ियां चलाने के लिये कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) क्या सरकार वातानुकूलित गाड़ियों के तीसरे श्रेणी के डिब्बों में दूर की यात्रा करने वाले यात्रियों को अधिक सुविधायें देने पर विचार कर रही है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). अभी नहीं ।

केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन

†*७३५. **श्री थानुलिंगम नादर** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार समय समय पर केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन के खातों की जांच और स्टोर का देख देख कर सत्यापन करती है ;

(ख) क्या वर्ष १९५१ में ऐसा कोई सत्यापन किया गया था और सरकार को कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था ;

(ग) क्या वर्ष १९५१ अथवा उससे पहले वर्ष में गबन का कोई मामला सरकार की जानकारी में लाया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार को उस से कितने की हानि हुई थी और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). जी, हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Running Time of Trains.

(ग) जी हां, ७ मामले ।

(घ) सरकार को २७,१३५ रुपए की हानि हुई थी । ये मामले पुलिस को सौंप दिये गये थे और ग़बन के लिए जिम्मेदार दो व्यक्तियों को न्यायालयों द्वारा दंडित किया गया है । ४ अधिकारियों को पर्यवेक्षण न करने के कारण विभागीय दंड दिया गया ।

हावड़ा और बर्दवान के बीच बिजली की गाड़ी के डिब्बों को क्षति

†*७३६. **श्री सुबिमन घोष** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व रेलवे में हावड़ा और बर्दवान के बीच चलने वाले विद्युत चालित रेलगाड़ी के डिब्बों के सीट कवर काटे जाने, फोम रबर की गद्दियों में छेद किए जाने और मोम की पालिश की गई साइड़ों के खराब किए जाने के कारण रेलवे को बहुत नुकसान हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो नुकसान का अनुमान क्या है;

(ग) क्या इन डिब्बों के सामान के चुराये जाने की कोई घटना हुई है ; और

(घ) इस प्रकार की बातों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठाने का विचार कर रही है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) हां, श्रीमान् । रेलवे को कुछ नुकसान हुआ है ।

(ख) लगभग ६२५ रुपए ।

(ग) हां, श्रीमान् ।

(घ) निम्नलिखित कदम उठाए गये हैं :—

(१) विभिन्न चुनी हुई गाड़ियों की रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों द्वारा रक्षा ।

(२) शेड और स्टेब्लिंग यार्डों में प्रथम श्रेणी के डिब्बों को ताले से बन्द रखना ।

खाद्यान्नों का आयात

†*७३९. **श्री पांगरकर** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर १९५८ और १९५९ के बीच खाद्यान्नों के आयात के लिए कोई नए करार किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो ये करार किन-किन देशों के साथ किए गए हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पशुओं का उत्पादन तथा पशु उत्पाद-पदार्थ

†*७४१. **श्री वे० प० नायर :** क्या **सामुदायिक विकास और सहयोग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार की सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों में पशुओं का उत्पादन तथा पशु उत्पाद-पदार्थ बढ़ाने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो इस के लिये क्या लक्ष्य निश्चित किया गया है ; और

(ग) इस बढ़े हुए उत्पादन के लिए कितने प्रशिक्षित व्यक्ति कार्य कर रहे हैं ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहयोग मंत्री के सभासचिव (श्री ब० स० मूर्ति) :** (क) जी हां। पशुओं के उत्पादन और पशु उत्पाद-पदार्थों का उत्पादन बढ़ाने के लिये खाद्य और कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है और इस के क्रियान्वयन के लिये खंड क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जायेगी। कृषि और पशु चिकित्सा के लिये खंडों के आय-व्ययक में जिस धन की व्यवस्था की गई है वह भी इस प्रयोजनार्थ उपयोग की जायेगी।

(ख) खंड क्षेत्रों के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है ;

(ग) इस योजना सम्बन्धी आय-व्ययक में प्रत्येक खंड के लिये एक विस्तार पदाधिकारी (पशुचिकित्सा) तथा दो पशुविशेषज्ञों की व्यवस्था की गई है।

दीघा में हवाई पट्टी

†*७४२. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती:** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार ने दीघा में एक छोटी हवाई पट्टी बनाने के लिये एक निजी हवाई कम्पनी को आज्ञा दी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या असैनिक उड्डयन के महानिदेशक ने इसके लिये आज्ञा दे दी है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) :** (क) जी हां।

(ख) एक हवाई अड्डा बनाने के लिये असैनिक उड्डयन के महानिदेशक की पूर्वाज्ञा की आवश्यकता नहीं है।

शरावती जलविद्युत परियोजना

†*७४५. **श्री वोडियार :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री १ दिसम्बर १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ४१४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उसके बाद से शरावती जलविद्युत की योजना को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर लिया गया है ; और

(ख) इसके लिये मशीन आदि का आयात करने के लिये आवश्यक विदेशी मुद्रा की व्यवस्था कर ली गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी नहीं । वित्त मंत्रालय ने इस परियोजना को सिद्धान्त रूप से क्रियान्वित करना स्वीकार कर लिया है ।

(ख) अभी तक विदेशी मुद्रा तो प्राप्त नहीं हुई है किन्तु वर्तमान योजना काल में विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का पूरा प्रयत्न किया जायेगा ।

गोहाटी पत्तन

†*७४८. **श्री बसुमतारी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोहाटी में एक पत्तन बनाने के बारे में आसाम सरकार ने कोई प्रस्ताव रखा है ; और

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

कृमिनाशक पदार्थों की मांग

†*७४९. **श्री सिद्धनंजप्पा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कृमिनाशक पदार्थों की वार्षिक मांग कितनी है ;

(ख) इस में कितनी मांग की पूर्ति देश में ही पूरी हो जाती है ; और

(ग) कितनी मांग की पूर्ति विदेशों से पूरी की जाती है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) कृषि के लिये कृमिनाशक पदार्थों की मांग बराबर बढ़ रही है। १९५७ में यह मांग १०,२०० टन थी। १९५८ के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन १९५७ की अपेक्षा यह मांग २० परसेंट अधिक है ।

(ख) ९० प्रतिशत से अधिक मांग की पूर्ति देश में ही हो जाती है ।

(ग) लगभग १० प्रतिशत कृमिनाशक पदार्थ चाय बागानों के लिये विदेशों से मंगाया जाता है ।

दिल्ली में दुग्ध पाउडर की बिक्री

†*७५०. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हजारों मन दुग्ध पाउडर मुरादनगर से दिल्ली में लाया जाता है, और यह शुद्ध दूध के रूप में बेचा जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) दिल्ली निगम से इस सम्बन्ध में जो प्रतिवेदन मिला है उससे प्रकट है कि मुरादनगर से दुग्ध पाउडर का आयात देखने में नहीं आया ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिन्दुस्तान शिपयार्ड में जहाजों का निर्माण

†*७५२ { **श्री राम कृष्ण :**
श्री कोडियान :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री अरविंद घोषाल : }

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या तीव्र गति वाला तथा आधुनिकतम डिज़ाइन का कार्गो जहाज़ बनाने की योजना हिन्दुस्तान शिपयार्ड की है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना में कितने कार्गो जहाज़ बनाने का विचार है ;

(ग) क्या इसके लिये विदेशी प्रविधिक विशेषज्ञ रखे गये हैं ;

(घ) क्या एक जर्मन सार्थ से भी कोई समझौता किया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसकी विस्तृत बातें क्या हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) जी हां।

(ख) नौ ।

(ग) जी हां ।

(घ) तथा (ङ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

हिन्दुस्तान शिपयार्ड और मैसर्स लुबेकर-फ्लेन्डर वर्क्स, पश्चिमी जर्मनी के बीच एक करार हुआ है, जिसके अनुसार पिछला पक्ष शीपयार्ड को विशेषज्ञ प्रविधिक परामर्श, सामान्य-रूप से तथा लुबेकर प्रणाली के जहाज़ों का निर्माण करने में विशेष रूप से जो कि आजकल शिपयार्ड में बनाये जा रहे हैं, देने के लिये तैयार है। लुबेकर यार्ड ने इन जहाजों की डिजाइन और रूप रेखा भेज दी है। इस प्रबन्ध के अनुसार मैसर्स लुबेकर ने अपने मुख्य रूपांकन कर्ता श्री एच० एच० थियसन को भेज दिया है जो हिन्दुस्तान शिपयार्ड में मई १९५८ से प्राविधिक परामर्शदाता के रूप में कार्य कर रहे हैं। उन्हें आयकर से मुक्त ४७५० रुपये प्रतिमास वेतन दिया जा रहा है। हिन्दुस्तान शिपयार्ड द्वारा लुबेकर यार्ड से शीघ्र ही एक औपचारिक करार किया जाने वाला है ।

दिल्ली में चेचक

†*७५४. **श्री वाजपेयी :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस वर्ष दिल्ली में फैली चेचक के बारे में प्रकाशित समाचार-पत्रों की खबरों को देखा है ;

(ख) यदि हां, तो दिसम्बर १९५८ और जनवरी १९५९ में कितने मामले हुए ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इस पर नियंत्रण पाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) जी हां।

(ख) दिसम्बर १९५८ में ३८ और जनवरी १९५९ में ४६ मामलों की सूचना मिली है।

(ग) जानकारी बताने वाला विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिय परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८६]**

हिन्दुस्तान शिपयार्ड में जहाजों का त्रुटिपूर्ण निर्माण

†*७५५. { **श्री नागी रेड्डी :**
श्रीमती पार्वती कृष्णन् :
श्री वासुदेवन् नायर : }

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २७ नवम्बर १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २६३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान शिपयार्ड में त्रुटिपूर्ण रूपांकन और निर्माण के लिए ए० सी० एल० से रुपये लेने के सम्बन्ध में तब से कुछ प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या परामर्शदाताओं द्वारा की जाने वाली भूलों और कार्यों से होने वाली हानि को प्राप्त करने के लिये मूल करार में कोई शत रखी गई थी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) मैसर्स ए० सी० एल०, पेरिस से इस सम्बन्ध में बातचीत चल रही है।

(ख) जी नहीं ।

उड़ीसा में फालतू चावल

†*७५६. **श्री अरविन्द घोषाल:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में इस वर्ष कितने चावल के फालतू होने की आशा है ; और

(ख) इसका किस प्रकार से और किस मूल्य पर समाहार और वितरण किया जायेगा ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) लगभग ४ लाख टन चावल।

(ख) सामान्य औसत दर्जे का चावल रेल हैड स्थानों पर राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त एजेंटों के द्वारा निम्नलिखित दरों पर खरीदा जा रहा है :

चावल की किस्म	मूल्य प्रति मन
मामूली .	१५ रुपये
बढ़िया .	१५ रुपये ८१ नये पैसे।
बहुत बढ़िया	१७ रुपये ।

†मूल अंग्रेजी में

इस प्रकार प्राप्त किया गया चावल या तो भारत सरकार द्वारा कमी वाले राज्यों में वितरण के लिये ले लिया जायगा अथवा उड़ीसा सरकार द्वारा राज्यों में निम्नलिखित दरों पर वितरित कर दिया जावेगा :—

चावल की किस्म	मूल्य प्रति मन
मामूली	१८ रुपये ।
बढ़िया	१९ रुपये ६० नये पैसे
बहुत बढ़िया	२१ रुपये ६० नये पैसे

बारसाट-बसिरहाट रेलवे

†*७५७. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या रेलवे मंत्री १० सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ११३१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार ने बारसाट-बसिरहाट बड़ी लाइन बनाने के लिये अपेक्षित भूमि का कब्जा रेलवे को दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो निर्माण-कार्य कब आरम्भ हो जायेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) परती और कृषि योग्य ६८९.८२६ एकड़ भूमि में से ६८४ एकड़ भूमि और बगीचे लगी ९६.०९ एकड़ क्षेत्रावास भूमि में से २०.६२५ एकड़ भूमि अब तक रेलवे को दी जा चुकी है ।

(ख) पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा क्षेत्रावास भूमि समेत समूची भूमि का कब्जा रेलवे को दिये जाते ही निर्माण-कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा ।

रेलवे लाइन पर बम

†*७५८. { **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २१ जनवरी, १९५९ को मध्य रेलवे पर झांसी से लगभग १६ मील दूर बबीना स्टेशन के समीप रेलवे लाइन पर एक बम पाया गया ;

(ख) क्या यह भी सच है कि जिस समय बम पाया गया तब ही रेलवे लाइन पर दिल्ली आने वाली ५ डाउन पंजाब मेल गुजरने वाली थी ;

(ग) यदि हां, तो बम के पाये जाने के बारे में क्या व्यौरा है ;

(घ) क्या कोई जांच की गयी है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) से (ग). यह बम नहीं था। परन्तु मिलिटरी टैंक गन द्वारा छोड़ी गयी गोली थी। यह २१-१-५९ नहीं बल्कि १७-१-५९ को बबीना स्टेशन के बाहरी सिगनल के समीप निचली लाइन से ५, ७ फुट दूर पड़ी पायी गयी। इस में कोई विस्फोटक पदार्थ नहीं था और यह बिल्कुल हानि रहित थी। पूर्वोपाय के तौर पर ५ डाउन पंजाब मेल को ३० मिनट तक रोका गया तत्काल ही सेना प्राधिकारियों को सूचित कर दिया गया और उन्होंने इसको हटा दिया।

(घ) और (ङ). इस घटना के सम्बन्ध में कोई जांच करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि सेना और पुलिस ने उपरोक्त बात की पुष्टि की थी।

मैसूर राज्य में सब मौसमों के लिये उपयुक्त बन्दरगाह

†*७५९. **श्री वोडयार** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य में सब ऋतुओं में प्रयोग के लिये उपयुक्त बन्दरगाह के रूप में विकास करने के लिये किसी पत्तन को चुना गया है ; और

(ख) यदि हां, तो पत्तन का क्या नाम है और उस पर अभी कितना काम किया गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राजबहादुर)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

औषधियों की सिद्ध पद्धति

†*७६०. { **श्री वें० प० नायर** :
श्री तंगामणि :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण भारत में प्रचलित औषधियों की सिद्ध पद्धति से तैयार की गयी भेषजों और औषधियों में गवेषणा करने और उनके प्रमापीकरण के लिये केन्द्रीय सहायता से एक संस्था स्थापित करने के लिये मद्रास के किसी गैर-सरकारी संगठन अथवा राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

दशमिक सैल[1]

†*७६१. **श्री राम कृष्ण** : क्या **रेलवे** मंत्री २१ नवम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २२० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न ज़ोनल रेलवे में दमशिक सैलों की स्थापना करने के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1] Metric cell.

370 (Ai) L.S.D.—3

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : दशमिक प्रणाली में परिवर्तन के लिये ब्यौरेवार योजना बनाने के लिये ज़ोनल रेलवे / उत्पादन यूनिटों में न्यष्टि दशमिक सैल स्थापित कर दिये गये हैं ।

चिकित्सा संस्थाओं में नियुक्त डाक्टरों द्वारा प्राइवेट प्रेक्टिस

†*७६२. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री राजेन्द्र सिंह :
डा० सामन्तसिंहार :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियंत्रित और विभिन्न राज्यों में संस्थाओं में नियुक्त डाक्टरों को प्राइवेट प्रेक्टिस करने से रोकने के बारे में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या भारत सरकार ने इस बारे में राज्य सरकारों को कोई नया परामर्श दिया है ; और

(ग) प्रस्तावों को क्रियान्वित करने के लिये यदि कोई वित्तीय सहायता दी गयी है, तो वह क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख) स्वास्थ्य मंत्रालय के नियंत्रणाधीन मेडिकल कालिज और अस्पतालों में नियोजित डाक्टरों को प्राइवेट प्रेक्टिस करने की आज्ञा नहीं दी जाती है । राज्य सरकारों और विश्व विद्यालयों के नियंत्रणाधीन मेडिकल कालिजों के अध्यापको को प्राइवेट प्रेक्टिस करने से रोकने के ख्याल से भारत सरकार ने मेडिकल कालिजों के दोनों क्लिनिकल और गैर-क्लिनिकल विभागों में पूर्णकालिक अध्यापन यूनिट की स्थापना के लिये वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है । राज्य सरकारों से प्रस्ताव आमंत्रित किये गये हैं । अभी तक उत्तर प्रदेश, बम्बई, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और मैसूर की सरकारों से उत्तर प्राप्त हुए हैं । उड़ीसा और बम्बई की सरकारें योजना को अगले वित्तीय वर्ष से क्रियान्वित करने को सहमत हो गयी हैं । उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों से अपने राज्य में योजना की क्रियान्विति के लिये कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है । मैसूर सरकार योजना में भाग लेने के लिये सहमत नहीं हुई है ।

(ग) द्वितीय योजना काल की बाकी अवधि में योजना की क्रियान्विति पर हुए अतिरिक्त आवर्ती व्यय का १०० प्रतिशत भाग केन्द्रीय सरकार देगी ।

अनधिकृत फेरी वाले और विक्रेता

†**१०३२. श्री राम कृष्ण** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ अनधिकृत फेरी वालों और विक्रेताओं को उत्तर रेलवे के दिल्ली–रिवाड़ी सेक्शन पर माल बेचने की आज्ञा दी गयी है; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गयी है या की जाने वाली है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) किसी भी अनधिकृत फेरी वाले अथवा विक्रेता को आज्ञा नहीं दी जाती । परन्तु उनमें से कुछ नियमों के विरुद्ध आज्ञा के बगैर ही काम करते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) बिना लाइसेंस के फेरी वालों के बारे में की गयी कार्यवाही निम्नलिखित विवरण में दी गयी है :

विवरण

(१) विशेषत: बड़े स्टेशनों पर रेलवे पुलिस की सहायता से विशेष आन्दोलन किया जाना ।

(२) रेलवे के स्थानों में बिना लाइसेंस वाले फेरी वालों के प्रवेश को रोकने के लिये रेलवे सुरक्षा बल और गार्डों और टिकट चेकरों समेत स्टेशन कर्मचारियों द्वारा ध्यान दिया जाना ।

(३) सेक्शन पर यात्रा करने के लिये टिकट चेकरों को सादे कपड़ों में लगाना ।

(४) लाउड स्पीकरों की सहायता से जनता से यह अपील करना कि वह बिना लाइसेंस वाले फेरी वालों से सामान न खरीद कर प्राधिकारियों को सहयोग दें ।

गांवों का विद्युतीकरण

†१०३३. **श्री राम कृष्ण :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री २ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२९४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत अगस्त, १९५८ से जनवरी, १९५९ के अन्त तक (राज्य-वार) कितने गांवों में बिजली लगायी गयी ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) :** जानकारी विभिन्न राज्य सरकारों से एकत्रित की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

गाड़ियों का देर से चलना

†१०३४. **श्री राम कृष्ण :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५८ में उत्तर रेलवे पर दिल्ली से रिवाड़ी जाने वाली और रिवाड़ी से दिल्ली आने वाली गाड़ियां कितनी बार देर से चलीं ;

(ख) इसमें कितने घंटे खराब हुए ;

(ग) देरी के क्या कारण थे; और

(घ) स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) :** (क) दिल्ली से रिवाड़ी—८३१
रिवाड़ी से दिल्ली—८२२

(ख) १३५८ ।

(ग) इस सेक्शन पर गाड़ियों के देर से चलने के मुख्य कारण ये थे :

(१) जुलाई, अगस्त और सितम्बर, १९५८ के महीनों में भारी आंधी और भारी वर्षा के कारण गाड़ियों की रफ्तार पर प्रतिबन्ध लगाने पड़े और सुरक्षा के हित में गाड़ियों को 'पाइलट' करना पड़ा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) दिल्ली–रिवाड़ी सेक्शन की अधिकतम क्षमता का उपयोग किया गया जिसके परिणामस्वरूप एक गाड़ी के देर से चलने से अन्य गाड़ियों के चलने पर असर पड़ा ।

(३) खतरे की जंजीर के खींचे जाने की अधिक घटनायें।

(४) अक्तूबर, १९५८ में दिल्ली के पश्चिमी केबिन का साज संवार।

(५) वर्ष १९५८ के आरम्भ और अन्त में कुहरे वाले मौसम क कारण गाड़ियों के चलने में नष्ट हुआ समय।

(६) संचालन सम्बन्धी कारण, जैसे, दुर्घटनायें, गाड़ियों का पटरी से उतरना, इंजन और इन्टरलाकिंग की असफलता इत्यादि।

(घ) इस सेक्शन पर गाड़ियों के समय पर चलने के लिये निम्नलिखित कार्यवाही की गयीं है :

(१) समय-समय पर 'समय पालन आन्दोलन' किये गये ।

(२) देरी के लिये उत्तरदायी कर्मचारियों के विरुद्ध शीघ्र और भयोत्पादक कार्यवाही की जाती है।

(३) रिवाड़ी यार्ड का पुनर्नवीकरण और दिल्ली–रिवाड़ी सेक्शन पर लाइन को दोहरा करना जिस पर काम चालू है।

(४) समय पालन उपहार योजना का लागू किया जाना।

काचेगुडा-मनमाड लाइन पर क्षतिग्रस्त पुल

†**१०३५. श्री पांगरकर :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे की काचेगुडा–मनमाड लाइन पर पिछली वर्षा ऋतु में भारी वर्षा के कारण कितने पुल क्षतिग्रस्त हुए; और

(ख) उनकी मरम्मत करने पर कितनी धनराशि खर्च की गयी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) केवल एक पुल।

(ख) परिवहन चालू करने में लगभग ५,००० रुपये लगे और पुल को दुबारा बनाने पर लगभग १.७९ लाख रुपये खर्च होंगे।

पंजाब से निर्यात किया गया गेहूं

†**१०३६. श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नवम्बर, दिसम्बर, १९५८ के महीनों में (महीने-वार) पंजाब से कुल कितना गेहूं बाहर भेजा गया ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन):** नवम्बर, और दिसम्बर, १९५८ के महीनों में पंजाब से सरकारी लेखे पर निर्यात किये गये गेहूं की मात्रा निम्न प्रकार है :

नवम्बर––लगभग १०,४१० टन।

दिसम्बर––लगभग ७० टन

---

†मूल अंग्रेजी में

उत्तरी गेहूं जोन में सम्मिलित अन्य देशों को, जैसे संघ राज्य-क्षेत्र दिल्ली और हिमाचल प्रदेश और जम्मू तथा काश्मीर राज्य, जहां पर माल के आने जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है, भेजे गये गेहूं के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

कृषि भूमि

†१०३७. **श्री जाधव :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५७-५८ और १९५८-५९ में कितनी भूमि को कृषि योग्य बनाया गया और उसमें खेती की गयी; और

(ख) परती भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) १९५७-५८ में कृषि योग्य बनायी गयी और खेती की गयी भूमि को ५.२५ लाख एकड़ बताया गया है। १९५८-५९ के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है। तथापि, यह अनुमान लगाया जाता है कि १९५८-५९ में लगभग ४.५८ लाख एकड़ भूमि को कृषि योग्य बनाया जायेगा और उसमें खेती की जायेगी।

(ख) भूमि कृष्यकरण योजना को आरम्भ करने के लिये राज्य सरकारों को प्रोत्साहन देने के लिये भारत सरकार द्वारा 'अधिक अन्न उगाओ नियमों' के अन्तर्गत वित्तीय सहायता दी जा रही है परन्तु विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों के कारण ट्रैक्टरों की पर्याप्त मात्रा में अनुपलब्धता के कारण कार्य की प्रगति में बाधा पड़ रही है।

दुर्घटनायें

†१०३८. **श्री आसर :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले १२ महीनों में सब रेलों पर पैसेंजर गाड़ियों की कुल कितनी बड़ी दुर्घटनायें हुई;

(ख) पिछले १२ महीनों में सब रेलों पर पैसेंजर गाड़ियों की कुल कितनी छोटी दुर्घटनायें हुई;

(ग) कुल कितने यात्री मारे गये और जख्मी हुए;

(घ) रेलवे को कुल कितनी हानि हुई;

(ङ) यात्रियों को कुल कितनी हानि हुई; और

(च) सरकार द्वारा यात्रियों को कुल कितनी धनराशि क्षतिपूर्ति के रूप में दी गयी?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) १-१-१९५८ से ३१-१२-१९५८ तक की अवधि में भारत सरकार की रेलवे पर पैसेंजर गाड़ियों की १८ भयंकर दुर्घटनायें हुई।

(ख) "छोटी दुर्घटनाओं" शब्द की बहुत विस्तृत परिभाषा होने के कारण जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) से (च). उपरोक्त भाग (क) के उत्तर में निर्देशित सब भयंकर दुर्घटनाओं के बारे में विवरण निम्न प्रकार है ;

(१) आकस्मिकता

मारे गये ९०

घायल ४२४

(२) रेलवे सम्पत्ति को हुई हानि की अनुमानित लागत —६,९० ८०० रुपये।

(३) यात्रियों को हुई धन की हानि —पता नहीं

(४) १९५८ में क्षतिपूर्त्ति के रूप में दिया गया धन—३,७२,१९९.२८ रुपये।

पेनिसिलीन

†१०३९. श्री वें० प० नायर : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पनिसीलीन ग्रुप के एण्टीबायोटिक स्पेक्ट्रम का कोई अध्ययन किया जा रहा है, और, यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : पिम्परी की पेनीसिलीन फैक्टरी की गवेषणा प्रयोग-शालायें पेनिसिलीन ग्रुप के एण्टीबायोटिक स्पैक्ट्रा के बारे में गवेषणा कार्य किया जा रहा है। पेनिसिलियम क्राइसोजेनम[1] के किण्वन[2] से जितने भी प्रकार की पेनिसिलीन प्राप्त होती है वह बहुत कुछ एक जैसी होती है और पेनिसिलीन 'जी' (बेन्जिल पेनिसिलीन)[3] और पेनिसिलीन 'वी' (फेनोक्सिमेथिल पेनिसिलीन)[4] के विभिन्न लवण और किस्मों में पानी में घुलने, अम्लों में स्थिरता, शरीर में जज्व होने और रक्त-स्तर कायम रखने (अर्थात्, अधिक काल तक सक्रिय रहने, कुछ कम काल तक सक्रिय रहने, इंजेक्शन द्वारा शरीर में प्रविष्ट कराने अथवा मौखिक रूप से शरीर के भीतर पहुँचाने आदि) अन्तर होता है। इन पेनिसिलीनों की एण्टीबायोटिक्सस्पेक्ट्रा से चिकित्सक भलीभांति परिचित हैं।

तपेदिक

†१०४०. श्री वें० प० नायर : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन स्पाइरोकैक्ट[5] से तपेदिक होती है क्या उनकी प्रातीकारिकीय[6] और जीव-रसायनिक[7] विशेषताओं के बारे में अभी तक कुछ परिणाम निकले हैं, और यदि हां, तो क्या ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : ट्यूबर्किल बैसिलाई[8] की प्रातीकारिकीय और जीव रसायनिक विशेषताओं के बारे में वल्लभभाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट में गवेषणा की जाती है और इस गवेषणा के परिणाम निम्नलिखित हैं :—

(१) रेडियो धर्मी एसीटेट को पूर्व गामी[9] के रूप में प्रयोग करते हुए इस बात का अध्ययन किया गया है कि पशुओं के चर्बीयुक्त अम्ल चयापचय[10] पर ट्यूबर्क्युलर संक्रमण का क्या प्रभाव होता है। सजीव प्राणियों पर किये गये प्रयोगों से पता चला है कि साधारण प्राणियों की अपेक्षा तपेदिक वाले प्राणी लेबेल्ड सब्स्ट्रेट[11] का केवल ४० प्रतिशत अंश चर्बीयुक्त अम्लों में आत्मसात कर पाते हैं। विट्रो में तपेदिक के टिशुओं पर इसी प्रकार

†मूल अंग्रेजी में

[1]Penicillium chrysogenum [2]Fermentation [3]Benzyl Penicillin [4]Phenoxymathyl Pencillin

[5]Spyrochacte [6]Immunological [7]Bio-chemical [8]Tubercle Bacilli

[9] Precursor [10]Fatly acid Metabolism [11]Labelled Substrate.

के प्रयोगों से भी यही बात सिद्ध हुई है। तपेदिक के संक्रमण से टिशुओं में एन्जीमेटिक परिवर्तन[1] होते हैं या नहीं इस बात का अध्ययन अभी चल रहा है।

(२) जो एक और अध्ययन आरम्भ किया गया है वह स्ट्रैप्टोमाइसिन सेन्सिटिव और रेजिस्टेंट टयूबर्किल बैसिलाई चर्बीयुक्त अम्ल के सिन्थिसिस के बारे में है। यह पाया गया है कि थायोइक अम्लविशेषकर[2] सी २७ थेनिओइक अम्ल[3] प्राणियों में टयूबर्किल पैदा करती है। कुल अल्फा–बीटा अनसैचुरेटेड अम्ल–रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स में बढ़ जाती हैं जबकि सी २७ थेनिओइक अम्ल सेन्सिटिव कन्ट्रोल्स की तुलना में कम हो जाती है। आर० एन० ए० (रिबो न्यूक्लेइ एसिड)[4] बढ़ गयी और डायोक्सी डिबोन्यूक्लेइ एसिड[5] सेन्सिटिव स्ट्रेन्स की तुलना में रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स में कम हो गयी।

(३) आई० एन० एच० सेन्सिटिव और रेजिस्टेंट टयूबर्किल बैसिलाई के एन्जाइम सिस्टमों के अध्ययन से पता चला कि आई० एन० एच० रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स में सक्सीनिक डिहाइड्रोजन[6] कम हो गया।

(४) रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स के रेस्पिरेटरी कोशेंट्स कन्ट्रोलों की तुलना में काफी ऊंचाई पर थे।

रेलवे के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का सेवा-निवृत्त होना

†**१०४१. श्री राजेंद्र सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभी रेलों पर, विशेष रूप से पूर्वोत्तर रेलवे पर पिछले पांच वर्षों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कुल कितने कर्मचारी सेवा–निवृत्त हुए हैं; और

(ख) ऐसे कितने मामले अभी बाकी हैं जिनमें इनकी बकाया निबटाने के संबंध में अंतिम भुगतान अभी नहीं किया गया है?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) :** (क)

(१) सभी रेलों पर	७३,२६२
(२) पूर्वोत्तर रेलवे पर	६,४५६
(ख) (१) सभी रेलों पर	३,८४६
(२) पूर्वोत्तर रेलवे पर	६४१

स्वास्थ्य समन्वय समिति

†**१०४२. श्री सुबोध हंसदा :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वास्थ्य समन्वय समिति के सदस्य कौन कौन हैं;

(ख) १९५८ में इस समिति की कुल कितनी बैठकें हुई; और

(ग) इस समिति ने क्या क्या मुख्य सुझाव दिये और सिफारिशें की हैं?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Enzymatic changes　[2] Phthioic acid　[3] C27 Phtheneoic acid　[4] Rtio Nucleis acid

[5] Dioxy Ribo Nucleis acid　[6] Succinic Dehydrogenae.

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) स्वास्थ्य समन्वय समिति के निम्नलिखित सदस्य हैं:—

१. सचिव, स्वास्थ्य मंत्रालय .	सभापति
२. स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक . .	सदस्य
३. योजना आयोग का प्रतिनिधि . .	सदस्य
४. सामुदायिक विकास मंत्रालय का प्रतिनिधि . .	सदस्य
५. वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग का प्रतिनिधि	सदस्य
६. राक फेलर फाउंडेशन के प्रतिनिधि .	सदस्य
७. फोर्ड फाउन्डेशन का प्रतिनिधि .	सदस्य
८. प्रविधिक सहकारितामिशन का प्रतिनिधि .	सदस्य
९. संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपातनिधि का प्रतिनिधि	सदस्य
१०. विश्व स्वास्थ्य संगठन के भारत संबंधी क्षेत्र का प्रतिनिधि	सचिव

(ख) दो बार ।

(ग) दोनों बैठकों में इस समिति द्वारा दिये गये मुख्य सुझाव और की गयी सिफारिशें नीचे दी जाती हैं:—

बैठक १	विचाराधीन विषय २	सिफारिशें ३
१. ११–४–५८ को हुई बैठक	(१) अस्पतालों का प्रशासन	(१) समिति ने सिफारिश की कि अस्पतालों के प्रशासकों का प्रशिक्षण मुख्य रूप से भारत में ही सुनियोजित अस्पताल प्रशासन कोर्स के छात्रों के रूप में हो और अन्तर्राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां आमतौर पर चिकित्साकार्य में लगे लोगों को ही दी जानी चाहिये ।
	(२) प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एम० सी० एच० सेवाओं का प्रशासन और नियंत्रण	(२) यह सुझाव दिया गया कि राज्यों में प्रारम्भिक स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबन्ध करने वाले स्वास्थ्य सेवाओं के सहायक निदेशक के साथ एम० सी० एच० के अधिकारियों को कुछ प्रशासनिक जिम्मेदारी सौंप दी जाय ।

†मूल अंग्रेजी में

१	२	३
	(३) चिकित्सा संबंधी शिक्षा— चिकित्सा शिक्षकों का प्रशिक्षण	(३) प्रि—क्लिनिकल विषयों के अध्यापकों की आवश्यकता पर इस बैठक में चर्चा की गयी यह निश्चय किया गया कि प्रतिवर्ष ६० से १०० तक एम० बी० बी० एस० स्नातकों को चिकित्सा अध्यापकों का प्रक्षिण प्राप्त करने के उद्देश्य से विदेश भेजने के लिये अभ्यर्थी कनिष्ठ अध्यापकों के रूप में चुन लिया जाय। यह बताया गया कि यद्यपि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों की विभिन्न समस्यायें और विनियम हैं, फिर भी यदि सब मिल कर उचित प्रयास करें तो ५०० से ६०० तक अध्यापकों का अविलम्बनीय आवश्यकता पूरी की जा सकती है।
२. १२–१२–५८ को हुई बैठक	(१) राज्यों में स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो की स्थापना	(१) विभिन्न राज्यों में स्वास्थ्य चिकित्सा ब्यूरो की स्थापना के प्रस्ताव को अन्तर्राष्ट्रीय और द्विपक्षीय स्वास्थ्य अभिकरणों का पूरा समर्थन प्राप्त था। संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि ने इस संबंध में सहायता करने के लिये अपनी रजामंदी प्रगट की।
	(२) अर्हता प्राप्त नर्सों के लिए एक बी० एस० सी० डिग्री कोर्स और नर्सिग के एम० ए० कोर्स की स्थापना	(२) अर्हता प्राप्त नर्सों के लिये नर्सिंग, शिक्षण और प्रशासन के संबंध में एक कोर्स की स्थापना जिससे बी० एस० सी० डिग्री मिल सके, के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया क्योंकि विचार यह था कि आधुनिक विकसित तरीकों की वजह से

१	२	३
		विश्वविद्यालय के स्तर का नर्सिंग का आगे का कोर्स होना चाहिये। यह भी ख्याल था कि जहां तक बुनियादी प्रशिक्षण का प्रश्न है, बुनियादी कोर्स की डिग्री देने वाले और भी केन्द्रों की स्थापना करने से यह बेहतर होगा कि नर्सिग के सामान्य स्तर को ऊंचा उठाया जाये और नर्सिग की शिक्षा के लिये काम आने वाले अस्पतालों में सुधार किया जाय।
	(३) निवारक और सामाजिक चिकित्सा क प्रशिक्षण के लिये मेडिकल कालेजों से संबद्ध ग्राम्य स्वास्थ्य यूनिटों की स्थापना	(३) यह निश्चय किया गया कि एक उपसमिति बनायी जाय जो इस समस्या पर इस दृष्टि से विचार करे ताकि अपनी उपपत्तियों की सूचना स्वास्थ्य एकीकरण समिति समिति की अगली बैठक को दे सके।

कच्चा बेंत

†१०४३. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रा० च० माझी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का कुछ पता है कि भारत के जंगलों में कितना कच्चा बेंत पैदा होता है;

(ख) क्या यह हमारी आवश्यकताओं की पूर्त्ति के लिये पर्याप्त है;

(ग) यह ज्यादातर देश के किस भाग में पाया जाता है; और

(घ) विभिन्न उद्योगों के लिये इसका उपयोग किस ढंग से किया जाता है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) वर्ष में लगभग ५५,००० हंडर वेट।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) विभिन्न राज्यों के बेंत पैदा करने वाले क्षेत्रों के क्षेत्र और बाजार के अध्ययन से यह समझा जाता है कि मौजूदा उत्पादन अपर्याप्त है।

(ग) बेंत (रंतन) ज्यादातर आसाम, पश्चिम बंगाल, केरल, मैसूर और मद्रास में और कुछ हद तक उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश, बम्बई और उत्तर प्रदेश में पाया जाता है।

(घ) जंगलों में बेंत बटोरने के अधिकार का नीलाम राज्यों के वन विभाग प्रतिवर्ष करते हैं। सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को पट्टे पर यह अधिकार मिलता है और वही इसे जमा करने और विभिन्न उद्योगों में इसके वितरण का प्रबन्ध करता है।

बाजारों सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करने की व्यवस्था में सुधार की योजना[1]

†१०४४. { **श्री रा० च० माझी :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाजारों संबंधी जानकारी प्राप्त करने की व्यवस्था में सुधार की समेकित योजना सभी राज्यों ने स्वीकार और क्रियान्वित कर ली है; और

(ख) यदि नहीं, तो किन-किन राज्यों ने किन-किन कारणों से इस योजना को स्वीकार या क्रियान्वित नहीं किया है?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) और (ख). इस योजना को सिद्धान्त रूप में सभी राज्यों ने मान लिया है। आन्ध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, बम्बई, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब और राजस्थान राज्य इस योजना को क्रियान्वित कर भी चुके हैं, और मध्य-प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्य चालू वित्तीय वर्ष में क्रियान्वित करने की दृष्टि से इस योजना पर विचार कर रहे हैं। जहां तक शेष दो राज्यों, केरल और जम्मू तथा काश्मीर का संबंध है, बहुत कुछ आशा है कि वे १९५९-६० में इसे क्रियान्वित कर देंगे।

आयुर्वेदिक कालेज

†१०४५. { **श्री केशव :**
श्री पद्म देव :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के प्रत्येक राज्य में कुल कितने-कितने आयुर्वेदिक कालेज हैं;

(ख) प्रत्येक राज्य के इन कालेजों में कुल कितने छात्र हैं; और

(ग) क्या इन कालेजों में से किसी में कोई स्नातकोत्तर गवेषणा की जाती है?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) से (ग). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें यह जानकारी दी गयी है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८७]**

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Scheme for improvement of market intelligence.

चीनी की मिलें

†१०४६. **श्री राम कृष्ण :** क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री ४ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ५६८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ११ सहकारी चीनी मिलों की स्थापना की योजना इस समय किस अवस्था में है?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री के सभा-सचिव (श्री ब० स० मूर्त्ति) :** चीनी मिलों की मशीनें बनाने वाले निर्माताओं के दो संघों की मार्फत ग्यारहों चीनी मिलों को संयंत्रों और मशीनों के संभरण का प्रबन्ध कर दिया गया है। यह आशा की जाती है कि चार कारखाने जनवरी, १९६१ तक और शेष सात अक्तूबर, १९६१ तक उपलब्ध हो जायेंगे।

राज्यों को गेहूं का आवंटन

†१०४७. **श्री राम कृष्ण :**
श्री नागी रेड्डी :
श्रीमती पार्वती कृष्णन् :
श्री अजीत सिंह सरहदी :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों को १९५८-५९ में (राज्यवार) अब तक कितना गेहूं आवंटित किया गया है; और

(ख) आवंटित गेहूं के कोटे में से (राज्यवार) अब तक कितनी मात्रा का उपयोग किया गया है?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) और (ख) केन्द्रीय स्टाक में से विभिन्न राज्यों को वास्तव में संभरण की गई मात्रा तथा प्रत्येक राज्य द्वारा वास्तव में १ अप्रैल, १९५८ से ३१ जनवरी, १९५९ तक उपयोग की गई मात्रा बताने वाला एक विवरण संलग्न है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८८**]।

राजस्थान नहर परियोजना

†१०४८. **श्री राम कृष्ण :**
श्री सूपकार :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री सिद्धनंजप्पा :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री २७ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २६५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान नहर परियोजना के लिये प्रशासकीय मशीनरी और नियंत्रण बोर्ड स्थापित करने की योजना पर अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) राजस्थान नहरों के लिये वृहत्तर योजना बनाने के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) नहरों से कुल कितने क्षेत्र की सिंचाई की जायेगी और परियोजना पर कितना व्यय होगा?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(ख) १६ दिसम्बर, १९५८ के सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय के संकल्प संख्या डी० डब्ल्यू०—३—२७(४)/५८ की प्रति, जिसमें 'निदेश समिति' एवं 'राजस्थान नहर बोर्ड' की रचना और कार्य बताये गये हैं, संलग्न है [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८९**]

(ग) रूपरेखा संबंधी योजनाओं के बाद सम्पूर्ण क्षेत्र की एक वृहत्तर योजना तैयार की जायेगी, जो भारत के सर्वेक्षण द्वारा तैयार की जा रही है, १९६० के अन्त तक उपलब्ध हो जायेगी। राजस्थान नहर बोर्ड रेलें बिछाने और सड़कें बनाने की मोटी रूपरेखा की जांच कर रहा है जिसके बारे में आशा की जाती है कि आगामी छः मास में यह काम पूरा हो जायेगा ।

(घ) राजस्थान नहर परियोजना के लिये ६६.४७ लाख रुपये की अनुमानित लागत पर मंजूरी दे दी गई है जिससे १६.८४ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी ।

मस्तिष्क कोप[1]

†१०४९. { **श्री राम कृष्ण** :
श्री पांगरकर :

क्या स्वास्थ्य मंत्री २० अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ३०७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मस्तिष्क कोप के लिये विषाणुओं को उत्तरदायी पाया है ;

(ख) यदि नहीं, तो सरकार को इस बारे में मोटे तौर पर इस बात का पता लगाने में कहां तक सफलता मिली है कि यह रोग किस प्रकार फैलता है; और

(ग) अगस्त, १९५८ से जनवरी, १९५९ के दौरान में कितने बच्चों की मृत्यु मस्तिष्क कोप के कारण हुई ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). मस्तिष्क कोप का तात्पर्य मस्तिष्क के शोथ से है। यह अनेक कारणों से हो सकता है जिसमें विदित रोगाणव[2] और विषाणु भी शामिल हैं। बच्चों को जो हाल में मस्तिष्क कोप होता है, संभवतः इसका कारण विषाणु हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Encephalitis.

[2]Bacteria.

विषाणुग्रों से जो मस्तिष्क कोप फैलता है निम्न दो प्रकार का होता है :—

(१) विषाणु के कारण जो छोटे कीटाणु जैसे मच्छर के दारा होता है। इस प्रकार की महामारी दो वर्ष पूर्व दक्षिण भारत में हुई थी ग्रौर ग्रब भी इसके कुछ छुटपुट मामले दिखाई दे रहे हैं। इस महामारी का निदान यह किया गया था कि यह जापानी बी मस्तिष्क कोप के कारण होती है जो मच्छर से होती है।

(२) संभवतः बीमारों के पाखाने से निकले विषाणुग्रों के द्वारा जिस प्रकार यह पिछले तीन वर्षों में देश के बहुत से स्थानों में फैली थी ग्रौर विशेषकर जमशेदपुर, नागपुर, लखनऊ ग्रौर दिल्ली में। इन मामलों से कार्यकर्ताग्रों ने ग्रनेक विषाणु ग्रलग-ग्रलग किये हैं। इस समय उनका ग्रध्ययन किया जा रहा है। हो सकता है कि उनमें से कोई एक इसका कारण हो।

ऊपर जिस महामारी का उल्लेख किया गया है उसका ग्रध्ययन चिकित्सा की दृष्टि से ग्रौर व्यापक-रोग विज्ञान ग्रादि की दृष्टि से भी किया गया है। उपलब्ध साक्ष्य यह बताता है कि यह ग्रंतड़ियों के विषाणु से होता है। इससे यह ज्ञात होता है कि यह रोग ग्रंतड़ियों में जहर फैलने के ग्रन्य रोगों की भांति जैसे टाइफायड, पेचिश ग्रादि की तरह होता है जो दूषित खाद्य पदार्थों, मक्खियों ग्रौर जल संभरण तथा नाली व्यवस्था में गंदगी के कारण फैलता है। विश्व के ग्रन्य भागों में जो ग्रवलोकन किये गये हैं उनसे भी इस विचार की पुष्टि होती है।

(ग) मांगी गई जानकारी एकत्र की जा रही है जो यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में कुएं

१०५०. श्री नवल प्रभाकर : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५८-५९ में ग्रब तक दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने नये कुएं खोदे गये;

(ख) कितने पक्के कुग्रों की मरम्मत की गयी; ग्रौर

(ग) उन पर कितना व्यय हुग्रा ?

सामुदायिक विकास मंत्री के सभा-सचिव (श्री ब० स० मूर्त्ति) : (क) ५५

(ख) ३४

(ग) ९५,३०० रुपये।

दिल्ली में तालाब

१०५१. श्री नवल प्रभाकर : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५८-५९ में ग्रब तक दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने तालाबों की मरम्मत की गयी;

(ख) उन पर कितना व्यय हुआ ;

(ग) क्या इस कार्य में जनता का सहयोग प्राप्त किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

सामुदायिक विकास मंत्री के सभा-सचिव (श्री ब० स० मूर्त्ति) : (क) ७२;

(ख) रु० ६५,२८५;

(ग) जी हां, और

(घ) तालाबों को उन्नत करने के खर्च का आधा हिस्सा गांव वालों ने रोक, वस्तु-रूप व श्रमदान में दिया ।

डिप्थेरिया[1]

†१०५२. **श्री राम कृष्ण** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में बच्चों में डिप्थेरिया का रोग वृद्धि पर है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(ग) उसे रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) बम्बई, केरल और मैसूर की सरकार ने अपने-अपने राज्यों में बच्चों में डिप्थेरिया रोग की कुछ वृद्धि हो जाने की रिपोर्ट दी है। अब तक और किसी राज्य से इसकी वृद्धि के बारे में रिपोर्ट नहीं मिली है ।

(ख) संबंधित राज्य सरकारों ने जो रिपोर्ट दी है उसके अनुसार वृद्धि का प्रमुख कारण शीघ्रगति से होने वाला शहरीपन है जिसके परिणामस्वरूप भीड़ का बढ़ना और नगरीय क्षेत्रों में लगातार लोगों का आवागमन और मिलना-जुलना है

(ग) बीमारी को रोकने के लिये राज्य सरकार द्वारा निम्न कार्यवाही की गई है :—

(१) डिप्थेरिया के सम्पर्क से प्रतिरक्षण ;

(२) जिस क्षेत्र में बीमारी फैली हो उसमें और उसके आस-पास के स्थानों का परिनाशन; और

(३) ऐसे बीमारों को अलग रख कर उनका उपचार करना ।

कानपुर मेडिकल कालेज

†१०५३. **श्री स० म० बनर्जी** :
श्री तंगामणि :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने कानपुर मेडिकल कालेज की १९५७–५८ और १९५८–५९ की सहायता का भुगतान नहीं किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Diptheria.

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) जी नहीं। कानपुर मेडिकल कालेज को केन्द्रीय वित्तीय सहायता के रूप में १९५७–५८ में राज्य सरकार को १२,६२,४१८ रुपये सहायतानुदान दिया गया था। नई प्रक्रिया के अनुसार १९५८–५९ में केन्द्रीय सहायता की कुल राशि का तीन चौथाई वित्त मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को ९ मासिक किश्तों पर अर्थोपाय अग्रिम के रूप में एक मुश्त में दिया गया है, जो मई, १९५८ से आरम्भ होगा तथा अनुदान के अन्तिम मंजूरी स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शीघ्र ही जारी की जायेगी।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

राम गंगा परियोजना

१०५४. श्री भक्त दर्शन: क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री १२ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १३८४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में रामगंगा परियोजना के निर्माण की दिशा में इस बीच क्या प्रगति हुई है?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी): केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग की परियोजना पर टिप्पणी का उत्तर राज्य सरकार से प्राप्त हो गया है और आयोग ने उसकी जांच भी कर ली है, किन्तु अभी सिंचाई तथा विद्युत् परियोजनाओं की परामर्श समिति (एडवाइजरी कमिटी आन इरिगेशन एन्ड पावर प्रोजेक्टस) द्वारा उस पर विचार होना है।

ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में सड़कें

१०५५. श्री भक्त दर्शन: क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७०२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों की सड़कों के बारे में विशेष पदाधिकारी की जिस रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा था उसके बारे में क्या निर्णय किया गया है?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर): विशेष अधिकारी की रिपोर्ट में दी गई खास सिफारिशों पर मुख्य इंजीनियरों की बैठक में विचार किया गया था यह बैठक हैदराबाद में जनवरी, १९५९ को हुई थी। इन सिफारिशों का आमतौर पर मुख्य इंजीनियरों ने समर्थन किया था। मुख्य इंजीनियरों के सुझावों के साथ इन सिफारिशों को प्रदेश सरकारों के पास उचित कार्यवाही के लिए भेजा जा रहा है क्योंकि ग्रामीण सड़कों के विकास की जिम्मेदारी खासतौर पर प्रदेश सरकारों की ही है।

डाक तथा तार विभाग की प्रपत्र समिति

१०५६. श्री भक्त दर्शन: क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २१ नवम्बर, १९५८ के तारांकित श्न संख्या १५३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक तथा तार विभाग के प्रपत्रों से सम्बन्धित समिति ने क्या इस बीच अपना कार्य समाप्त कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उस समिति द्वारा की गयी सिफारिशों का विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा; और

(ग) उन सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

---

† मूल अंग्रेजी में

परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

तुंगभद्रा उच्च-स्तर नहर परियोजना

†१०२७. { **श्री नागी रेड्डी :**
श्री रामन् : }

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तुंगभद्रा उच्च-स्तर नहर के लिए १९५८-५९ में कितना धन मंजूर किया गया; और

(ख) धन किस कार्य के लिए मंजूर किया गया?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** (क) तुंगभद्रा उच्च-स्तर नहर योजना प्राविधिक दृष्टि से स्वीकृत हो गई है परन्तु परियोजना की कार्यान्विति की मंजूरी सक्रिया विचाराधीन है। अभी यह मंजूरी प्राप्त न होने के कारण इस योजना के लिए राज्य सरकारों को १९५८-५९ में कोई ऋण नहीं दिया गया यद्यपि १९५८-५९ की आन्ध्र प्रदेश योजना में ४० लाख रु० का उपबन्ध है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

अन्तर्देशीय मीन क्षेत्र

†१०८०. { **श्री विद्याचरण शुक्ल :**
श्री किस्तैया : }

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अन्तर्देशीय मीन उत्पादन बढ़ाने के लिए आरम्भ किये गये गवेषणा कार्यक्रमों की तफसील तथा संबंधित बातें क्या हैं?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : भारत सरकार ने अपने सी० आई० एफ० आर० एस०, कलकत्ता में उपकेन्द्रों के साथ जो गवेषणा कार्यक्रम आरम्भ किये हैं उनका संबंध पोखरों, नदियों व सागरसंगमों तथा झीलों में मछली पकड़ने से है।

(१) **तालाब मीनक्षेत्र** : कलकत्ता और कटक में विभाग तालाब तथा सागरसंगम मीनक्षेत्र की विभिन्न समस्याओं की जांच करते हैं। इन जांचों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

(क) मछली-बीज के एकत्रित करने, उठाने व रखने तथा भेजने के ढंग।

(ख) मतस्य प्रजनन प्रयोग।

(१) तालाबों में अधिक पानी लाकर।

(२) पोण-न्यासर्ग का इंजेक्शन देकर।

(ग) मछली वाले तालाबों से अनुकूलतम उत्पादन प्राप्त करने की दृष्टि से तालाबों से मछली पकड़ने की सुधारी हुई प्रविधि। अधिक घास का निकालना, तालाबों में खाद डालना, स्टाक निर्धारण करना, मिली जुली किस्मों की मछली डालना, आदि।

---

† मूल अंग्रेजी में

(घ) भारत में विदेशी मछली पालने की उपयुक्तता, चावल के खेतों में मछली पकड़ना और मीन उत्पादन के संबंध में मिट्टी का बनाना।

(२) कलकत्ता और इलाहाबाद स्थित नदी व सागरसंगम विभाग उपयुक्त संरक्षण उपाय ढूंढ़ने के लिए जांच कर रहा है। गंगा, हुगली,–माल्टा और महानदी पर निम्न उद्देश्यों से बहुत से सर्वेक्षण केन्द्र बनाये गये हैं;

(क) नदी से मत्स्यग्रहण और सागरसंगम से मत्स्यग्रहण का वर्तमान स्तर आंकना।

(ख) मत्स्यग्रहण के आंकड़े एकत्रित करना।

(ग) महत्वपूर्ण खाद्य मछलियों संबंधी रोगाणु आंकड़े एकत्रित करना।

(घ) विशेषकर हिल्सा मत्स्यग्रहण संबंधी समस्याओं का अध्ययन करना।

(३) **सदस्य विभाग**: जो बालूगांव (चिल्का झील) हासपेत (तुंगभद्रा जलाशय) में है, झीलों में वर्तमान मीनक्षेत्रों के निर्धारण, खाद्य मछलियों की विभिन्न किस्मों की' जैव-बासिरी, इन जलस्थानों की रोगाणु उत्पादिता तथा मीनक्षेत्रों के कटाव व बढ़ाव की प्रवृत्ति के अध्ययनों की जांच पड़ताल करता है।

२. अनेकों जांचों से बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम, विशेषकर तालाबों में मत्स्यग्रहण तथा मत्स्य प्रजनन के बारे में, प्राप्त हुए हैं। मत्स्य के अधिक उत्पादन के लिए देश के बहुत भागों में ये प्रविधियां अपनाई जाती हैं।

३. अनेकों मत्स्य बीज एकत्रीकरण केन्द्रों का सर्वेक्षण किया गया है तथा जानकारी राज्य सरकारों को दे दी गई है। इसी प्रकार नदी में मत्स्यग्रहण पर कारखाने की धारों के प्रभावों की जांचों के महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं।

बाल कल्याण

†**१०५९. श्री कोडियान**: क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के शेष काल में बाल कल्याण संबंधी कार्यक्रमों के समन्वय करने तथा बढ़ाने के लिए कोई क्रियात्मक कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां तो, उसकी मोटी तफसील क्या है?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) तथा (ख). प्रसूति तथा बाल कल्याण संबंधी कार्यमूल स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा किया जा रहा है। १९५६–५७ और १९५७–५८ में राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों में ऐसे ४४० केन्द्र खोले तथा १९५८–५९ में केन्द्रीय सहायता से २६१ केन्द्र खोलने का विचार है। राज्यों को निश्चित किये गये सारे खंडों को द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में और मूल स्वास्थ्य केन्द्रों को आगामी दो वर्षों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम में सम्मिलित करने का विचार है।

प्रसूति तथा बाल कल्याण कार्य, राज्यों में प्रसूति तथा बाल कल्याण कार्यक्रमों को सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में परिवर्तित करके, सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्य से मिला दिया गया है।

---

† मूल अंग्रेजी में

'Lacustrine Section

पटना में जर्मन पर्यटकों के साथ कुव्यवहार

†१०६०. { **पंडित द्वा० ना० तिवारी :**
श्री राजेन्द्र सिंह :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि जनवरी १९५९ के प्रथम सप्ताह म पटना जंकशन स्टेशन पर रेलवे प्राधिकारियों ने एक जर्मन पर्यटक के साथ कुव्यवहार किया;

(ख) यदि हां तो, क्या इस मामले में कोई जांच की गई; और

(ग) इस घटना के क्या कारण थे?

†**रेलवे उपमंत्री** (श्री शाहनवाज खां): (क) से (ग). ६-१-५९ को एक यात्री को जिसका नाम बाद में श्री ई० आर० माम विल्फ़ेड बताया गया, पटना सिटी और पटना जंकशन के बीच बिना टिकट यात्रा करते हुए डिवीजनल चैकिंग स्क्वाड के एक टिकट परीक्षक ने पकड़ा। उसने टूटी फूटी अंग्रेजी में बात की, टिकट का मूल्य देने को उसके पास धन न था और रेल-टिकट-परीक्षक को उसने अपना ठीक व्यक्तित्व प्रकट न किया। गाड़ी के पटना जंकशन पर पहुँचने पर टिकट परीक्षक ने उसे प्लेटफार्म पर दंडाधिकारी के विशेष दल के हवलदार को सौंप दिया। उसने टिकट कलक्टर के कार्यालय जाने पर आपत्ति की। उसके पारपत्र से उसका व्यक्तित्व विदित होने पर स्टेशन मास्टर ने उसे जाने दिया। वह दूसरी गाड़ी से दिल्ली आया तथा स्थानीय व्यक्तियों ने उसका टिकट खरीदा।

डिवीजनल सुपरिन्टेन्डेन्ट, दीनापुर ने ८-१-१९५९ को दो सहअधिकारियों द्वारा संयुक्त जांच का आदेश दिया। इस समिति का निष्कर्ष यह था कि किसी भी रेलवे कर्मचारी ने उसके साथ कुव्यवहार नहीं किया। कदाचित बिहार सरकार के निर्देश पर पटना के जिला मजिस्ट्रेट ने १२-१३ जनवरी १९५९ को घटना की जांच की। इस जांच का परिणाम रेलवे प्रशासन को उपलब्ध नहीं हैं।

डाक फार्म

†१०६१. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न डाकघरों में डाक के फार्म दोनों भाषाओं (हिन्दी और अंग्रेजी) में छापे गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है; और

(ग) १९५९ में जो नये फार्म प्रयोग में लाये जायेंगे उनका ब्योरा क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल) :** (क) जी हां।

(ख) आठ।

(ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ९०**].

† मूल अंग्रेजी में

टेलीफोन एक्सचेंज

†१०६२. **श्री रामकृष्ण** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चरखी दादरी में टेलीफोन एक्सचेंज खुल गया है परन्तु अभी तक कोई नया टेलीफोन नहीं लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कितना अतिरिक्त आवर्तक और अनावर्तक खर्च किया गया ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) एक्सचेंज १५ दिसम्बर, १९५८ को खोला गया था। एक्सचेंज से उन आठ व्यक्तियों को कनैक्शन दिये गये हैं जिन्हें सार्वजनिक टेलीफोन से लाइनें दी गई थीं। और कनैक्शन देने का काम हो रहा है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) अनावर्तक लगभग २९,००० रुपये आवर्तक लगभग ५,००० रुपये।

मनीपुर की सागवान की लकड़ी

†१०६३. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर प्रशासन हर पांच वर्ष के बाद मनीपुर-बर्मा की सीमा पर सागवान की लकड़ी के विक्रय के टेंडर आदि करता है; और

(ख) यदि हां, तो पहले के टेंडरों से कितनी राशि एकत्र की जा चुकी है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) मनीपुर-बर्मा सीमा से सागवान की लकड़ी बेचने के टेंडर हर पांच वर्ष के बाद जारी नहीं किये जाते हैं। एक बार १९११ से १९२६ तक के १५ वर्ष के लिये ठेका दिया गया था। उसके पश्चात् १९५४ तक वन की कटाई नहीं की गई। १९५५ में तीन वर्ष के लिये ठेका दिया गया था। हाल ही में वन से इमारती लकड़ी काटने के अधिकारों की नीलामी पांच वर्ष के लिये की गई है।

(ख) १९५५ में तीन वर्ष के लिये दिये गये ठेके के लिये अब तक १,९८,८०१ रुपये ६१ नये पैसे वसूल हुए हैं।

मनीपुर में मलेरिया निरोधक यूनिट

†१०६४. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर में इस समय कितने मलेरिया निरोधक यूनिट काम कर रहे हैं; और

(ख) देश के अन्य भागों की तुलना में मनीपुर के यूनिटों में कर्मचारियों की संख्या क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) दो :

(ख) मनीपुर में प्रत्येक यूनिट में उतने ही कर्मचारी हैं जितने कि राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित हैं परन्तु दो यूनिट ऐसे हैं जिनके लिये एक ही नान मैडिकल असिस्टेंट यूनिट आफीसर, एक अपर डिवीजन क्लर्क और एक अकाऊंटेंट और चार सीनियर मलेरिया इंस्पैक्टरों की बजाये चार मलेरिया इंस्पैक्टर रखे गये हैं।

---

† मूल अंग्रेजी में

मनिपुर में मलेरिया निरोधक यूनिट

†१०६५. श्री ले० अचौ सिंह : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर में मलेरिया निरोधक यूनिट के कर्मचारियों को स्वीकृत वेतन क्रम और भारत सरकार की अन्य उपलब्धियां प्राप्त नहीं होती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्यों; और

(ग) उन्हें भारत सरकार के स्वीकृत वेतनक्रम और उपलब्धियां दिलाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां।

(ख) संघ राज्य क्षेत्रों में नियुक्ति किये जाने वाले कर्मचारियों के वेतन क्रम और उपलब्धियां पड़ोसी राज्यों में उसी पद के लिये दिये जाने वाले वेतन क्रम के आधार पर निश्चित की जाती हैं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

लुधियाना और मिलरगंज के बीच ऊपरी पुल

†१०६६. श्री अजित सिंह सरहदी : क्या रेलवे मंत्री १७ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७६४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि लुधियाना और मिलरगंज क्षेत्र के बीच ऊपरी पुल बनाने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

†रलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : पंजाब सरकार द्वारा पुनरीक्षित योजना, प्राक्कलन और लागत में अपने अंश के आवंटन की स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही थी।

फ़ुलेश्वर में साइडिंग लाइन

†१०६७. श्री अरविन्द घोषाल : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे के फुलेश्वर स्टेशन की साइडिंग लाइन गंगा के किनारे तक बढ़ा दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो कब और किस लिये ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) से (ख). फुलेश्वर स्टेशन से साडिंग लाइन गंगा के किनारे तक इस लिये बढ़ाई गयी है कि मैसर्ज हिन्दुस्तान स्टील प्राइवेट लिमिटेड के इमारती सामान के परिवहन में सुविधा हो। यह प्राइवेट साइडिंग मैसर्ज हनुमान काटन मिल्स की वर्तमान साइडिंग से निकाली गई है और इसे २१-९-५८ को खोला गया था।

त्रिपुरा में जिरातिया काश्त

†१०६८. श्री बांगशो ठाकुर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में इस समय कितने एकड़ भूमि में जिरातिया काश्त हो रही है;

(ख) इस वर्ष जिरातिया भूमि में कुल कितना उत्पादन हुआ; और

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) सरकार ने इस वर्ष जिरातिया धान अथवा चावल खरीदने पर कितना खर्च किया ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) ६,००० एकड़।

(ख) २७,००० मन।

(ग) ४१,५५२ रुपये।

देशीय चिकित्सा गवेषणा संस्था, जामनगर

†१०६९. श्री जीनचन्द्रम् : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब से जामनगर में देशीय चिकित्सा प्रणाली गवेषणा संस्था स्थापित हुई है तब से उस पर कुल कितना खर्च हुआ है ;

(ख) द्वितीय योजना की शेष अवधि के लिये कितनी व्यवस्था की गई है; और

(ग) आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली और आयुर्वेदिक औषधियों में सुधार करने में अब तक कितनी सफलता मिली है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जामनगर में देशीय चिकित्सा प्रणाली की केन्द्रीय गवेषणा संस्था १९५३ में स्थापित की गई थी। १९५८-५९ तक इस संस्था पर १९,६०,५०० रुपये खर्च किये गये हैं।

(ख) द्वितीय पंच वर्षीय योजना में इस संस्था के खर्च के लिये कोई अलग आवंटन नहीं दिया गया है। प्रति वर्ष आवश्यकताओं को देखते हुए निधि आवंटित की जाती है।

(ग) प्रश्न के भाग (ग) के सम्बन्ध में अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ९१]

बिना टिकट के एक यात्री का बुरा बर्ताव

†१०७०. श्री वाजपेयी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, १९५९ में गंगानगर (राजस्थान) में टी० टी० ई० ने एक बिना टिकट सफर करने वाले को पकड़ा और उस यात्री ने तलवार घुमाते हुए वहां से भागने की कोशिश की जिस से एक पुलिस कांस्टेबल की उंगलियां कट गई; और

(ख) यदि हां, तो इस घटना का व्योरा क्या है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) और (ख). २७-१२-१९५८ को एक टी० टी० ई० ने गाड़ी नं० ३ बी० एस० बी० में बिना टिकट के एक यात्री को पकड़ा। वह गंगानगर स्टेशन पर उतर गया और जब उसे अतिरिक्त भाड़ा चुकाने के लिये कहा गया तो वह अपनी तलवार निकाल कर टी० टी० ई० की ओर भागा टी० टी० ई० स्टेशन मास्टर के दफतर की ओर भागा यात्री नीचे उतर कर अपनी नंगी तलवार भी हवा में घुमाते हुए प्रथ्वीराजपुरा की ओर चला गया। एक सरकारी रेलवे पुलिस कांस्टेबल ने उसे रोकने की कोशिश की परन्तु उसने तलवार से उस पर प्रहार किया। कांस्टेबल ने अपनी लाठी से प्रहार को सफलतापूर्वक रोक लिया परन्तु उसे मामूली चोट आई। एक और कांस्टेबल ने आकर उसे लाठी मारी और वह भाग निकला परन्तु एक गैर सरकारी

†मूल अंग्रेजी में

व्यक्ति ने जिसके पास १२ बोर की बन्दूक थी उसे चुनौती दी और उसका रास्ता रोक लिया जिसपर उसने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। उसे गिरफ़्तार कर लिया गया था। और उस पर यू/एस ३०७ और भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा ३५३ के अधीन मुकदमा चलाया गया है। मुकदमा निर्णय अधीन है।

हिमाचल प्रदेश में बी० सी० जी० के टीके

१०७१. { श्री पद्म देव :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५८ में हिमाचल प्रदेश में कितने लोगों को बी० सी० जी० के टीके लगाये गये ; और

(ख) इस प्रयोजन के लिये कितने चिकित्सा कर्मचारी नियुक्त किये गये ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) १९५८ में हिमाचल प्रदेश में २९९४४ लोगों को बी० सी० जी० के टीके लगाये गये।

(ख) इस प्रयोजन के लिये एक डाक्टर और पांच तकनीशियन प्रतिनियुक्त किये गये थे।

हिमाचल प्रदेश में कुष्ट केन्द्र

१०७२. { श्री पद्म देव :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में स्थित कुष्ठ केन्द्रों के नाम क्या हैं ;

(ख) क्या हिमाचल प्रदेश में कुष्ठ रोग के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) हिमाचल प्रदेश में कुष्ट केन्द्र तो नहीं हैं परन्तु तीन कुष्ठ उप-केन्द्र हैं, जो मण्डी, जिला मण्डी; मशोब्रा, जिला महासू तथा सिरमोर, जिला सिमोर में एक-एक स्थित है।

(ख) जी हां।

(ग) २,७०,५९९ व्यक्तियों का सर्वेक्षण किया गया है और ९४५ रोग-ग्रस्त पाये गये।

नोगली खड्ड (हिमाचल प्रदेश) की विद्युत् परियोजना

१०७३. श्री पद्म देव : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री १८ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २२९६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नोगली खड्ड (जिला महासू, हिमाचल प्रदेश) की विद्युत् परियोजना के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) यह योजना कब तक पूरी हो जायेगी ;

(ग) इस परियोजना से कितने वोल्ट की बिजली तैयार हो सकेगी; और

(घ) इस बिजली से कौन कौन से क्षेत्र लाभान्वित होंगे ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) पारेषण पथ (ट्रान्समिशन लाइन्स) और मुख्य उप-केन्द्र (मेन सब स्टेशन्स) पूरे हो चुके हैं।

(ख) १९६०-६१ के अन्त तक ।

(ग) बिजलीघर से अन्ततः (अल्टिमेटली) १२५० किलोवाट तक बिजली पैदा होगी किन्तु प्रारंभिक अवस्था में इसमें केवल ५०० किलोवाट क्षमता की मशीन लगाई जायेगी।

(घ) महासू जिले (हिमाचल प्रदेश) की रामपुर, कुमारसेन और थियोग तहसीलों के क्षेत्रों तथा निरमंड (कूलू) के गांवों को इस योजना से बिजली दी जायेगी । बाद में जब बिजलीघर की क्षमता (केपेसिटी) बढ़ाई जायेगी तब महासू जिले की रोढ़ू कोटखाई, जुब्बल और सुनी तहसीलों तथा मण्डी जिले में करसांग (हिमाचल प्रदेश) को भी इस योजना से बिजली मिलेगी।

फलों के पौधे देना

१०७४. श्री पद्म देव : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के कृषि विभाग ने लोगों को सेब, नाशपाती, आड़, प्लम, परसीमम, अखरोट, चिलगोजा, बादाम, पिश्ता, अनार, अंगूर और चेसटनट के कितने पेड़ दिये; और

(ख) उनकी बिक्री से कितनी आय हुई ।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) और (ख). चालू वर्ष (१९५८-५९) में १,०६,४४६ पौधे निम्नलिखित संख्या में बांटे जा रहे हैं :—

(१) सेब	२२,४७२
(२) नाशपाती	२,०५६
(३) आड़ू	६,६७५
(४) प्लम	१७,४४८
(५) बादाम	१६,९७६
(६) अखरोट	७,९५९
(७) अनार	१,००४
(८) काजू	२,१००
(९) पिस्ता	४३
(१०) अन्य पौधे	२९,७१३

यह वितरण अनेक एजेन्सियों जैसे ब्लाक विकास अफसरों, कृषि विभाग के उद्यान अनुभाग इत्यादि के द्वारा किया जा रहा है और यह मार्च, १९५९ के अन्त तक जारी रहेगा। अभी तक वास्तव में बांट गये पौधों की ठीक संख्या और उनकी बिक्री से प्राप्त हुई आय के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

हिमाचल प्रदेश में बागीचों का विकास

१०७५. श्री पद्म देव : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बागीचों के विकास के लिये हिमाचल प्रदेश के कृषि विभाग ने १९५८ में कितना ऋण दिया ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : नये फल के बागीचों को लगाने के लिये पहली जनवरी से ३१ दिसम्बर, १९५८ तक फल उगाने वालों को ऋण के रूप में १,४८,४७५ रुपये बांटे गये ।

हिमाचल प्रदेश के काश्तकार

१०७६. श्री पद्म देव : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में १९५६ से दिसम्बर, १९५८ तक की अवधि में कितने बेदखल किये गये काश्तकारों को उनकी जमीनें वापिस की गईं; और

(ख) उक्त अवधि में जमीनें वापिस करने के सम्बन्ध में कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए और उनमें से कितने स्वीकृत हुए ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) ४४ ।

(ख) अपनी जमीनों की वापसी के लिये बेदखल किये गये किसानों से १५० प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए । उनमें से ४४ प्रार्थना पत्र स्वीकार किये गये ।

हिमाचल प्रदेश में सहकारी बिक्री समितियां

१०७७. श्री पद्म देव : क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में कितनी सहकारी बिक्री समितियां हैं;

(ख) इन समितियों ने १९५८ में कितना कार्य किया ;

(ग) इन समितियों की कुल पूंजी और अंश पूंजी कितनी है; और

(घ) क्या इन समितियों को १९५८ में सरकार द्वारा सहायता के रूप में कोई राशि दी गई थी ?

सामुदायिक विकास मंत्री के सभा-सचिव (श्री ब० स० मूर्ति) : (क)

२२ प्रमुख बिक्री समितियां

५ जिला बिक्री संघ

१ राज्य बिक्री संघ ।

(ख)

	खरीदे हुए सामान की कीमत	बिक्री
	रुपये	रुपये
प्रमुख बिक्री समितियां	४,६९,३४०	४,४४,७३०
जिला बिक्री संघ	१३,५५,७५९	१२,७४,०१९
राज्य बिक्री संघ	२४,४७,९७८	१८,२६,०२४
योग	४२,७३,०७७	३५,४४,७७३

(ग)

	सक्रिया पंजी	अंश पूंजी
	रुपये	रुपये
प्रमुख बिक्री समितियां	८,०४,३७४	१,६६,८०८
जिला बिक्री संघ	१७,४५,१६५	१,६७,२५७
राज्य बिक्री संघ	११,९४,९६२	२३,९५०
योग	३७,४४,५०१	३,५८,०१५

(घ) नहीं।

हिमाचल प्रदेश में बाल (धूम्रपान पर रोक) एक्ट

१०७८. श्री पद्म देव : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में बाल (धम्रपान पर रोक) एक्ट लागू है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश में ५ वर्ष के बच्चे भी धूम्रपान के आदी हैं; और

(ग) क्या सरकार का इस एक्ट को लागू करने के लिये कोई सक्रिय कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) हिमाचल प्रदेश बाल (धूम्रपान पर रोक) एक्ट, १९५३, हिमाचल प्रदेश में लागू है।

(ख) ऐसा कोई मामला उस प्रशासन के ध्यान में नहीं लाया गया है।

(ग) इस एक्ट के उपबन्धों को लागू करने के लिये हिमाचल प्रदेश प्रशासन द्वारा आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।

हिमाचल प्रदेश में ट्राउट फार्म

१०७६. **श्री पद्म देव** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिड़गांओं (जिला महासू, हिमाचल प्रदेश) में ट्राउट फार्म तैयार हो गया है;

(ख) यदि हां, तो १९५८ में सरकार को इस फार्म से कितनी आय हुई;

(ग) यदि प्रश्न के उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या मछलियों की बिक्री की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) जी हां ।

(ख) जानकारी इक्ट्ठी की जा रही है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

(घ) जी नहीं । मछलियों की बिक्री की योजना को बरोत की ट्राउट उत्पादन योजना से बदल दिया गया था ।

हिमाचल प्रदेश में पशु-पालन

१०८०. **श्री पद्म देव** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश सरकार ने पशु-पालन के प्रशिक्षण के लिये कितने व्यक्तियों को विदेश भेजा ; और

(ख) सरकार को इस समय विभिन्न श्रेणियों के कितने-कितने प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) और (ख). आवश्यक जानकारी इक्ट्ठी की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा की टेबल पर रख दी जायेगी ।

उड़ीसा से चावल की वसूली

†१०८१. **श्री सूपकार** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा से चावल की वसूली करते समय केवल कारखानों का चावल वसूल करने पर ही जोर दिया जाता है; और

(ख) इसके क्या कारण हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रबी आन्दोलन

†१०८२. **श्री जाधव** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रबी आन्दोलन के दौरान में कुल कितने एकड़ भूमि काश्त अधीन लाई गई और प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र के अलग अलग आंकड़े क्या हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १९५७-५८ में कितने एकड़ भूमि में काश्त हो रही थी ;

(ग) पिछले वर्ष की तुलना में कितना क्षेत्र बढ़ेगा; और

(घ) प्रत्येक राज्य में आन्दोलन पर कितना खर्च किया गया ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ९२]**

(घ) असल व्यय के आंकड़े अभी राज्य सरकार से उपलब्ध नहीं हुए हैं ।

केरल में छोटे पत्तनों का विकास

†१०८३. **श्री जीनचन्द्रन्** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री १५ नवम्बर, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या २९९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न पत्तनों के विकास कार्य के लिये कोई प्राथमिकता निर्धारित की गई है; और

(ख) क्या चालू वित्तीय वर्ष में किसी पत्तन पर विकास कार्य किया गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी नहीं ।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में कोजीकोड और तेलीचेरी पत्तनों में बिजली के क्रेनों की व्यवस्था करने और अज़्हीकल पत्तन में समुद्री टग और पत्तन तक जाने वाली सड़क की व्यवस्था करने का काम शुरू किया गया ।

मद्रास-मंगलौर लाइन के केरल सेक्शन पर यात्रियों के लिए सुख सुविधायें

†१०८४. **श्री जीनचन्द्रन्** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५९-६० और १९६०-६१ में मद्रास-मंगलौर लाइन के केरल सेक्शन के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को क्या क्या सुख सुविधाओं की व्यवस्था करने का विचार है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : १९५९-६० के वर्ष में निम्नलिखित स्टेशनों पर निम्नलिखित सुख सुविधाओं की व्यवस्था करने का विचार है :—

१. कुट्टिपुरम् .	तीसरी श्रेणी के प्रतीक्षालय का विस्तार ।
२. कुट्टिपुरम्	६ सीटों वाले एक पक्के शौचालय की व्यवस्था ।
३. ओलवक्कोट	विश्राम कक्षों की व्यवस्था ।
४. पय्यानूर	तीसरे श्रेणी के प्रतीक्षालय का विस्तार ।
५. पय्यानूर	६ सीटों वाले एक पक्के शौचालय की व्यवस्था ।
६. शोराणूर जंक्शन	आमिष भोजनालय में एक अतिरिक्त डाइनिंग रूम की व्यवस्था ।
७. चूलिमाडा	४ सीटों वाले एक शौचालय की व्यवस्था ।
८. नीलेश्वर	६ सीटों वाले एक पक्के शौचालय की व्यवस्था ।
९. वालापत्तनम् . .	४ सीटों वाले एक पक्के शौचालय की व्यवस्था ।

†मूल अंग्रेजी में

जहां तक १९६०-६१ के लिये प्रस्थापनाओं का सम्बन्ध है, सूची जुलाई, १९५९ में तैयार की जायेगी और फिर वह उपभोक्ता सुविधा समिति द्वारा मंजूर की जायेगी ।

मालाबार-कोचीन एक्सप्रेस

†१०८५. **श्री जांनवन्द्रन्** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मालाबार और कोचीन एक्सप्रैसों में पश्चिमी तट तथा गैर-पश्चिमी तट के यात्रियों के लिये तीनों श्रेणियों में से प्रत्येक के लिये कितनी कितनी सीटें उपलब्ध हैं;

(ख) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मद्रास और पश्चिमी तट के नगरों के बीच यात्रियों की अत्यधिक भीड़भाड़ रहती है, क्या सरकार इन दोनों गाड़ियों को केवल मात्र पश्चिमी तट के यात्रियों के उपभोग के लिये ही चलाने का विचार रखती है; और

(ग) क्या सरकार की इस सेक्टर में भीड़भाड़ को कम करने के सम्बन्ध में कोई और योजना है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें मद्रास-मंगलोर मेल संख्या १ तथा २ और मद्रास-कोचीन एक्सप्रैस संख्या १९ तथा २० में उपलब्ध सीटों का व्योरा निहित है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ९३]**

(ख) जी, नहीं ।

(ग) दक्षिण रेलवे के वेस्ट कोस्ट सेक्शन में गाड़ियों में भीड़ भाड़ को कम करने के लिये निम्नलिखित कार्यवाहियां की गयी हैं अथवा करने का विचार है :—

(१) मद्रास और सैलम के बीच चलने वाली मद्रास-कोचीन एक्सप्रैस संख्या १९/२० के साथ मद्रास से १४-८-५८ से और सैलम से १५-८-५८ से एक 'सेक्शनल' तीसरी श्रेणी का डिब्बा लगा दिया जाता है ।

(२) मद्रास-कोचीन एक्सप्रैस संख्या १९ तथा जलारपेट-मद्रास पैसेंजर संख्या ३१२ में जो तीसरे दर्जे का सवारी डिब्बा मद्रास और अरकोणम् के बीच चलता था, उसे १४-२-५९ से मद्रास से जलारपेट तक बढ़ा दिया गया, ताकि मद्रास और जलारपेट के बीच की भीड़ भाड़ को कुछ कम किया जा सके और इस प्रकार वेस्ट कोस्ट को जाने वाले यात्रियों को कुछ आराम दिया जा सके ।

(३) १-४-५९ से मद्रास-जलारपेट सेक्शन का तीसरे दर्जे का डिब्बा मद्रास और इरोड के बीच तक चलने के लिये मद्रास-कोचीन एक्सप्रैस गाड़ी संख्या १९/२० के साथ लगा दिया जाया करेगा ।

(४) १-४-५९ से वर्तमान गाड़ी सेवाओं में कुछ परिवर्तन करके मद्रास और शोराणूर के बीच प्रत्येक मार्ग पर सुविधाजनक समयों पर एक एक सीधी सवारी गाड़ी चलायी जायेगी ।

(५) १-४-५९ से ३०-६-५९ तक की अवधि में मद्रास-कोचीन एक्सप्रैस संख्या १९ और २० तथा मद्रास-मंगलोर मेल संख्या १ और २ में यथासंभव तीसरी श्रेणी का एक एक और डिब्बा लगा दिया जायेगा ।

(६) गाड़ियों में यदि स्थान उपलब्ध हुआ और अधिक भीड़ भाड़ न हुई तो ग्रीष्म काल में पश्चिमी तट की लाइन पर एक और सवारी गाड़ी चला दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अमरीकी गुब्बारा

१०८६. श्री वाजपेयी : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के एक ग्राम में हाल ही में एक गुब्बारा पाया गया जो अनेक ट्रांसमीटरों तथा अन्य वैज्ञानिक यंत्रों से सुसज्जित था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त गुब्बारे के साथ एक पत्र भी संलग्न था जिससे यह पता चलता है कि गुब्बारा अमरीकी सेना के ऋतु विज्ञान सम्बन्धी अड्डे से तापमान, दबाव और नमी आदि के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिये भेजा गया था;

(ग) यदि हां, तो गुब्बारे के सम्बन्ध में क्या अन्य जानकारी प्राप्त करने का यत्न किया गया है; और

(घ) उसका क्या परिणाम निकला है ?

असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ). इण्डिया मीटियोरोलोजिकल डिपार्टमेंट को पीलीभीत के सुपरिंटेंडेंट पुलिस के भेजे हुए एक खत से यह पता चला कि १४ जनवरी, १६५६ को पीलीभीत जिले के जहानाबाद गांव में एक गुब्बारा पाया गया जिसमें मौसमी औजार और ट्रांसमीटर थे । इण्डिया मीटियोरोलोजिकल डिपार्टमेंट को पीलीभीत से यह औजार ६ फरवरी, १६५६ को मिला और इस बात की शिनाख्त करली गई है कि यह औजार अटमासफियरिक इलेक्ट्रिसिटी की खास जानकारी के लिये उड़ाये हुए डिपार्टमेंट के औजारों में से हैं । इसके लिये कुछ सालों पहिले आर्मी डिस्पोजल से मिला हुआ एक पुराना अमरीकन ट्रांसमीटर इस्तेमाल किया गया था और यही वजह है कि औजार पर बने हुए निशानात उसे अमरीकन आर्मी का बता रहे थे । यहां यह भी बता देना मुनासिब होगा कि रुटीन बैलूनों की उड़ानों में जैसा कायदा है वैसा ही डिपार्टमेंट ने इसमें भी किया था कि औजार के साथ एक नोटिस लगा था जिससे यह मालूम हो जाये कि औज़ार को इण्डिया मीटियोरोलोजिकल डिपार्टमेंट भेज रहा है । ऐसा लगता है कि औजार पाने वालों ने इस नोटिस का खयाल नहीं किया । इस तरह के बैलून, इण्डिया मीटियोरोलोजिकल डिपार्टमेंट और कई देश अटमासफियर की मुख्तलिफ सतहों के मौसमी हालात, जैसे टेम्परेचर, दबाव, नमी वगैरह की जानकारी के लिये आमतौर से भेजते रहते हैं ।

इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन

†**१०८७. श्री वें० प० नायर : क्या परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के प्रबन्ध में मजदूरों द्वारा भाग लिये जाने की वांछनीयता पर विचार किया है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) और (ख). इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन ने, औद्योगिक विवाद अधिनियम, १६४७ की धारा ३ के अधीन, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और हैदराबाद में कर्म समितियां स्थापित की हैं । कारपोरेशन के विमान नियम, अधिनियम, १६५३ की धारा ४१ (२) के अधीन श्रम सम्पर्क समितियां भी स्थापित की हैं जिनमें निगम तथा कर्मचारी दोनों के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेल परीक्षक (ट्रेन एग्जामिनर)

†१०८८. **श्री दलजीत सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के रेल परीक्षक (ट्रेन एग्जामिनर्स) के 'सी' ग्रेड के कितने स्थान इस समय रिक्त हैं; और

(ख) इस रेलवे में कितने स्थानों के ग्रेड को बढ़ाकर १५०–२२५ रुपये कर दिया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) ३।

(ख) ३३।

उत्तर रेलवे में भ्रष्टाचार के मामले

†१०८९. **श्री दलजीत सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में उत्तर रेलवे के कर्मचारियों द्वारा किये गये भ्रष्टाचार के किस-किस प्रकार के और कितने मामले पकड़े गये थे; और

(ख) कितने मामले अभी तक अनिर्णीत हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनावज खां)** : (क) ३९४।

१. अवैध रूप से उपहार प्राप्त करना।

२. रिकार्ड में रद्दोबदल करना।

३. सरकारी धन का गबन।

४. रेलवे के सामान और मजदूरों का दुरुपयोग।

५. पासों तथा प्रिवलेज टिकट आर्डरों का दुरुपयोग।

६. सामान को कम तोलना।

७. स्थान शुल्क और विलम्ब शुल्क की वसूली न करना।

(ख) ३२९।

राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी

†१०९०. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एक राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी स्थापित करने का विचार रखती है; और

(ख) यदि हां, तो यह कब स्थापित की जायगी ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). जनवरी १९५९ में शिलांग में केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् की जो बैठक हुई थी, उसमें राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी की स्थापना के सम्बन्ध में एक प्रस्थापना की गयी थी, इस बारे में यह निर्णय किया गया है कि इसके सम्बन्ध में विचार जानने के लिये इसे राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों तथा अन्य निकायों के पास भेजा जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

राज्य विद्युत् बोर्ड

†१०९१. **श्री सूपकार** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्रों में कोई राज्य विद्युत् बोर्ड अथवा राज्य विद्युत् परिषद् स्थापित की गयी है; और

(ख) यदि हां, तो वे बोर्ड और परिषदें कब से काम कर रही हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) और (ख). दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में १९५१ में एक विद्युत् बोर्ड और एक राज्य विद्युत् परिषद स्थापित की गयी थी । परन्तु दिल्ली नगर निगम की स्थापना पर ७ अप्रैल, १९५८ को बोर्ड और परिषद् को निगम में ही मिला दिया गया था । अन्य किसी भी संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक कोई भी बोर्ड अथवा परिषद स्थापित नहीं की गयी हैं ।

अनुसूचित जाति के लोगों को पानी पिलाने वालों के रूप में नियुक्ति

†१०९२. **श्री सोनावने** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों के किन्हीं लोगों को भी रेलों में पानी पिलाने वालों के रूप में नियुक्त किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सभी रेलों में जोन-वार इस प्रकार के कितने व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां ।

(ख)

रेलवे	अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की संख्या
मध्य	४६
पूर्व	१६
उत्तर	११५
पूर्वोत्तर	३७
पूर्वोत्तर सीमान्त	३८
दक्षिण	२६
दक्षिण पूर्व	३४
पश्चिम	९२

रेलवे स्टेशनों पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों द्वारा भोजन व्यवस्था

†१०९३. **श्री सोनावने** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न क्षेत्रीय रेलों के सभी स्टेशनों पर ऐसे कुल कितने भोजन व्यवस्था स्टाल हैं जो कि अनुसूचित जातियों तथा

†मूल अंग्रेजी में

अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों द्वारा चलाये जा रहे हैं और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों को ये स्टाल किस नीति के आधार पर आवंटित किये जाते हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ९४]**

नीति यह है कि (१) छोटे छोटे स्टाल एलाट करते समय अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को प्राथमिकता दी जाये, बशर्ते वे उस काम के अयोग्य न हों;

(२) बड़े स्टालों तथा जलपान-ग्रहों के ठेके देते समय अन्य बातों की समानता देखते हुए अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों के व्यक्तियों को ही प्राथमिकता दी जाती है।

मछली पकड़ने के जाल बनाने का संयंत्र

†१०९४. **श्री आसर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बम्बई में मछली पकड़ने के जाल बनाने का एक संयंत्र खरीद लिया है;

(ख) क्या संयंत्र चालू हो गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी, हां। प्रविधिक सहकारिता मिशन सहायता योजना के अधीन एक सुतली तथा जाल बनाने का संयंत्र प्राप्त किया गया था और वह बम्बई सरकार को एलाट कर दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) क्योंकि उपकरण देश के लिये अभी नया है, इसलिये विदेशों के निर्माण इंजीनियर भर्ती करना आवश्यक है। उनकी भर्ती के लिये बातचीत चल रही है और उनकी सेवायें प्राप्त होते ही संयंत्र लगा दिया जायेगा।

मध्य रेलवे पर लाइसेंस प्राप्त पोर्टर

†१०९५. **श्री परुलकर** : क्या **रेलवे** मंत्री १८ नवम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे में लाइसेंस प्राप्त पोर्टरों को रेलवे द्वारा रेलवे के कामों के लिये ४ आने प्रति घंटा मजूरी दी जाती है;

(ख) वे पोर्टर यात्रियों से कितनी मजूरी लेने के अधिकारी हैं; और

(ग) जब उन्हें रेलवे के काम में लिया जाता है तो उस समय उन्हें निर्धारित दर के अनुसार मजूरी क्यों नहीं दी जाती ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां। बम्बई-कल्याण सेक्शन में ४ आने प्रति घण्टा और शेष स्टेशनों पर २२ नये पैसे प्रति घण्टा।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) बम्बई-कल्याण सेक्शन के सभी स्टेशनों और कुछ अन्य प्रसिद्ध स्टेशनों पर एक पारी में एक मन से कम वजन के प्रति सामान के लिये ३ आने अथवा १९ नये पैसे। शेष सभी स्टेशनों पर दो आने या १२ नये पैसे।

(ग) लाइसेंस प्राप्त पोर्टरों द्वारा जो रेलवे का काम किया जाता है, वह यात्रियों के सामान उठाने के काम से भिन्न प्रकार का है।

केन्द्रीय सुपारी समिति के लिये फार्म आफिस और फील्ड प्रयोगशाला का निर्माण

†१०९६. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने पनानापुरम् में दक्षिण केरल के लिये केन्द्रीय सुपारी समिति के प्रादेशिक गवेषणा केन्द्र के फार्म आफिस और फील्ड प्रयोगशाला का निर्माण-कार्य आरम्भ कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हो चुकी है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

तपेदिक पर नियंत्रण

†१०९७. **श्री मोहम्मद इमाम** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तपेदिक सन्था द्वारा १९५२-५३ से १९५८-५९ तक बी० सी० जी० के टीकों तथा अन्य तपेदिक निरोधक उपायों द्वारा तपेदिक की रोक थाम करने के लिये कितनी राशि खर्च की गयी है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : सन्था की मुख्य मुख्य कार्यवाहियां ये हैं—राज्य तपेदिक सन्थाओं, और राज्य तथा केन्द्रीय सरकारों को तपेदिक निरोधक उपायों के उपयोग के सम्बन्ध में मंत्रणा देना; उनके प्रचार तथा विज्ञापन इत्यादि के सम्बन्ध में व्यवस्था करना; और तपेदिक सम्बन्धी कार्यकर्ताओं की वार्षिक बैठकें करना। सन्था तीन तपेदिक संस्थायें भी चला रही है वे हैं—तपेदिक अस्पताल महरौली (दिल्ली), नयी दिल्ली तपेदिक केन्द्र और लेडी लिनलिथगो सैनेटोरियम, कसौली। सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें यह बताया गया है कि तपेदिक सन्था तथा इसकी संस्थाओं द्वारा १९५२ से १९५७ तक कितनी राशि खर्च की गयी थी।
[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ९५]

छोटे सिंचाई कार्यों के लिये ऋण

†१०९८. { **श्री अ० क० गोपालन** :
श्री कोडियान :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को केरल सरकार से यह सुझाव प्राप्त हुआ है कि सहकारी खेतों तथा पंचायतों के उपयोग के लिये छोटे सिंचाई कार्यों के लिये ऋण दिये जायें; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने उस सुझाव को स्वीकार कर लिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । 'अधिक अन्न उपजाओ' नियमों के अधीन छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये राज्य सरकारों को ऋण तथा अनुदान दिये गये हैं । योजनाओं की कार्यान्विति और विभिन्न दलों को सहायता देना राज्य सरकारों का काम है ।

भुवनेश्वर में विश्राम गृह

†१०९९. **श्री पाणिग्रही** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १ नवम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुवनेश्वर तथा कोणार्क में विश्राम गृह तैयार करने के लिये नकशे और प्राक्कलन तैयार कर लिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). १ नवम्बर, १९५८ को अतारांकित प्रश्न संख्या ५३ का उत्तर नहीं दिया गया था । संभवतः १८ नवम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५३ के उत्तर की ओर निर्देश है ।

कोणार्क में विश्राम गृह के नक्शे तो तैय।र कर लिये गय हैं । परन्तु कोणार्क के विश्राम गृह के प्राक्कलन और भुवनेश्वर के विश्राम गृह के नक्शे और प्राक्कलन अभी तैयार नहीं हुए हैं । आशा है कि दोनों विश्राम गृहों का निर्माण कार्य चालू योजना काल में पूरा हो जायेगा ।

डाक बीमा

११००. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ३१ दिसम्बर, १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में डाक जीवन बीमे के अन्तर्गत जीवन बीमे की कितनी पालिसियां जारी की गई तथा उनकी रकम कितनी थी ?

परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : १,६९,३१,८०० रुपयों के अंकित मूल्य वाली ७४७२ पालिसियें ।

रेलवे क्वार्टर

†११०१. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६० तथा १९६०–६१ में पहली, दुसरी, तीसरी तथा चौथी श्रेणी के रेलवे कर्मचारियों के लिये कितने क्वार्टर बनाये जायेंगे; और

(ख) प्रत्येक रेलवे के लिये कितनी धनराशि स्वीकार की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख). १६५६–६० में लगभग ६००० क्वार्टर बनाने का विचार है। १६५६–६० के आय-व्ययक में प्रत्येक रेलवे के लिये निम्नलिखित व्यवस्था की गई है :—

	रुपये लाखों में
१. मध्य रेलवे	१२५.००
२. पूर्व रेलवे	८४.६०
३. उत्तर रेलवे	६०.००
४. पूर्वोत्तर रेलवे	४०.६६
५. पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे	६२.६१
६. दक्षिण रेलवे	७१.००
७. दक्षिण पूर्व रेलवे	११४.००
८. पश्चिम रेलवे	७१.००
जोड़	६२६.१७

अस्थाई रूप से बनाई गई योजनानुसार १६६०–६१ में लगभग १०,००० क्वार्टर बनाने का विचार है। परन्तु इस वर्ष क्वाटरों को बनाने के लिये उपबन्ध रेलवे के निर्माण कार्यक्रम पर विचार के समय किया जायेगा।

भारत के लिये पश्चिम जर्मनी में बनाये गये जहाज

†११०२. **श्री राम कृष्ण** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के लिये पश्चिम जर्मनी में जहाज बनाये जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे जलपोत कितने हैं तथा उनका कुल टन भार क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां।

(ख) लगभग ७२,४०० जी० आर० टी० के ६ जहाज।

गुड़गांव जिले के लिये भाखड़ा का पानी

†११०३. **श्री राम कृष्ण** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार गुड़गांव जिले के सूखे क्षेत्र में भाखड़ा का पानी लाने की योजना को अन्तिम रूप दे रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति के लिये योजना आगई है; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) योजना के ब्यौरे क्या हैं तथा क्या योजना स्वीकार करली गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) कोई जानकारी नहीं है।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

आसाम में नाली योजना

†११०४. **श्री बसुमतारी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम सरकार ने गोहाटी के लिये सीवेज के तरीके की जमीन के नीचे से जाने वाली नालियों की योजना भेजी है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ।

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

असैनिक उड्डयन विभाग के अराजपत्रित[1] कर्मचारी

†११०५. **श्री बसुमतारी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असैनिक उड्डयन विभाग के सभी अराजपत्रित कर्मचारियों के काम के घंटे आदि एक जैसे हैं ;

(ख) क्या हवाई अड्डों अथवा विभागों के प्रभारी अराजपत्रित कर्मचारियों को उत्तरदायित्व ग्रहन करने के लिये अस्थाई राजपत्रित पद अथवा विशेष वेतन दिये जाते हैं; और

(ग) क्या हवाई अड्डे एक ही कर्मचारी के एकीकृत प्रभार के अधीन हैं ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) जी नहीं । अनुसचिवीय कर्मचारी, संचालन कर्मचारी, आग बुझाने वाले कर्मचारी, वर्कशाप के काम करने वाले कर्मचारी, चौकीदार आदि विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के काम के घंटे एक समान रखना सम्भव नहीं है ।

(ख) जी नहीं । क्योंकि उत्तरदायित्व अधिक नहीं होता है इसलिये विशेष वेतन देना अथवा राजपत्रित पद देने का कोई औचित्य नहीं है ।

(ग) छः छोटे हवाई अड्डे असिस्टेंट कम्युनिकेशन आफिसर, जिन्हें विमान यातायात नियंत्रण सम्बन्धी कर्त्तव्यों का प्रारिक्षण दिया गया है, के समस्त प्रकार के अधीन हैं ।

आसाम में छोटे सिंचाई संभाव्य संसाधन

†११०६. **श्री बसुमतारी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ८ तथा ६ अगस्त १६५८ को कलकत्ते में पूर्वी क्षेत्र तथा प्रादेशिक छोटी सिंचाई सम्मेलन में आसाम के बनाये गये छोटे सिंचाई संभाव्य संसाधनों का पूरा पूरा उपयोग उटाने की समस्या पर विचार किया गया था; और

†मूल अंग्रेजी में

[1]Non-Gazetted

(ख) यदि हां, तो क्या आसाम सरकार ने आसाम में नदियां तथा सहायक नदियां बहुत होने के कारण उनका पूरा पूरा उपयोग उठाने के बारे में कोई सुझाव दिया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी हां।

(ख) आसाम सरकार ने बांध तथा नाली परियोजनाओं जिन पर इस समय कार्य हो रहा हैं, के अतिरिक्त मध्यम तथा छोटी सिंचाई योजनाओं को आरंभ करने के बारे में निर्णय कर लिया है। ऐसी परियोजनाओं, विशेषतया उन क्षेत्रों के बारे में जिनमें गत वर्षों में सूखा पड़ा है, सर्वेक्षण और खोज आरंभ कर दी है। राज्य सरकार ने बिजली के द्वारा पम्प से सिंचाई कार्यक्रम का विस्तार करने का विचार किया है।

आंग्ल भारतीयों के लिये पदों का रक्षण

†११०७ { **श्री फ्रैंक एन्थनी** :
श्री बैरो :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९४६, १९४७, १९५०, १९५१, १९५२, १९५३, १९५४, १९५६, १९५७ तथा १९५८ वर्षों में अलग अलग प्रत्येक रेल पर आंग्ल भारतीयों के लिए कितने पदों का रक्षण किया गया है;

(ख) उपरिलिखित वर्षों में प्रत्येक में कितने आंग्ल भारतीयों में उपरिलिखित पदों के लिए अभ्यर्थी थे; और

(ग) उपरिलिखित पदों पर कितने आंग्ल भारतीय नियुक्त किए गए हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी।

२७-२-१९५९ को दिया जाने वाला उत्तर

कानपुर लोको वर्कशाप में भिड़न्त

११०८. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ९-१० फरवरी, १९५९ की रात को कानपुर के लोको वर्कशाप में सवारी गाड़ियों के दो इंजनों की भिड़न्त हो गई जिसके परिणामस्वरूप इंजनों को काफी क्षति हुई; इंजनों में बैठे कर्मचारियों को चोटें आई और वे बाहर जा गिरे और रेल की लाइनें टेढ़ी हो कर जमीन में धंस गई; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

---

†मूल अंग्रेजी में

बम्बई में छोटी सिंचाई योजनायें

†११०९. **श्री पांगरकर** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५९–६० में छोटी सिंचाई योजनाओं के लिए बम्बई की सरकार ने कोई वित्तीय सहायता मांगी हैं; और

(ख) यदि हां, तो कितनी?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) से (ख): जी हां। बम्बई सरकार ने ५.३१ करोड़ रुपये मांगे हैं।

माल–डिब्बे

†१११०. **श्री सिद्धनंजप्पा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने ५५ टन वाले माल-डिब्बों का संभरण करने के लिये भारतीय निर्माताओं को आर्डर दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो यह आर्डर कितनी राशि के हैं और ये माल-डिब्बे कब तक उपलब्ध हो जायेंगे; और

(ग) कौन सी फर्मों को यह आर्डर दिये गये हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां।

(ख) फर्मों को जो अस्थायी तौर पर मूल्य दिये गये हैं उनके अनुसार यह आर्डर ५.२५ करोड़ रुपये के हैं। इन माल-डिब्बों के जून १९५९ से अप्रैल १९६० तक मिल जाने की आशा है।

(ग) (१) मैसर्स बर्न एंड कम्पनी लिमिटेड, हावड़ा।

२. मैसर्स आई० एस० डब्ल्यू० एण्ड कम्पनी लिमिटेड, बर्नपुर,

३. मैसर्स जेसप एण्ड कम्पनी, लिमिटेड, कलकत्ता, और

४. मैसर्स ब्रैथवेट एण्ड कम्पनी, लिमिटेड, कलकत्ता।

सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं की फालतू मशीनरी

†११११ { **श्री राम कृष्ण** :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री मोहम्मद इलियास :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात का अनुमान लगाया गया है कि सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं के पास कितनी मशीनें और पुर्जे फालतू हैं। और

(ख) यदि हां, तो देश के हित के लिए उनका पूरी तरह उपयोग करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†सिंचाई और विद्युत उप मंत्री (श्री हाथी) : (क) अनुमान लगाया जा रहा है।

(ख) इस काम के लिए २ फरवरी, १९५९ में एक पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। उसके प्रतिवेदन की प्रतीक्षा है।

पूर्वोत्तर रेलवे पर लाइनों का सर्वेक्षण

†१११३. **श्री प्र० चं० बरूआ** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वोत्तर रेलवे पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में कितनी रेलवे लाइनों का अब तक सर्वेक्षण कर लिया गया है ?

रेलवे उप मंत्री (श्री सें० वें० रामास्वामी) : १. सीतामढ़ी गढ—सोनबरसा

२. मुज़फ्फरपुर–दरभंगा और

३. रामपुर—हलद्वानी

नई लाइनों का सर्वेक्षण किया गया है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

त्रिपुरा मोटर गाड़ी नियमों में संशोधन

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : मैं मोटरगाड़ी अधिनियम १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अन्तर्गत त्रिपुरा मोटर गाड़ी नियम, १९५४ में कुछ संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(१) दिनांक ८ नवम्बर, १९५८ की संख्या एफ ४(७०)/एम०वी०/५८

(२) दिनांक १३ दिसम्बर, १९५८ की संख्या एम० वी०/३-१२३/५८

(३) दिनांक १० जनवरी, १९५९ की दो अधिसूचनायें संख्या एफ ० वी० (१)—एम० वी०/५७

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०—१२५६/५९]

अत्यावश्यक, पण्य अधिनियम के अधीन जारी की गई अधिसूचनायें

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

(१) दिनांक १६ फरवरी, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या २०१।

(२) चावल और धान (आसाम) दूसरा मूल्य नियंत्रण आदेश, १९५८ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २१ फरवरी, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या २१३।

---

†मूल अंग्रेजी में

(३) उत्तर प्रदेश धान (यातायात पर प्रतिबन्ध) आदेश, १९५८ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १८ फरवरी, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या २१८ ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०—१२५७/५९]

विधेयक पर राय

†**श्री रघुबीर सहाय** (बदायूं) : श्रीमान्, मैं दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक पर, जिसे ५ सितम्बर, १९५८ को सभा के निदेशानुसार राय जानने के लिये परिचालित किया गया था, प्राप्त रायों की पत्र संख्या २ और ३ सभा-पटल पर रखता हूं ।

राज्य सभा से संदेश

†**सचिव** : मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य सभा के सचिव से एक संदेश प्राप्त हुआ है जिस के साथ उन्हों ने राज्य सभा द्वारा १९ फरवरी, १९५९ की अपनी बैठक में पारित किये गये लागत तथा निर्माण लेखापाल विधेयक १९५९ की प्रति संलग्न की है ।

लागत तथा निर्माण लेखापाल विधेयक

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, सभा पटल पर रखा गया

†**सचिव** : में लागत तथा निर्माण लेखापाल विधेयक १९५९, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखता हूँ ।

प्राक्कलन समिति

पैंतीसवां प्रतिवेदन

†**श्री ब० गो० मेहता** (गोहिलवाड़) : मैं प्रतिरक्षा मंत्रालय—सैनिक डेरी फार्मों के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति (पहली लोक-सभा) के चौसठवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में प्राक्कलन समिति का पैंतीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

बारहवां प्रतिवेदन

†**श्री मूलचन्द दुबे** (फर्रुखाबाद) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का बारहवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

मैं उन सदस्यों के नाम के विवरण की भी एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो गत सत्र में लगातार १५ दिन अथवा उस से अधिक दिन अनुपस्थिति रहे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

गण्डक परियोजना के बारे में बिहार के सिंचाई मंत्री का वक्तव्य

†**श्री झूलन सिंह** (सीवन) : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर सिंचाई और विद्युत् मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उस के सम्बन्ध में वक्तव्य दें :—

"गंडक परियोजना के बारे में २४ फरवरी, १९५९ को समाचार पत्रों में प्रकाशित बिहार के सिंचाई मंत्री का वक्तव्य ।"

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)** : १७ दिसम्बर, १९५८ को सभा में बताया गया था कि बिहार सरकार केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग की टिप्पणियों और कुछ अन्य बातों के आधार पर गंडक परियोजना प्रतिवेदन का पुनरीक्षण कर रही है । इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने यह कहा कि बिहार सरकार को उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में आने वाली गंडक की मुख्य नहर तथा अन्य सहायक नहरों को बनाने का पूरा पूंजीगत खर्चा, जिसमें प्रतिकर और पुनर्वास का खर्चा भी शामिल है, उठाना चाहिये और उत्तर प्रदेश सरकार बिहार सरकार से उन्हीं शर्तों पर पानी लेने को तैयार है जिन पर बिहार सरकार बिहार के काश्तकारों को इस परियोजना से पानी देगी । मेरे कहने पर २१ फरवरी १९५९ को लखनऊ में एक बैठक हुई जिस में मेरे अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री और सिंचाई और विद्युत मंत्री तथा बिहार के सिंचाई मंत्री थे । इस मामले पर विचार किया गया । मुझे यह बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि एक समझौता हो गया है जिस के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने, योजना आयोग के इस सुझाव को मान लिया है कि जो क्षेत्र गंडक नहर से फायदा उठायें उन पर सुधार शुल्क लगाया जाये । उत्तर प्रदेश सरकार ने यह भी स्वीकार कर लिया है कि उत्तर प्रदेश में नहर तथा अन्य छोटी नहरें वह अपनी लागत से बना लेंगे । समस्त परियोजना का व्यय उत्तर प्रदेश तथा बिहार लाभों के अनुसार ही वहन करेंगे ।

गंडक बांध का कुछ हिस्सा नैपाल में भी आता है इसलिये परियोजना काम आरम्भ करने से पूर्व नैपाल सरकार की अनुमति लेना आवश्यक होगा । हमें विश्वास है कि नैपाल सरकार निकट भविष्य में अपनी सहमति दे देगी ।

सभा का कार्य

†**संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : श्रीमान्, मैं आप की अनुमति से सोमवार, २ मार्च से आरम्भ होने वाले सप्ताह में लिये जाने वाले सरकारी कार्य की घोषणा करता हूं, जो इस प्रकार होगा :—

(१) रेलवे आयव्ययक पर और आगे चर्चा ।

(२) १९५९–६० के लिये अनुदानों की मांगों, (रेलवे) पर चर्चा तथा मतदान ।

(३) १९५८–५९ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेलवे) पर चर्चा तथा मतदान ।

†मूल अंग्रेजी में ।

(४) निम्नलिखित विधेयकों पर विचार तथा उन का पारित किया जाना :—

(एक) अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, और

(दो) भारतीय बिजली (संशोधन) विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में।

(५) ५ मार्च को ४ बजे श्री परूलकर तथा अन्य सदस्यों द्वारा प्रस्तुत एक प्रस्ताव पर हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड में स्ट्रैप्टोमाइसीन तथा डिहाइड्रो-स्ट्रैप्टोमाइसीन बनाने के सम्बन्ध में मैसर्स मर्क एण्ड कम्पनी, रावे, न्यू जेरसी से हुए भारत सरकार के समझौते पर चर्चा।

रेलवे आय-व्ययक—सामान्य चर्चा

सरदार अ० सि० सहगल (जंगीर) : अध्यक्ष महोदय रेलवे बजट पर बहस शुरू होने से पहले मैं आपके सामने एक प्वाइंट आव आर्डर पेश करना चाहता हूं।

रूल्स आफ प्रोसीज्योर एंड कंडक्ट को आप देखें कि दफा ३५० में यह लिखा है :

"जब कोई सदस्य बोलने के लिये खड़ा हो तो अध्यक्ष द्वारा उसका नाम पुकारा जायेगा। यदि एक ही समय पर एक से अधिक सदस्य खड़े हों तो जिस सदस्य का नाम इस तरह पुकारा जाये उसी को बोलने का हक होगा।"

यहां पर जो आपको नाम देने की जो पद्धति है मैं समझता हूं वह सही नहीं है। राष्ट्रपति जी के भाषण पर बहस के समय भी और आज दो रोज से मैं यह देख रहा हूं कि जो नाम आपके सामने दिये जाते हैं, आप मुझे क्षमा करेंगे मैं आपके ऊपर कोई एस्पर्शन नहीं डालना चाहता, उन्हीं लोगों को बुलाया जाता है। दूसरे मेम्बरों को नहीं बुलाया जाता। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि जो मेम्बर खड़े हों उनको आपको बुलाना चाहिए। यही रूल के मुताबिक भी होगा। हम देखते हैं कि हम लोग दिन दिन भर बैठे रह जाते हैं पर बोलने का मौका नहीं मिलता। मैं इस विषय पर आपकी रूलिंग चाहता हूं कि जो आपको नाम दिये जायेंगे उन पर आप अमल करेंगे या जो मेम्बर खड़े होंगे उनको आप बुलायेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है। मैं दोनों प्रकार के तरीके अपना रहा हूं। सदस्यों के खड़े होने पर जिसको मैं पहले देख लेता हूं उनको बोलने के लिये अवसर देता हूं और अपनी सुविधा के लिये मैंने विभिन्न दलों से कहा है कि वह अपने वक्ताओं के नामों की सूची मेरे पास भेज दिया करें। मैं सूची में से नामों को पुकार भी सकता हूं और नहीं भी। कोई सदस्य अपना नाम पुकारा जाने के लिए मुझे मजबूर नहीं कर सकता। मैं तो केवल यह चाहता हूं कि इस सभा में वाद-विवाद का उचित स्तर बना रहे। जो भी सदस्य बोलना चाहें वह अपने दल के सचेतक को बता दें। जो स्वतंत्र होते हैं उनके बारे में मैं स्वयं निर्णय करता हूं। मैं इस व्यवस्था में कोई बाधा डालने को उत्सुक नहीं हूं।

सरदार अ० सि० सहगल : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह हमारा कर्तव्य है कि जो रूल हम ने बनाये हैं उन पर हम चलें। मैं चाहता हूं कि जिन रूल्स को आप ने बनाया है और जिन को इस हाउस ने मंजूर किया है उन पर हमें चलना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : कोई भी सदस्य यह नहीं कह सकता कि मैं उस का नाम अवश्य पुकारूं। माननीय सदस्य खड़े होते हैं मैं उन में से एक को चुनता हूं। इस के साथ-साथ मैं विशेष दलों द्वारा दी गई वक्ताओं की सूची को भी ध्यान में रखता हूं। कहीं-कहीं यह देखते हुए कि अमुक सदस्य अमुक विषय में अधिक रुचि रखता है तो मैं उसे बुलाने के लिये स्वविवेक से भी काम लेता हूं। अधिकांशतः तो मैं दलों के सचेतकों द्वारा भेजी गई सूची से ही चलता हूं लेकिन यह ज़रूरी नहीं कि मैं हमेशा ही उस का पालन करूं।

सरदार अ० सिंह० सहगल : आप के पास इस का हिसाब होगा कि आप ने राष्ट्रपति जी के भाषण पर दूसरों को कितना समय दिया और कांग्रेस वालों को कितना समय दिया। आप को उस को भी देखना चाहिये। हम चाहते हैं कि जिस तरह से आप दूसरों को समय दें उसी के मुताबिक कांग्रेस के लोगों को भी समय दें। यही मेरी आप से अर्ज़ है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरे से पहले अध्यक्ष चर्चा के समय का विभाजन ५०–५० के अनुपात में करते थे अर्थात् ५० प्रतिशत समय सरकारी दल के सदस्यों को तथा ५० प्रतिशत विरोधी दल के सदस्यों को देते थे। सभी सदस्य यह चाहते हैं कि आने वाले निर्वाचनों में अपने निर्वाचन क्षेत्रों में बतायें कि उन्हों ने यहां पर अमुक विषय के सम्बन्ध में क्या क्या कहा था। मैं ने विरोधी दल का अनुपात ५० से घटा कर ४० कर दिया है जिस पर विरोधी दल ने कोई आपत्ति नहीं की है। अब सरकारी तथा विरोधी दलों में समय का अनुपात ६० तथा ४० है। मेरी कोशिश इसी के हिसाब से काम करन की रही है परन्तु फिर भी यदि इस ओर किसी माननीय सदस्य का यह विचार है कि उन को बोलने का अवसर नहीं दिया गया है तो संसद-कार्य मंत्री तथा मुख्य सचेतक के पास जा कर उन को अपना नाम लिखा दें। यदि फिर भी उन को अवसर नहीं मिलता है तो वह मेरे पास आयें मैं उन की बात सुनने को तैयार हूं।

श्री दलजीत सिंह (कांगड़ा—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि सदस्यों को रेशियो से वक्त देना चाहिये। एक पार्टी जिस के बीस सदस्य हैं उन को तो बहुत वक्त मिल जाता है, लेकिन जिस पार्टी के चार सौ या तीन सौ सदस्य हैं उन को उस रेशियो से वक्त नहीं मिलता। इसलिये ऐसा हो रहा है कि अपोजीशन वालों को तो काफी वक्त मिल जाता है पर कांग्रेस वालों को कम वक्त मिलता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि सब पार्टियों को रेशियो से वक्त दिया जाये।

श्रीमती कृष्णा मेहता (जम्मू तथा काश्मीर) : मैं रेलवे मंत्री जी का तथा रेलवे बोर्ड को धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने जम्मू काश्मीर की जनता की एक बड़ी मांग को पूरा करने की तरह ध्यान दिया है। और आशा की जाती है कि जल्दी से जल्दी रेलवे लाइन का काम शुरू कर दिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, रेलवे बजट में उत्तर रेलवे के लिये इन दो स्थानों पर काम दिखाया गया है, एक है दिल्ली परिहार लाइन का आदिम मार्ग निर्धारण सर्वे और दूसरा रावी नदी पार जम्मू काश्मीर रेलवे लाइन बिछाने के लिये मार्ग निर्धारण में रेलवे मंत्री जी से प्रार्थना करूंगी कि काश्मीर की योजना को सफल बनाने का काम तेजी से किया जाये। मैं यह जानती हूं कि रेलवे मंत्रालय की बहुत सी कठिनाइयां हैं। फिर भी मैं कहूंगी कि एक पिछड़े राज्य की जनता के लिये और वहां के उद्योगों की तरक्की को ध्यान में रखते हुए सर्वे से अधिक आगे इस काम को बढ़ाना चाहिये।

†मूल अंग्रेजी में

हमारी कुछ और भी कठिनाइयां हैं जो मैं माननीय मंत्री जी के सामने रखना अपना कर्तव्य समझती हूं। जैसे शिविर डिब्बे लगाने की आप की योजना है। मैं प्रार्थना करूंगी कि पठानकोट में भी इस का कोई प्रबन्ध होना चाहिये क्योंकि आप जानते हैं कि गर्मियों में तीन तीन सौ चार चार सौ विद्यार्थियों की पार्टियां काश्मीर के लिये जाती हैं लेकिन उन के ठहरने का कोई प्रबन्ध नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है कि रास्ता खराब होता है या बसें वक्त पर नहीं पहुंच सकतीं, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, तो विद्यार्थियों के लौट जाने की भी नौबत आ जाती है। जो विद्यार्थी दूर-दूर से, बम्बई और कलकत्ता जैसे दूर की जगहों से आते हैं, और जब उन को लौटना पड़ता है तो उन के लिये मुसीबत होती है। इसलिये इस का प्रबन्ध होना चाहिये।

उत्तर रेलवे में एक डिलक्स गाड़ी की भी ज़रूरत है खास कर पठानकोट के लिये क्योंकि गर्मियों में बहुत दूर दूर के लोग जम्मू काश्मीर जाते हैं। उन दिनों गाड़ियों में बहुत भीड़ रहती है। इसलिये अगर डिलक्स गाड़ी चले तो एक तो भीड़ भाड़ कम होगी और दूसरे यात्रियों को काफी सुविधा भी प्राप्त होगी।

काश्मीर मेल में थर्ड क्लास के डब्बों में सोने का कोई प्रबन्ध नहीं है। आप जानते हैं कि जो लोग काश्मीर जाते हैं उन को लगभग पौने तीन सो मील का लम्बा सफर कर के पठानकोट पहुंचना होता है। अगर उन को रातभर सोने को न मिले तो उन को कितनी दिक्कत होती होगी उस का आप अनुमान कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस दिक्कत को दूर करने की तरफ भी आप ध्यान देंगे।

जो आप ने रेलवे कर्मचारियों के लिये दो छुट्टी घर काश्मीर में बनाने का प्रबन्ध किया है, उस के लिये भी हम आप के आभारी हैं। इस से काश्मीर की जनता तथा रेलवे कर्मचारियों दोनों को आसानी होगी।

रेलवे बोर्ड की रिपोर्ट का अध्ययन करने से मालूम हुआ है कि रेलवे सामान के मामले में हम आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। मैं ने रिपोर्ट में देखा कि सन् १९५७-५८ में देश में २२४९ इंजिन, एक हजार दो सौ पचपन सवारी गाड़ी के डब्बे, १७४३२, मालगाड़ी के डब्बे और बहुत से छोटे-मोटे पुरजे और यंत्र बनाये गये। इन उद्योगों को देखते हुए भारत के लिये एक सुनहरा भविष्य दिखाई देता है।

बजट के अध्ययन से मालूम हुआ है कि ९००० नये मकान बनाने की तरफ भी ध्यान दिया जा रहा है। मैं आप का ध्यान खड़गपुर के चौथे दरजे के रेलवे कर्मचारियों की तरफ दिलाना चाहती हूं। गत वर्ष मुझे वहां जाने का मौका मिला। उस समय मेरे साथ और भी संसद सदस्य थे। सब ने वहां देखा कि उन के घर बहुत बुरी हालत में थे। मैं प्रार्थना करूंगी कि उन के घरों को ठीक करने की तरफ कदम उठाना चाहिये।

मंत्री महोदय ने अपने भाषण में बिना टिकट सफर करने वालों को रोकने के लिये और बिला वजह गाड़ी की जंजीर खींचने के मामले में जनता का सहयोग मांगा है। ठीक है। ये दोनों चीजें बुरी हैं और इन से कर्तव्यहीनता दिखाई देती है। परन्तु यह कैसे दूर की जायें इस के लिये कड़ी निगरानी की जरूरत है और प्रचार की भी ज़रूरत है। अभी लोगों की समझ में यह बात नहीं आई है कि ये बुरी बातें हैं। रेलवे कर्मचारियों की तरफ से भी कुछ ढील है और अगर उन की कड़ी निगरानी हो, तो कभी भी कोई बिना टिकट सफर नहीं कर सकता है। इस तरफ पूरी तवज्जह दी जानी चाहिये।

[श्रीमती कृष्णा मेहता]

विभागीय खान-पान की व्यवस्था काफी सुधर रही है, परन्तु मैं आप का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहती हूं कि रेलवे प्लेटफार्मों पर चाय और दूसरी खाने की चीजें बिना धोये गन्दे बर्तनों में दी जाती हैं, जिस के कारण कितनी ही छूत की बीमारियां फैलने का भय रहता है। अगर यह प्रबन्ध किया जाये कि बर्तनों को किसी दवाई—पोटैशियम परमैंगनेट—से धोने की हिदायत दी जाये, तो मेरे विचार में बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि इस नियम का पूर्ण रूप से पालन कराया जाये। अक्सर देखा जाता है कि आर्डर तो हो जाता है, लेकिन लोग उस का पालन नहीं करते हैं। मैं कई दफा स्टेशनों पर देखती हूं कि रेलवे अधिकारियों के कहने पर भी इन नियमों का पालन नहीं किया जाता है। इसलिये इस विषय में सख्त कदम उठाना चाहिये।

स्टेशनों पर अक्सर मुसाफिरों को कई तरह की दिक्कतें पेश आती हैं। वे लोग स्टेशन मास्टर के पास जाते हैं, लेकिन स्टेशन मास्टर के हाथ में अब उतने अधिकार नहीं हैं, जितने के कि पहले थे। इसलिये वह कुछ भी नहीं कर सकता है। वह जाता है और नरमी से किसी को कुछ कहता है, लेकिन कौन सुनने वाला है? मैं चाहती हूं कि अगर हो सके, तो स्टेशन मास्टरों को कुछ अधिक अधिकार दिये जायें। पहले स्टेशन मास्टर के पास इतने अधिकार थे कि जनता को उस के द्वारा काफी सुविधा समय पर मिल जाती थी।

तीसरे दर्जे की महिलाओं के लिये रेलवे प्रशासन ने जो दूसरे दर्जे के प्रतीक्षालय इस्तेमाल करने का अधिकार दिया है, उस से उस ने महिला समाज की बहुत बड़ी भलाई की है। इस के लिये महिला समाज को माननीय मंत्री जी का आभारी होना चाहिये।

रेलवे प्रशासन को खादी खरीदने का आदेश दे कर माननीय मंत्री जी ने एक बहुत बड़ा काम किया है। १९५७-५८ में रेलवे मंत्रालय ने ६२ लाख की खादी खरीदी। इस से खादी को काफी प्रोत्साहन मिला है। गांधी जी ने कहा था कि जो व्यक्ति एक गज़ खादी खरीदता है, वह एक गरीब को एक वक्त का खाना देता है। रेलवे मंत्रालय ने यह ६२ लाख की खादी खरीद कर तेरह लाख मज़दूरों को रोज़ी दी है, जोकि खादी का काम कर रहे हैं। रेलवे मंत्रालय से मेरी यह भी प्रार्थना है कि वह खादी का गर्म कपड़ा ज्यादा से ज्यादा खरीदें, जोकि ज्यादातर काश्मीर में बनता है और जिस में लाखों मज़दूर लगे हुए हैं। उस कपड़े को कर्मचारियों की वर्दियों के लिये इस्तेमाल करना चाहिये।

मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इन बातों और कठिनाइयों पर विचार करेंगे, जोकि मैंने यहां रखी हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आभारी हूं कि आप ने मुझे वक्त दिया।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

†**श्री अजित सिंह सरहदी** (लुधियाना) : उपाध्यक्ष महोदय रेलवे आय-व्ययक की गत दो दिनों से आलोचना की जा रही है। परन्तु रेलवे मंत्रालय ने कुछ इस प्रकार के काम भी किये हैं जिन पर उन को गर्व हो सकता है। रेलवे मंत्री के भाषण को पढ़ते हुए इन कामों में से सब से पहले जिस काम पर ध्यान जाता है वह भाप के इंजनों, डिब्बों तथा वैगनों की आत्मनिर्भरता है। यह रेलवे मंत्रालय की बहुत बड़ी सफलता है कि ८० करोड़ रुपये के इंजन तथा डिब्बों में से ६८ करोड़ रुपये के इंजन तथा डिब्बों का निर्माण भारत में किया गया जबकि केवल १२ करोड़ रुपये के इंजन तथा डिब्बे ही विदेश से मंगाये गये।

यह ठीक है कि १९५७-५८ में चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स को १७२ इंजनों का आर्डर दिया गया था, लेकिन हमें ज्यूरिच से १०० बिजली के इंजन और जापान से १० बिजली के इंजन

---

†मूल अंग्रेजी में

मंगाने पड़े थे। यह सच है कि बिजली के इंजनों के निर्माण में आत्मनिर्भरता उपलब्ध करने के लिए अभी समय लगेगा परन्तु फिर भी यह जान कर खुशी हुई कि बिजली के इंजनों के पुर्जे तथा पुर्जे जोड़ कर इंजन बनाने के काम को आरम्भ कर दिया गया है। मैंने चित्तरंजन लोकोमोटिव कारखाने को देखा है और उसे देखकर ऐसा मालूम होता है कि इंजनों के पुर्जे बनाने में रेलवे प्रशासन ने पर्याप्त प्रगति कर ली है।

मुझे इसका खेद है कि रेलवे के कार्य संचालन में कोई प्रगति नहीं हुई है। जनवरी, १९५८ से नवम्बर, १९५८ तक माल परिवहन में कमी हुई है। इसके बावजूद कि औद्योगिक उत्पादन में और माल के लाने ले जाने में वृद्धि हुई है, रेलवे द्वारा माल परिवहन में कमी हुई है। इसका कारण हमें बताया गया है कि ऐसा सड़क परिवहन में वृद्धि के कारण हुआ है। रेलवे मंत्री ने यह सुझाव दिया है कि सड़क परिवहन पर कुछ नियम लगाये जाने चाहिए। बड़ी अजीब बात है। द्वितीय योजना काल में सरकार की नीति थी कि सभी प्रकार के परिवहनों का विकास होना चाहिए और यह अच्छा भी था क्योंकि इससे प्रतिद्वन्द्विता बढ़ती जिससे सभी प्रकार का परिवहन शीघ्रता से विकसित होता। मैं तो समझता हूं कि माल यातायात में, सड़क परिवहन के तरक्की करने से कमी नहीं आई है अपितु रेलवे प्रशासन द्वारा उपभोक्ताओं की आशा के अनुकूल काम न करने से कमी आई है।

सभा जानती है कि द्वितीय योजना में सड़क परिवहन के लिए हमारा लक्ष्य १९६०-६१ तक ४५,००० मोटर गाड़ियां बनाने का था। परन्तु १९५८ तक हम १४,१५७ मोटर गाड़ियां बना पाये हैं। इससे पता लगता है कि मोटर गाड़ियों के लक्ष्य भी पूरे नहीं हुए हैं। और अभी ही जब रेल द्वारा माल यातायात में अभी कमी आ गई है तो लक्ष्य पूरा हो जाने पर क्या स्थिति होती। मेरे विचार से मंत्री महोदय का यह कथन कि माल यातायात में सड़क परिवहन की प्रतिद्वन्द्विता के कारण कमी आई है, निराधार है।

हमें जनता की सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए। यदि जनता को सड़क परिवहन सुविधा-जनक लगता है तो उन्हें उसका उपयोग उठाने देना चाहिए। हमें यह प्रयत्न अवश्य करना चाहिए जिससे रेल तथा सड़क परिवहन में समन्वय रहे। समन्वय से मेरा तात्पर्य किसी एक पर नियंत्रण लगाने का नहीं है और मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री का भी ऐसा कोई विचार नहीं होगा।

मेरे विचार से रेलवे प्रशासन को तीन आधारों पर विचार करके काम करना चाहिए। सबसे पहले यह कि वह नई लाइनें बना कर देश की सेवा किस प्रकार और कहां तक कर सकता है; दूसरे उपभोक्ताओं को वह कितनी सुविधायें देता और तीसरे यह कि कर्मचारियों से उसके किस प्रकार के सम्बन्ध हैं।

पहले आधार को लीजिये। मुझे खेद है कि देश के विभिन्न भागों में पर्याप्त नई लाइनें नहीं बनाई गई हैं। मेरा माननीय मंत्री से सुझाव है कि नई लाइनों को बनाने में कुछ प्राथमिकतायें बनाई जानी चाहिएं। मुझे जान कर प्रसन्नता हुई कि तीसरी योजना में कौन-कौन सी लाइनें शामिल की गई हैं। जम्मू तथा काश्मीर को मिलाने वाली लाइन को बनाने के सम्बन्ध में सुनकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हुई। इस लाइन के निर्माण की बहुत आवश्यकता थी।

दूसरी लाइन जिसकी ओर माननीय मंत्री का ध्यान मैं आकर्षित कराना चाहता हूं चंडीगढ़ होती हुई जगाधरी-लुधियाना लाइन है। पंजाब के आर्थिक विकास के लिए यह लाइन बहुत महत्व-पूर्ण है। मैं आशा करता हूं कि तीसरी योजनावधि तक यह लाइन बन जायेगी। मैं मेन ग्रांड ट्रंक रोड पर यातायात सम्बन्धी कठिनाइयों की ओर ध्यान दिलाता आया हूं और मैंने पिछली बार

[श्री अजीत सिंह सरहदी]

लुधियाना में मिलरगंज का जिक्र किया था कि गेट पर एक ऊपरी पुल बनाया जाये। मुझे खेद है इस बारे में कुछ नहीं किया गया है।

रेलवे सुविधाओं के लिये ३ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई। मेरे विचार से यह राशि इस काम के लिए बहुत कम है। इसको बढ़ाया जाना चाहिए।

रेलवे में प्रति वर्ष ३४,००० अप्रविधिक और ३००० से ४००० के बीच प्रविधिक व्यक्ति नियुक्त होते हैं। इन व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिये इलाहाबाद, कलकत्ता, बम्बई, तथा मद्रास में रेलवे सेवा आयोग केन्द्र हैं। मैं चाहता हूं कि एक और केन्द्र जालन्धर अथवा अम्बाला में बनाया जाये जिससे एक असमानता दूर हो जाये। क्योंकि उत्तर में केवल एक केन्द्र इलाहाबाद में है। शेष तीन दक्षिण में हैं। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री मेरे द्वारा बताई गई बातों पर विचार करेंगे।

†**कुमारी मो० वेदकुमारी** (एलुरु) : मैं आपके समक्ष आंध्र प्रदेश से सम्बन्धित कुछ मांगें रखूंगी। इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि मैं प्रान्तीय या क्षेत्रीय दृष्टि से बोल रही हूं। वस्तुतः बात यह है कि आंध्र प्रदेश दक्षिण के सबसे बड़े राज्यों में एक है। वहां तीनों खंडों यथा मध्य, दक्षिणपूर्व तथा दक्षिण खंड की रेलें चलती हैं अतः जब कभी कोई कठिनाई पैदा होती है, या चावल इत्यादि निर्यात करने के लिये अधिक मालगाड़ी के डिब्बों की आवश्यकता होती है तो तीनों खंडों के प्राधिकारियों से पृथक-पृथक पत्र-व्यवहार करना होता है। इनके मुख्य कार्यालय क्रमशः कलकत्ता मद्रास इत्यादि में हैं। अतः मेरी मांग यह है कि आंध्र प्रदेश में रेल का एक पृथक खंड बनाया जाय।

अब मैं अपने नगर और निर्वाचन क्षेत्र की कुछ कठिनाइयों को आपके समक्ष रखती हूं। एलुरु नगर रेल की लाइन के दोनों ओर बसा हुआ है वहां पैदल का पुल न होने से जब गाड़ी आते या जाते समय रेल का फाटक बन्द हो जाता है तो जनता को बहुत कठिनाई होती है। कई बार तो अत्यावश्यकीय कार्य के लिये भी फाटक नहीं खोला जा सकता है। इसी प्रकार ताडेपल्लिगुडेम जो अनाज की बहुत बड़ी मंडी है वहां लाइन में गाड़ियों का आना-जाना काफी लगा रहता है। जिससे लोगों को घंटों फाटक पर प्रतीक्षा करनी होती है। अतः इन दोनों स्थानों पर पैदल का पुल बनाना बहुत आवश्यक है।

ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस में बैजवाड़ा से दिल्ली के लिये एक डिब्बा लगाना आवश्यक है। कारण यह है कि यह गाड़ी मद्रास से चलती है। और दिल्ली जाने के लिये हमें १० दिन पूर्व मद्रास के के स्टेशन मास्टर को स्थान सुरक्षित करने के लिये लिखना होता है। लेकिन सदैव ऐसा संभव नहीं हो सकता है। इसके अलावा बैजवाड़ा से कई विद्यार्थी लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं या अन्य कार्यों के सिलसिले में दिल्ली आते रहते हैं अतः वहां से दिल्ली के लिये एक पृथक् डिब्बा लगाना बहुत आवश्यक है।

बैजवाड़ा में महिला पथप्रदर्शकों को वर्ष में केवल दो साड़ियां मिलती हैं जो पर्याप्त नहीं हैं उन्हें कम से कम ६ जोड़े साड़ी प्रति वर्ष मिलनी चाहिये तथा उन्हें भी रेलवे के अन्य कर्मचारियों की तरह, अपने परिवार के लोगों के लिये बिना टिकट यात्रा करने का पास मिलना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

आंध्र प्रदेश आम, मिर्च, प्याज इत्यादि के लिये प्रसिद्ध है। ये चीजें यहां से पर्याप्त मात्रा में बाहर भेजी जाती हैं तथापि आम इत्यादि का निर्यात करने के लिये लकड़ी के डिब्बे आवश्यक मात्रा में उपलब्ध नहीं होते हैं मंत्री महोदय को चाहिये कि वे खराब होने वाली वस्तुओं यथा आम इत्यादि के लिये वातानुकूलित डिब्बों या लकड़ी के डिब्बों का प्रबन्ध करें।

आशा है माननीय मंत्री आंध्र प्रदेश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा कही गई बातों पर ध्यान देंगे।

श्री वाजपेयी (बलरामपुर) : रेलवे बजट से रेलवे की वित्तीय स्थिति का जो चित्र हमारे सामने आता है उसे उत्सावर्द्धक नहीं कहा जा सकता है। दो रेखायें जो उस चित्र में से गहरे तौर पर उभर कर आती हैं वे हैं कि आमदनी में कमी हो रही है और संचालन व्यय में वृद्धि हो रही है। मुझे खेद है कि रेलवे बजट को रचना में जितनी पर्याप्त सावधानी और दूरदर्शिता से काम लिया जाना चाहिये वह नहीं लिया जाता है। इसका परिणाम यह है कि जो अनुमान भी लगाये जाते हैं वे सही नहीं उतरते हैं। जहां तक आमदनी का सवाल है वह अनुमान से कम हो जाती है और जहां तक खर्च का सवाल है वह अनुमान से बढ़ जाता है। २४ तारीख को मैंने माननीय मंत्री महोदय से एक प्रश्न पूछा था जिसमें और भो सदस्य शामिल थे कि क्या रेलवे के वर्किंग एक्सपेंसिस (कार्यकारी व्यय) जिस अनुपात में रेलों द्वारा माल ढोने से और यात्रियों को लाने ले जाने से आमदनी हो रही है उस अनुपात में बढ़ गये हैं, तो रेलवे मंत्री महोदय ने उत्तर में कहा था कि नहीं, वर्किंग एक्सपेंसिस नहीं बढ़े हैं। लेकिन इस सम्बन्ध में, मैं उनका ध्यान रेलवे बोर्ड द्वारा ११-१२-५८ को जनरल मैनेजरों के नाम भेजे गये एक आदेश की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें ८-११-५८ के एक पत्र का हवाला देते हुए कहा गया था कि बोर्ड इस बात को आवश्यक समझता है कि इस प्रकार का कार्यकारी व्यय, जो रेलवे की आय की अपेक्षा अधिक हो, तत्काल बन्द कर दिया जाय। माननीय मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया उसके साथ एक वक्तव्य भी जोड़ दिया जिस में बहुत से आंकड़े हैं। अब आंकड़ों के जंगल में पड़ कर अगर पता लगाने की कोशिश की जाये कि स्थिति क्या है, तो उस स्थिति का पता लगाना बहुत कठिन है। अब रेलवे मंत्री महोदय ने जो आंकड़े दिये हैं उसके अनुसार और रेलवे बोर्ड ने जो पत्र भेजा है जिस का मैंने उल्लेख किया है, दोनों में विसंगति दिखाई देती है। इस में तथ्य क्या है इस बात पर विचार किया जाना चाहिये।

तो रेलवे की जो आमदनी कम हो रही है उसका दुष्परिणाम यह हुआ है कि रेलवे का जो डिवेलेपमेंट फंड (विकास निधि) है उसमें माइनस बैलेंस है और जनरल रेवेन्यूस से हम कुछ उधार ले रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि रेलवे अपने फायदे में से जनरल रेवेन्यूज़ के लिये अंशदान दे और इतना अंशदान दे जो उसकी क्षमता के बाहर है और फिर बाद में उसी जनरल रेवेन्यूज़ में से और डिवेलेपमंट फण्ड के लिए रुपया ले। मैं समझता हूं कि रेलवे जिस अनुपात में जनरल रेवेन्यूज़ में अपना कांट्रीब्यूशन (अंशदान) देती है, उसको कुछ कम किया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में जो १९५४ का कनवैंशन (अभिसमय) है उसकी अवधि एक साल तक बढ़ाने के लिए रेलवे मंत्री जी ने कहा है। मेरा निवेदन है कि समय की अवधि बढ़ाने से समस्या हल नहीं होगी। आवश्यकता इस बात की है कि रेलवे का कांट्रीब्यूशन कम हो। इस वर्ष रेलवे को जो शुद्ध आय हुई है राजस्व से वह ७५ करोड़ ६० लाख है और उसमें से ५४ करोड़ ४१ लाख हमको जनरल रेवेन्यूज़ में रेलवे का कांट्रीब्यूशन दे देना है। नतीजा यह है कि रेलवे के पास जो बचत रहती है वह २१ करोड़ के लगभग ही रहती है। मुझे इसमें भी सन्देह है कि उतनी भी बचत हो पायेगी या नहीं क्योंकि पिछले साल जो अनुमान लगाया गया था उससे १३ करोड़ १० लाख कम की प्राप्ति हुई थी। डिवेलेपमेंट फण्ड में कमी

[श्री वाजपेयी]

ढोने का परिणाम यह हुआ है कि जो पैसेंजर एमेनेटीज़ या लेबर वैलफेयर के लिए जो धनराशि दी जाती है उसमें कटौती की गई है। इस सम्बन्ध में मैं आपके सामने आंकड़े रख सकता हूं लेकिन उनको रखने की मैं कोई आवश्यकता नहीं समझता हूं। माननीय रेलवे मंत्री इस बात को स्वीकार करेंगे कि विकास निधि में कमी के परिणामस्वरूप पैसेंजर एमेनेटीज़ और लेबर वैलफेयर की स्कीमों में थोड़ी सी कटौती कर दी गई है। जब तक जनरल रेवेन्यूस के लिये रेलवे का कांट्रीब्यूशन कम नहीं होता तब तक रेलवे में जो-जो सुविधायें आप देना चाहते हैं उनको प्रदान नहीं कर सकते हैं।

जो आमदनी कम हो रही है, इसके सम्बन्ध में एक कारण यह दिया गया है--मैं तो कहूंगा कि एक हौवा खड़ा किया गया है और वह हौवा है रेल और रोड की लड़ाई का। जैसे खाद्यान्नों के क्षेत्र में ऐसी आशंका प्रकट की जाती है कि गल्ले और गन्ने की लड़ाई आने वाली है, ऐसा मालूम होता है कि हमारे देश में रेल और रोड में भी एक लड़ाई आने वाली है। मगर मैं समझता हूं कि उससे अधिक चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जो भी इसके परिणामस्वरूप रेलवे की आमदनी कम हो रही है उसके मैं जहां तक समझ सका हूं दो कारण हैं। एक तो रेलवे की इनएफिशेंसी है और दूसरे माल ढोने के जो बढ़े हुए भाव हैं उनके परिणामस्वरूप ला आफ डिमिनिशिंग रिटर्न अपना काम कर रहा है। अब यह कहा गया है कि हम रेलवे को प्रगति का अवसर देने के लिए, आमदनी बढ़ाने के लिए रोड ट्रैफिक (मार्ग परिवहन) पर प्रतिबन्ध लगायेंगे। मैं समझता हूं इस तरह के जितने भी सुझाव हैं दे विल एमाउण्ट टु पुटिंग ए प्रीमियम आन इनएफिशेंसी। (अदक्षता को बढ़ावा देने के समकक्ष हैं) हमारा देश काफी बड़ा है और उसमें रेलवे के परिवहन, रोड के परिवहन सबके लिए पर्याप्त साधन हैं। मैं चाहता हूं कि रेलवे मंत्रालय अपना घर ठीक करे जिससे पता चल सके कि लोग रेल के बजाय रोड से अपना सामान क्यों भेजते हैं। क्या इसका कारण यह है कि सामान घर पर पहुंच जाता है, उसमें चोरी कम होती है या अन्य सुविधायें हैं। वैसे आर्थिक दृष्टि से रेल कम पैसे में सामान ले जाती है उतनी दूर जितनी दूर कि मोटर ले जाती है। लेकिन फिर भी अगर मोटर परिवहन को लोग पैट्रनाइज़ कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं तो इसका कारण क्या है। मगर इसका हल यह नहीं है कि रोड ट्रांसपोर्ट पर रैस्ट्रिकशंस (प्रतिबन्ध) लगा दी जायें। माननीय मंत्री महोदय ने अपने भाषण में यह आशा प्रकट की है कि जैसे-जैसे स्टील के कारखाने काम करने लगेंगे और आर्थिक अवस्था सुधरेगी वैसे-वैसे रेल के यातायात में जो भी कमी दिखाई देती है वह पूरी हो जाएगी और रेलें जितना सामान ढो सकती हैं उतना सामान उनको ढोने के लिये मिल जायगा।

इस सम्बन्ध में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि माल गाड़ियों की रफ्तार औसत कुछ कम हो गई है और यह इस तथ्य के बावजूद कि एक्सप्रेस गाड़ियां चलाई गई हैं, एक्सप्रेस माल गाड़ियां चलाई गई हैं। ब्राड गेज में १९५०–५१ में यह औसत १०.८ था और १९५७–५८ में यह औसत ९.२८ रह गया। मीटर गेज में जब १९४९–५० में यह औसत ९.५८ था तो १९५७–५८ में यह ८.२३ ही रह गया। आगरा कैण्ट से एक मालगाड़ी को टूंडला पहुंचने के लिये १० घंटे या कभी-कभी १६ घंटे भी लगते हैं जबकि आगरा कैण्ट से टूंडला की दूरी केवल १९ मील है। अगर मालगाड़ियों की रफ्तार यहीं रही तो फिर हम रोड ट्रांसपोर्ट पर कितना भी प्रतिबन्ध लगायें, व्यापारी रेल के यातायात के साधन का उपयोग नहीं करेंगे और फिर इसमें यह भी खतरा है कि अगर आप रोड ट्रांसपोर्ट प्रतिबन्ध लगायें तो मोटर गाड़ियां कहीं बैल गाड़ियों की जगह न ले लें। हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था में और माल के परिवहन में बैलगाड़ियों का भी बड़ा स्थान है। मैं समझता हूं ये तीनों व्यवस्थायें एक दूसरे की पूरक होनी चाहियें, विरोधी नहीं। साथ ही साथ मैं यह भी चाहूंगा कि एक समन्वित दृष्टि-कोण लेकर आगे बढ़ा जाए। इस नीति का अपनाया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अब मैं रेल की दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगा। माननीय मंत्री महोदय ने अपने भाषण में इस बात को स्वीकार किया है कि दुर्भाग्यवश टक्कर लगाने और पटरी से उतारने की दुर्घटनायें कुछ समय से थोड़ी बढ़ गई हैं। कितनी बढ़ गई हैं इसके भी मैंने आंकड़े इकट्ठे किये हैं। १ जनवरी, १९५८ से ३१ दिसम्बर, १९५८ तक हमारे देश में १८ गम्भीर रेल दुर्घटनायें हुईं, सीरियस ट्रेन एक्सिडेंट्स जिन में ८० लोग मारे गये और ४२४ आदमी घायल हो गए हैं रेलवे सम्पत्ति का जो नुक्सान हुआ वह ६ लाख ९० हज़ार का है और जो मुआवज़ा दिया गया घायल या मरने वालों को वह रकम होती है ३ लाख ७२ हजार और १९९ रुपये। मैं समझता हूं यह स्थिति चिन्ताजनक है और मैं माननीय रेलवे मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि दुर्घटनायें रोकने के लिए सेफ्टी आर्गेनाइजेशन और सेफ्टी इंस्पैक्टर्स की नियुक्ति के अलावा और कौन से ठोस कदम उठाये गये ? सब इस बात को जानते हैं कि अधिकांश दुर्घटनायें इसलिये होती हैं कि नियमों का ठीक तरह से पालन नहीं होता। अब जो नये नियम बनाये गये हैं, यूनिफाइड जेनरल रूल्स में मैं जानना चाहता हूं कि क्या कर्मचारियों को उन नियमों का ठीक तरह से प्रशिक्षण दिया गया। मेरे पास इस आशय की शिकायत आई है कि जो कर्मचारियों के अफसर हैं वे कर्मचारियों के पास जाते हैं और उनसे इस आशय का एक फार्म भरा लेते हैं कि हम इन रूल्स को जानते हैं और उनके अनुसार काम कर सकते हैं। मेरा निवेदन है कि अगर आपने नये रूल लागू किये हैं तो उनका ठीक तरह से शिक्षण दिया जाय, इस बात की बहुत आवश्यकता है। अगर इस पहलू की उपेक्षा की गई और कर्मचारियों से केवल लिखवा लिया गया कि वे नियमों को जानते हैं, यद्यपि वे जानते नहीं हैं लेकिन अफसर के सामने संकोच के कारण कह नहीं सकते हैं, तो इसका परिणाम बड़ा भयावह होगा और रेल दुर्घटनाओं में कोई कमी आने की सम्भावना दिखाई नहीं देगी।

इस सम्बन्ध में जोनल जनरल मैनेजर्स को अधिकार दे दिया गया है, असाधारण अधिकार दे दिया गया है और दुर्घटनाओं को रोकने के नाम में रेलवे इस्टैब्लिशमेंट कोड के रूल १४८ के अनुसार रेलवे कर्मचारियों को एक महीने का नोटिस देकर अपनी नौकरियों से निकाला जा रहा है। रूल १४८ के अन्दर किसी कर्मचारी से सफाई नहीं मांगी जाती, जवाब तलब नहीं किया जाता, उसको अपनी सफाई देने का मौका नहीं दिया जाता, उसको एक महीने का नोटिस देकर रेलवे प्रशासन उसकी नौकरी समाप्त कर सकता है। रेलवे मंत्री ने राज्य सभा में किसी सदस्य से पूछा था कि ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो निकाले गये हैं। मैं उन लोगों के नाम उनको दे सकता हूं। रेलवे एक्सिडेंट्स (दुर्घटनायें) खत्म होने चाहियें, यह सब जानते हैं। रेलवे कर्मचारी भी यह चाहते हैं कि एक्सिडेंट्स कम हों, और रेलवे मंत्री महोदय ने भी अपने भाषण में इस बात को माना है कि ऐसी असाधारण परिस्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके परिणामस्वरूप कभी कभी कर्मचारियों से गलती हो जाती है। अगर वस्तुस्थिति यह है कि कभी-कभी गलती हो जाती है तो इसका परिणाम यह नहीं होना चाहिये कि उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाय। मेरा निवेदन है कि रूल १४८ का प्रयोग, जिसके अन्दर सारी पावर्स दे दी गई हैं, अभी रोक रखना चाहिये। आवश्यकता तो इस बात की है कि रेलवे एस्टैब्लिशमेंट कोड में से रुल १४८ निकाल ही दिया जाय, लेकिन अगर आप उसको निकालते नहीं हैं तो उसको उपयोग में मत लायें।

रेलवे मंत्री जी ने कहा है कि हम जो उपाय अपना रहे हैं उनसे कर्मचारियों में सुरक्षा की भावना प्रतिष्ठित होगी। मेरा यह निवेदन है कि कर्मचारियों में उनकी नौकरियों के प्रति असुरक्षा की भावना इससे आती है। आप रेलवे कर्मचारियों में सुरक्षा की भावना पैदा नहीं कर सकते। कर्मचारी अगर गलती करता है तो उसके कारणों का पता लगाया जाय। मैं ऐसे उदाहरण गिना सकता हूं जिनमें कर्मचारियों को इसलिये नहीं निकाला गया है कि उन्होंने एक्सिडेंट कर दिया बल्कि उन्होंने एक्सिडेंट को बचा लिया इसलिये निकाला गया।

एक माननीय सदस्य : क्या गलती करने वाले को सजा न दी जाय ?

श्री वाजपेयी : जो अपराधी हों, उन्हें सजा दी जाय, लेकिन यहां केवल सजा देने का ही काम नहीं है। इसका पता लगाया जाय कि एक्सिडेंट क्यों हुआ है, उसमें ह्यूमन एलिमेंट कितना इन्वाल्वड (आदमी का कसूर कितना है) है। मंत्री जी ने कहा कि सिर्फ आदमी का ही कसूर नहीं है। मेरा निवेदन है कि हर एक को अलग-अलग रिस्पांसिबिलिटी (उत्तरदायिता) देकर काम कराया जाय। एक वे साइड स्टेशन का स्टेशन मास्टर टिकट भी बांटता है, सिग्नल उठाता है, लोगों के सवालों का जवाब देता है, फार्म भरता है, साथ ही आप उससे यह आशा करते हैं कि वह जाकर प्वाइंट भी सेट करे, तो वह ऐसा नहीं कर सकता। नियम अगर इस तरह की व्यवस्था करते हैं तो वे अव्यवहारिक हैं, त्रुटिपूर्ण हैं और वे कभी पूरे नहीं हो सकते। एक-एक व्यक्ति पर अलग-अलग उत्तरदात्वि डाला जाय संयुक्त उत्तरदायित्व से इसमें कोई लाभ नहीं होगा।

इस सम्बन्ध में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि अगर कोई एक्सिडेंट होता है तो रेलवे कर्मचारी के विरुद्ध जांच होती है। आस्ट्रेलियन रेलवे एक्ट में इस तरह की व्यवस्था है कि जो रेलवे कर्मचारियों की यूनियन्स हैं उनके प्रतिनिधियों को भी बुलाया जाता है। अगर हमें दुर्घटनाओं को रोकना है तो इसके लिये हमें कर्मचारियों का विश्वास प्राप्त करना होगा और इस सम्बन्ध में भी रेलवे मंत्री जी को काफी ध्यान देने की जरूरत है।

यहां रेलवे की श्रम नीति के सम्बन्ध में काफी चर्चा हुई है। इस सम्बन्ध में रेलवे मंत्री जी की जो कठिनाई है उसे मैं समझता हूं क्योंकि आल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन आई० एन० टी० यू० सी० से सम्बन्धित है और आई० एन० टी० यू० सी० सत्तारूढ़ पार्टी की प्रेयसी है। उस के लिये थोड़ा व्यामोह होना स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी मैंने देखा कि उन्होंने नैशनल फेडरेशन आफ रेलवेमेन को थोड़ी बहुत मान्यता दी है। पर उस के दर्जे को थोड़ा बहुत घटाया है, उस से थोड़ा प्यार कम है। मैं समझता हूं कि इस घाटे को भी ठीक कर दिया जायगा। जहां तक रेलवे कर्मचारियों की एकता का सवाल है, माननीय मंत्री जी जो इमानदारी से एकता चाहते हैं वह सराहनीय है लेकिन एकता का रास्ता यह नहीं है कि एक लड़खड़ाते हुए फेडरेशन को थोड़ा सा सहारा देकर बनाये रक्खें। फेडरेशन की उत्तर रेलवे मजदूर यूनियन एक शाखा है। उस उत्तर रेलवे मजदूर यूनियन का रिकग्निशन तो चल रहा है मगर रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया। रजिस्ट्रेशन नहीं है, इस कारण से कि उन का हिसाब-किताब ठीक नहीं है, उन के घर में चोरियां हो रहीं हैं, लेकिन रिकग्निशन दे रहे हैं, यह निश्पक्ष नीति नहीं कही जा सकती। स्वतंत्र चुनाव कराये जायें और उस के द्वारा जिस यूनियन को, जिस फेडरेशन को बहुसंख्यक रेलवे कर्मचारियों का विश्वास प्राप्त हो, उसे मान्यता दी जानी चाहिये। मैं समझता हूं कि समय आ गया है और इस सम्बन्ध में कोई निर्णायक कदम उठाना चाहिये, तभी रेलवे कर्मचारियों का विश्वास उत्पन्न किया जा सकता है। लेकिन इस सम्बन्ध में मैं एक बात और भी कहूंगा कि रेलवे मंत्रालय इतना बड़ा कंसर्न है, उस में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या इतनी ज्यादा है कि एक ऐसोसिएशन या एक फेडरेशन रेलवे कर्मचारियों की देखभाल पूर्णतया नहीं कर सकता, उन के हितों का संरक्षण नहीं कर सकता। स्टेशन मास्टरों और असिस्टेंट स्टेशन मास्टरों का भी सवाल है। अभी अंग्रेजी राज्य के समय की तरक्की देने की जो पद्धति थी वही चल रही है। उस के अनुसार ऐंग्लो इंडियन्स को प्रिफरेंस दिया जाता था। अब तक वही चैनेल आफ प्रमोशन चल रही है। उन्होंने रेल मंत्री जी का दरवाजा खटखटाया, मगर न्याय नहीं मिला, अब वे सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा रहे हैं। यह भारतीय संविधान की भावना के प्रतिकूल है, मगर एक परम्परा चल रही है।

इस के साथ ही उन की सुरक्षा का भी प्रश्न है। शाहजहांपुर और पीलीभीत के बीच में जिन्दपुर स्टेशन के पास एक ट्रेन पर डाकुओं ने हमला किया। वह रेलवे की सम्पति ले गये, यही नहीं जो स्टेशन मास्टर था उसे घायल कर गये। एक व्यक्ति और घायल हुआ। उसके जेवर डाकू लूट कर ले गये। जो लोग जंगलों में पड़े हुए हैं उन की सुरक्षा के लिये रेलवे ने क्या व्यवस्था की है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : सड़कों पर भी तो डाके पड़ते हैं ?

श्री वाजपेयी : सड़कों के डाके की बात नहीं हो रही है, मंत्री जी। आप के स्टेशनों पर जो डाकू हमले करते हैं और उन में से जो आप के कर्मचारी घायल होते हैं और आप की सम्पति की रक्षा नहीं कर सकते उन के लिये आप क्या कर रहे हैं ? सड़कों पर जो डाके पड़ते हैं उन का उदाहरण दे कर आप जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। अगर इस तरह से डाके पड़ेंगे तो आप के लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा नहीं हो सकती। अगर रेलवे कर्मचारी एसेन्शल सर्विसेज के अन्तर्गत आते हैं और उन्हें अपने क्वार्टरों में रहना आवश्यक है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह सम्भव नहीं है कि आप उन क्वार्टरों का किराया माफ कर दें, या उन से कहें कि वे जहां चाहें वहां रहें ? वे लोग गांवों में जा कर रह सकते हैं जहां पर उनकी सम्पति और बच्चे सुरक्षित रहें। लेकिन यदि आप के नियमों के अन्तर्गत उन को इस बात की आवश्यकता पड़ती है कि वे स्टेशन पर ही रहें तो उन की सुरक्षा का कोई प्र न्ध होना चाहिये। स्टेट सरकार कहती है कि वह रेलवे का क्षेत्र है और रेलवे क्षेत्र में कोई इन्तजाम नहीं है उन की सुरक्षा का। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह समस्या वास्तविक है, आप कोई उत्तर दे कर इसे टाल नहीं सकते और इस का कोई हल आप को निकालना चाहिये। इस सम्बन्ध में जो कुछ वे साइड स्टेशन्स के स्टेशन मास्टर हैं उन्होंने एक सुझाव दिया कि उन को बन्दूकों के लाइसेंस दिये जा सकते हैं, कुछ रेलवे प्राटेक्शन फोर्स का भी इन्तजाम किया जा सकता है। मैं मानता हूं कि यह सवाल बहुत बड़ा है और वे साइड स्टेशन्स बहुत से हैं, लेकिन इस के सम्बन्ध में कुछ न कुछ तो होना ही चाहिये।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि जो डिपार्टमेंटल केटरिंग है, सरकारी खाने पीने का इन्तजाम है, वह अब लोक प्रिय हो रहा है। मेरा इस से थोड़ा मतभेद है। सरकारी खाने पीने का इन्तजाम लोकप्रिय नहीं हो रहा है। इसी लिये वाराणसी में, कटनी और अन्य स्टेशनों पर डिपार्टमेंटल केटरिंग (विभागीय जलपान व्यवस्था) खत्म कर दिया गया है। उस में घाटा भी हो रहा है। वहां पर सन् १९५७–५८ में २१.९८ लाख रु० का घाटा हुआ।

नैट लॉस सन् १९५९-६० के लिए जो बजेटेड एस्टिमेंट्स हैं उनके अनुसार १८.३८ लाख का घाटा होगा। कुल मिला कर अनुमान है कि डिपार्टमेंटल कैटरिंग में अभी तक रेलवेज़ को ३५ करोड़ रुपये का घाटा हुआ है . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : ३५ करोड़ का या ३५ लाख का ?

श्री वाजपेयी : लाखों में घाटा तो एक ही साल का है। मेरे पास समय नहीं है। अगर आप समय दें तो मैं सारे आंकड़ें सदन के सामने उपस्थित करना चाहूंगा . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : मैं बिना जाने ही सब कर लूंगा।

श्री वाजपेयी : मेरा निवेदन है कि इस तरह का प्रयोग करने का कोई लाभ नहीं है और आप अपना नियंत्रण कड़ा रक्खें और यह डिपार्टमेंटल कैटरिंग खत्म कर दें। इस से साधारणतः यात्रियों को सुविधा नहीं मिली है। कुछ चुने हुए लोगों को छोड़ कर जिन के कि अच्छे कमेंट्स प्रयत्न पूर्वक

[श्री वाजपेयी]

रिमार्क्स बुक्स में लिखवा लिये जाते हैं कि उन्हें भोजन अच्छा मिला, लेकिन जहां तक आम यात्री लोगों का सवाल है उनको कोई लाभ नहीं होता ।

एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि रेलवे मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में इस बात का संकेत किया है कि जगह-जगह जो मीटर गेज लाइनें हैं उनको तोड़ कर ब्रौडगेज में बदला जायगा । मैं इस से सहमत नहीं हूं क्योंकि मेरा यह दावा है कि ब्रौडगेज का जो फंक्शन है जिस तरह से काम करता है उस से मीटर गेज अच्छे तरीक़े से काम कर रहा है और जिन क्षेत्रों में अभी रेलवे नहीं हैं, उपेक्षित क्षेत्र हैं, जैसे बुंदेलखंड के और विन्ध्य प्रदेश के, वहां हम नई रेलवे लाइनें डालें और उस काम में हमें रुपया व्यय करना चाहिये । मीटर गेज (छोटी लाइनें) को ब्रौड गेज (बड़ी लाइन) में बदलने में नहीं । नैरोगेज ख़त्म कर दिया जाय उस के लिए मुझे कुछ नहीं कहना मगर मीटर गेज को ब्रौडगेज में बदलने का कार्य क्रम अभी जो देश की स्थिति है और साधन सुलभ है, उनको देखते हुए अभी इसको हाथ में लेना ठीक नहीं है ।

विद्युतीकरण का जहां तक सम्बन्ध है मेरा निवेदन है कि सरकार ने ठीक तरीक़े से योजना नहीं बनाई । अभी जब भूपाल का कारखाना इंजन और पुर्जे तैयार नहीं कर रहा है तब आप विद्युत् करण करना चाहते हैं । अब विद्युतीकरण का और भूपाल के कारखाने का अन्योन्याश्रयी सम्बन्ध है मगर भूपाल का कारख़ाना पिछड़ रहा है और आप विद्युतीकरण में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको उसके लिए बाहर से इंजन और पुर्जे मंगाने पड़ेंगे और उस में विदेशी मुद्रा का सवाल पैदा होगा । मगर विद्युतीकरण करना आवश्यक है क्योंकि बिजली ज्यादा पैदा हो रही है उसका क्या किया जाय और कोयला जो रेलवे इतना अधिक खो रही है उसकी बचत कैसे की जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य समाप्त करें ।

श्री वाजपेयी : ठीक है मैं समाप्त किये दे रहा हूं । मगर उस विद्युतीकरण के करने के लिए इंजन और पुर्जे भी तो चाहियें । इसीलिये मैं ने कहा कि यह कोई अच्छे नियोजन का नमूना नहीं है । मैं समझता हूं कि रेलवे की जो वित्तीय स्थिति है उस वित्तीय स्थिति के सम्बन्ध में बड़ी गम्भीरता से विचार किये जाने की आवश्यकता है और रेलवे के कर्मचारियों और जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिए रेलवे मंत्रालय और विशेष कर रेलवे बोर्ड एक नये दृष्टिकोण को अपनायें, यह मेरी प्रार्थना है । धन्यवाद ।

†**श्री सम्पत** (नामक्कल) : १९५९–६० का रेलवे बजट निराशाजनक है, उस में कोई भी ऐसी बात नहीं है जिस के लिये रेलवे मंत्री के नेतृत्व की प्रसंशा की जाय ।

पिछले दो वर्षों से रेलवे को यात्रियों तथा माल से होने वाली आय, अनुमानित आय से कम हो रही है । इस संबध में रेलवे मंत्री ने अपने भाषण में इसका कारण मोटर गाड़ियों की प्रतिद्वंद्विता बताया है और कहा है कि बहुत सा माल रेलवे से ले जाये जाने के स्थान में मोटर गाड़ियों से ले जाया जाने लगा है । इस के लिये उन्होंने भविष्य में भी सावधान रहने का संकेत किया है । वस्तुतः हमें आशंकित होने की अपेक्षा अपनी त्रुटियों पर ध्यान देना चाहिये । रेलों पर सरकार का एकाधिकार है इतने पर भी इस से अनुमानित आय न होना उसकी अकुशलता का द्योतक है इसका कारण वास्तव में यह है कि रेलवे प्रयोक्ता रेलवे के कार्य से असन्तुष्ट रहते हैं । उदाहरणार्थ

†मूल अंग्रेजी में

रेल से माल भेजने वाले व्यापारी को इस बात का विश्वास नहीं रहता कि माल शीघ्र सुरक्षित और यथास्थान पहुंच जायेगा। इसी प्रकार यात्री भी अब गाड़ी में यात्रा करने के स्थान में बसों से यात्रा करना पसन्द करने लगे हैं। क्योंकि रेलें उनकी सुरक्षा तथा आराम की ओर ध्यान नहीं देती है। जब कि बसों में ऊंचे स्तर की कार्यकुशलता तथा संतोष प्राप्त होता है।

मैं माननीय मंत्री को यह बता देना चाहता हूं कि दक्षिण के प्रति पक्षपात की नीति अपनायी जा रही है। व्यवसायिक परीक्षा तालिका की सिफारिशें अन्य खंडों में क्रियान्वित की गई, लेकिन दक्षिण में इन सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया गया। ऊंचे वेतन क्रम के दक्ष तथा अदक्ष कर्मचारियों की संख्या दक्षिण रेलवे खंड में उत्तर के अन्य खण्डों की अपेक्षा बहुत कम है इसके साथ ही वहां के तृतीय तथा चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों में यह आशंका व्याप्त हो रही है कि मितव्ययिता करने के कारण उनकी छंटनी हो सकती है। सरकार को ध्यान रखना चाहिये कि छंटनी से कोई मितव्ययिता नहीं हो सकती है अपितु इंजीनियरिंग विभाग के व्यय पर यदि कुछ प्रतिबन्ध लगा दिया जाय तो अवश्य पर्याप्त बचत हो सकती है।

अब मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाता हूं कि रेलवे जनता के धन का किस प्रकार दुरुपयोग कर रही है। उज्जैन से इंदौर तक बड़ी लाइन डाली गई जिस में ४ करोड़ रुपये व्यय हुए। अब उस लाइन में रेलवे को घाटा उठाना पड़ रहा है। दो करोड़ रुपये की लागत से वीना और भोपाल के बीच की लाइन को दुहरी किया जा रहा है तथा गुना से उज्जैन तक एक नई रेलवे लाइन डाली जा रही है उदयपुर से हिम्मतनगर तक ११ करोड़ रुपये की लागत से एक १३४ मील लम्बी लाइन बिछायी जा रही हैं। बड़ी लाइन को समस्तीपुर और दरभंगा तक बढ़ाया जा रहा है जब कि वहां छोटी लाइन पहिले से ही मौजूद है। यह शायद इस लिये किया जा रहा है कि हमारे संसद-कार्य मंत्री बिना गाड़ी बदले हुए समस्तीपुर से दिल्ली तक यात्रा कर सकें। एक ओर इस प्रकार जनता के धन का अपव्यय किया जा रहा है दूसरी ओर दक्षिण में एरणाकुलम् क्विलोन लाइन को छोड़ कर किसी भी नई लाइन का निर्माण नहीं किया गया है। इस संबंध में उखाड़ी गई सलेम बंगलोर लाइन को पुनः बिछाने के सम्बन्ध में सभा में कई बार पुर जोर मांग की गई तथापि उसका कोई लाभ नहीं हुआ। यद्यपि माननीय मंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान यह कहा है कि मद्रास विलुपुरम् लाइन में बिजली से रेलें चलाने तथा मंगलौर हसन लाइन को बिछाने पर विचार किया जा रहा है तथापि निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता है कि माननीय मंत्री जी इन योजनाओं को कब पूरा करेंगे।

वस्तुतः कई महत्वपूर्ण योजनाओं यथा तिरुनवेल्ली—कुमारी अन्तरीय रेलवे लाइन, विरुध-नगर-मन मदुरई रेलवे लाइन तथा मद्रास-अरकुणम में बिजली से रेल चलाने व लाइनों को दुहरी करने की कई अन्य योजनाओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा जा रहा है। अतः मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि तिरुची से सलेम और डिंडीगल से कदूर लाइनों के निर्माण की योजनाओं पर अवश्य कार्य आरम्भ किया जाय।

†**श्री जगन्नाथ राव** (कोरापट): रेलों ने इस वर्ष बहुत अच्छा कार्य किया है। मैं उस के लिये रेलवे विभाग को बधाई देता हूं। कई क्षेत्रों में उत्पादन लक्ष्यों से अधिक बढ़ा है और रेलों द्वारा पिछले वर्ष से इस वर्ष कहीं अधिक माल ढोया गया है विदेशी मुद्रा की पर्याप्त बचत की गई है। इस वर्ष केवल २७ पर सैंट विदेशी मुद्रा व्यय हुई जिसे अगले वर्ष कम कर केवल १२ पर सैंट कर दिया गया है।

रेल गाड़ियों और मोटरों की प्रतिद्वंदिता और समायोजना के संबंध में बहुत कुछ कहा गया है तथापि समस्या इतनी सरल नहीं है जितना उसे समझा जा रहा है। अधिकांश सदस्यों ने रेलवे की

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जगन्नाथ राव]

कार्यकुशलता के अभाव को इस के लिये उत्तरदायी ठहराया है। तथापि समस्या इतने से हल नहीं होगी। जैसा कि रेलवे मंत्री ने अपने बजट के भाषण के दौरान कहा है हमारे देश में परिवहन क्षमता सीमित है अतः हमें उस के सर्वाधिक उपयोग का प्रयत्न करना चाहिये। तभी हमारी अर्थ व्यवस्था का समुचित विकास हो सकता है। अतः हमारे लिये यह आवश्यक है कि हम रेलवे की वहन क्षमता का पूरा पूरा उपभोग करें। तभी रेलवे से हमें पहिले वर्षों की तरह आय प्राप्त हो सकेगी। तथापि यह देखने में आया है कि ऊंची दर वाला माल सड़क के द्वारा ले जाया जाता है। मोटर मालिकों में यह प्रवृति बढ़ रही है कि वह ऊंची दर वाले माल की दरें कुछ कम कर देते हैं जिस से व्यापारियों को लाभ होता है अतः वह सारा माल सड़कों से भेजा जाने लगा है जब कि नीची दर वाला सस्ता माल रेलगाड़ियों से भेजा जाता है।

अतः हमें चाहिये कि हम मोटरों द्वारा २०० या उस से अधिक दूरी तक माल भेजने में प्रतिबन्ध लगा देवें। इस सम्बन्ध में समायोजना की नीति अपनानी बहुत आवश्यक है। जब तक रेल और सड़क परिवहन के बीच निश्चित समायोजन की नीति नहीं अपनायी जायेगी तब तक राष्ट्र का पूर्ण आर्थिक विकास संभव नहीं होगा।

वस्तुतः यह समस्या केवल हमारे देश में ही नहीं अपितु इंगलैंड व अमेरिका में भी विद्यमान है। इंगलैंड में किसी मोटर-गाड़ी को तब तक अनुज्ञप्ति नहीं दी जाती जब तक कि उस स्थान पर उसके द्वारा लाभ होने की आशा न हो। अमेरिका में तो यह प्रतिबन्ध और भी कड़ा है तथापि वहां इस प्रतिद्वंदिता से कई गैर सरकारी रेलों के बन्द होने की नौबत आ गई है। प्रा० गालब्रेथ ने अपने एक वक्तव्य में भारत को इस प्रतिद्वंदिता से पृथक रहने, तथा रेलवे के विकास की ओर अधिक ध्यान देने की चेतावनी दी है।

व्यक्तिगत रूप से रेलवे मंत्री बहुत अच्छे व्यक्ति हैं तथापि उनकी इस अच्छाई का लाभ रेलवे कर्मचारियों को कम ही मिलता है। मैं ने कई बार उनका ध्यान रेलवे की नियुक्ति नीति की ओर दिलाया है। १९५० में रेलवे बोर्ड ने यह नीति घोषित की थी। तृतीय वर्ग की मध्यम वेतन स्तर वाले पदों पर सीधी नियुक्तियां नहीं की जायेंगी। तथापि १९५७ में रेलवे मंत्री द्वारा घोषित नये समझौते से इन पर भी सीधी नियुक्तियां होने लगीं। साथ ही साथ लेखा परीक्षकों को इस समझौते का लाभ प्राप्त नहीं हुआ। तत्पश्चात् एक व्यक्ति वाले न्यायाधिकरण के निर्णयों को भी लागू नहीं किया गया।

अब मैं परला किमिड़ी लाइट रेलवे को लेता हूं। इस रेलवे के इंजिन और डिब्बे लग भग ५० वर्ष पुराने हो चुके हैं तथापि उनकी कोई मरम्मत नहीं होती है। इस में खतरे की जंजीर, बिजली के वल्ब, शीशे इत्यादि कुछ भी नहीं हैं और यह गाड़ी कभी समय से नहीं चलती है।

१९४६ में वेलाडिल्ला से कोटावलासा तक एक नई रेलवे लाइन बनाने के लिये सर्वेक्षण किया गया था। मेरा सुझाव यह है कि इस के स्थान पर कोरापट से रामगढ़ तक रेलवे लाइन का सर्वेक्षण किया जाये क्योंकि यह क्षेत्र दिनों दिन विकसित होता जा रहा है। वस्तुतः जब रेलवे इन दोनों लाइनों का सर्वेक्षण करेगी तो स्वयं इसी निर्णय पर पहुंचेगी कि दूसरी लाइन उस क्षेत्र के औद्योगिक विकास को देखते हुए बहुत अच्छी रहेगी।

†**श्री बहादुर सिंह** (लुधियाना—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : कुछ माननीय सदस्यों ने रेलवे प्रशासन की सिर्फ आलोचना ही की। यह ठीक है कि कुछ बातें ऐसी हैं जिनकी आलोचना हो सकती है लेकिन रेलवे प्रशासन ने कई बहुत अच्छे कार्य भी किये हैं और उनकी हमें सराहना करनी

†मूल अंग्रेजी में

ही होगी। जिन चीजों की रेलवे में आवश्यकता होती है उनका उत्पादन देश में बढ़ा है। नये प्रकार के वैगन चालू किये जा रहे हैं जो कि अधिक भार वहन कर सकेंगे। यात्रियों के लिये कुछ सुविधाओं की भी व्यवस्था की गयी है। रेलवे कर्मचारियों के कल्याण का भी ध्यान रखा गया है। मोकामा पुल के निर्माण के लिये भी रेलवे प्रशासन बधाई का पात्र है। इस से छोटी लाइन से बड़ी लाइन तक माल लाने ले जाने की काफी सुविधायें उपलब्ध होंगी।

चालू वर्ष में जो राजस्व में कमी हुई है, उस के लिए सड़क परिवहन से मुकाबले की बात पर अनावश्यक तौर पर बल दिया गया है। यातायात का ह्रास तो दोनों दिशाओं में हुआ है। रेलवे राजस्व में जो कमी हुई है उसका कारण सड़क परिवहन न होकर कुछ अन्य हालात हैं।

इस वर्ष की कुल आय में १३.१० करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। यह माल और यात्री यातायात दोनों क्षेत्रों को मिला कर है। यात्री यातायात में कमी ८.४३ करोड़ रुपये की है और माल भाड़े की आय में कमी ४.६७ करोड़ रुपये की है। यात्री आय की कमी अधिकतर तीसरे दर्जे की यात्रा में हुई है। और इसका कारण कीमतों की वृद्धि और रोजगार की स्थिति है। इसका कुछ कारण बिना टिकट यात्रा भी है। भाड़ा यातायात में जो ४.६७ रुपये की कमी हुई है, उसके बारे में मंत्रालय का कहना है कि इसका कारण औद्योगिक और कृषि उत्पादन की तेजी में कमी, और विदेशी विनिमय के निरंतर संकट के कारण आयात और निर्यात व्यापार में रुकावटें हैं। यह भी कहा गया है कि जिस अतिरिक्त यातायात का पहले अनुमान लगाया गया था उतना न हो सकने के कारण भी यह स्थिति पैदा हुई है। लोगों का ध्यान सड़क परिवहन से रेलों की ओर आकृष्ट न किया जा सका, इस से स्पष्ट होता है कि कहीं कमी अवश्य है। रेलवे द्वारा वे सुविधायें लोगों को उपलब्ध नहीं हुईं जो कि सड़क परिवहन से उन्हें प्राप्त हो जाती हैं। रेलवे यातायात कुछ धीमी गति से होता है; एक वैगन शायद ४८ मील पहुंच सकता है जब कि मोटर गाड़ी १५० मील तक सफ़र तय कर सकती है। इसके साथ ही माल इत्यादि पहुंचाने की निश्चिन्तता भी सड़क परिवहन में काफी रहती है। लोगों को घर और गोदाम में ही माल उपलब्ध हो जाता है।

एक माननीय सदस्य ने अभी कहा है कि १०० अथवा १५० मील से अधिक के सड़क परिवहन पर कुछ प्रतिबन्ध लगा दिये जायें। ऐसा किया गया तो यह बड़ी ही अनुचित बात होगी। रेलवे बहुत बड़ा उपक्रम है और उसके मुकाबले में सड़क परिवहन का संचालन छोटे छोटे लोगों द्वारा होता है। उन के रास्ते में किसी भी प्रकार की रुकावट पैदा नहीं की जानी चाहिए। यह कहना जल्दबाजी है कि यह हानिकारक मुकाबले बाजी है। मेरा सुझाव है कि इस मामले को किसी न्यायाधिकरण अथवा समिति को सौंप देना चाहिए। हम योजना काल से निकल रहे हैं अतः परिवहन के प्रश्न को अखिल भारतीय स्तर पर सोचा जाना चाहिए। यह बात तो रेलवे मंत्री महोदय ने भी कही है कि हमें सड़क परिवहन पर किसी प्रकार का दोषारोपण नहीं करना चाहिए।

अब मैं रेलवे वित्त मंत्री के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। रेलवे विकास निधि से योजना की परियोजनाओं के लिए ६२ करोड़ रुपये की आवश्यकता है। क्योंकि व्यय पर समुचित नियंत्रण नहीं रखा गया अतः विकास निधि में कोई बचत नहीं हुई। जिन परियोजनाओं को मूल रूप में इस निधि से चलाया जाना था उसके लिए भारित पूंजी से खर्च किये जाने का निश्चय करना पड़ा। रेलवे इन परियोजनाओं के लिए वित्त व्यवथा कस्रने में असमर्थ रही है।

रेलवे अभिसमय समिति ने स्पष्ट कहा है कि रेलवे को इस के लिए जो भी अग्रिम राशि दी जायेगी उसे अस्थायी कर्जे के रूप में माना जायेगा और उसे भारित पूंजी में जोड़ा नहीं जायगा जिस पर ४ प्रति शत लाभांश प्रति वर्ष दिया जाता है। और व्यापारिक विभागों से जो सामान्य ब्याज दर लिया जाता है वह ब्याज रेलवे को सामान्य राजस्व में देना होगा। इतना होने पर भी रेलवे मंत्री

[श्री बहादुर सिंह]

महोदय ने व्यय के सम्बन्ध में सचेत होने की कोई बात नहीं कही। यह ठीक है कि विकसित अर्थ-व्यवस्था में खर्च ऊपर को चढ़ जाते हैं परन्तु इसके साथ ही खर्च बहुत अधिक मात्रा में नहीं बढ़ना चाहिए। अब समय आ गया है कि कार्य कुशलता को महत्व दे कर व्यय कम किये जाने चाहिए और इस के लिए एक विशेषज्ञ समिति की स्थापना की जानी चाहिए। माननीय मंत्री महोदय ने चालन कुशलता की समस्या पर कोई बात नहीं की और गाड़ियों की गति तीव्र करने तथा डिब्बों को यार्डों में ज्यादा समय तक न रोके रखने और इसी प्रकार के अन्य उपायों से कुशलता बढ़ाने के संबंध में कोई सुझाव नहीं दिये।

रेलवे मंत्री ने अपने भाषण में बताया कि माल वाहक के रूप में रेलवे की जो जिम्मेदारी है उसके बारे में कानूनी उपबन्धों की जांच हो रही है। रेलवे भाड़े की दरों सम्बन्धी जांच समिति ने यह सिफारिश की है कि रेलवे द्वारा भाड़े की दरों को कार्यान्वित करने के एक वर्ष के अन्दर ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। परन्तु रेलवे मंत्री महोदय ने इस संबंध में जो कुछ कहा है वह बड़ा अस्पष्ट है, जिसका अर्थ यह है कि नयी भाड़े की दरों को चालू करने के पश्चात भी उसे इस दिशा में अपना दायित्व को पूरा करने के प्रति कोई चिन्ता नहीं है।

अब मैं कुछ अन्य बातों की ओर ध्यान दिलाता हूं। चंडीगढ़ होते हुए जगाधरी तक रेलवे लाइन बनाने के बारे में सरदार अजित सिंह सरहदी के सुझाव का मैं समर्थन करता हूं। चंडीगढ़ के बढ़ते हुए महत्व का हमें हमेशा ख्याल रखना चाहिए। राज्य के प्रमुख नगरों से इसका सीधा सम्बन्ध होना बड़ा आवश्यक है। चंडीगढ़ में आज काफी संख्या में लोग जाते हैं परन्तु बहुत लोगों को बसों में सफर करना पड़ता है। मंत्री महोदय ने जिस सर्वेक्षण का उल्लेख किया है वह सन्तोषजनक नहीं है। लुधियाना का औद्योगिक नगर के रूप में काफी विकास हुआ है। वहां रेलवे गेट के कारण माल लाने ले जाने, और लोगों के आने जाने में काफी कठिनाई होती है। इसके लिए सरकार को काफी अभ्यावेदन प्रस्तुत किये गये हैं और गत दिसम्बर में जब मंत्री महोदय लुधियाना पधारे थे तो नगर पालिका की ओर से भी उनकी सेवा में यह प्रार्थना की गयी थी कि एक पैदल पुल का निर्माण कर दिया जाय। संस्थाओं के प्रतिनिधियों तथा संसद् सदस्यों द्वारा भी इस सम्बन्ध में काफी निवेदन किया जा चुका है। अतः हमें आशा है कि इस पर विचार किया जायेगा। इस नगर के रेलवे स्टेशन के प्लेट फार्मों को भी चौड़ा किया जाना चाहिए। यह भी प्रयत्न करना चाहिये कि सीमेन्ट के स्लीपरों का प्रयोग हो। इसे हिंदुस्तान हाउसिंग फैक्टरी में तैयार करवाया जा सकता है। इस से हमारा काफी विदेशी विनिमय भी बच जायेगा। एक स्थान पर इसका प्रयोग कर के इसे सारे भारत में प्रचलित किया जा सकता है।

मंत्री महोदय के भाषण में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए चौकसी संगठन का उल्लेख है मैं चाहता हूं कि इन संगठनों को अधिक अधिकार दे कर इस समस्या को गम्भीरता से सुलझाना चाहिए। चौकसी संगठन को शिकायतों को आमंत्रित कर इसकी जांच करनी चाहिए। जिन लोगों के कारण अथवा जिन लोगों की जानकारी में भ्रष्टाचार चलता है उसका पता किया जाना चाहिए।

†**श्री उस्मान अली खां** (कुरनूल): गत वर्ष के कार्य के लिए हमें रेलवे मंत्रालय तथा रेलवे बोर्ड की सराहना करनी चाहिए। रेलवे उपभोक्ताओं को रेलवे की प्रगति का पूर्ण ज्ञान है, तथापि मुझे विश्वास है कि रेलवे मंत्रालय हमारी रचनात्मक आलोचना की ओर समुचित ध्यान देगा। इसी विचार से ही मैं कुछ बातें कहूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

सबसे पहले मैं मद्रास नगर से आन्ध्र प्रदेश तक के क्षेत्र के बारे में कहूंगा। इस क्षेत्र में दक्षिण रेलवे, मध्य रेलवे और दक्षिण-पूर्व की रेलें आती हैं। दक्षिणी रेलवे का मुख्य कार्यालय मद्रास में है, मध्य रेलवे का बम्बई में और दक्षिण—पूर्व रेलवे का कलकत्ता में। यह तीनों रेलें यहां हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि रेलों की कार्यकुशलता और स्थानों के मुकाबले में तीन गुणा अधिक हैं। इस सारे क्षेत्र की ओर आवश्यकता अनुसार ध्यान नहीं दिया जा रहा। आन्ध्र प्रदेश में, जो कि अभी थोड़ा ही समय हुआ एक राज्य के रूप में हमारे सामने आया, विशेष रूप से कई समस्यायें हैं। इस राज्य की राजधानी हैदराबाद है। हैदराबाद का बम्बई से तो रेल सम्बन्ध ठीक है परन्तु आन्ध्र प्रदेश के विभिन्न भाग उससे ठीक ढंग से मिले हुये नहीं। हैदराबाद और मद्रास का भी सीधा रास्ता कोई नहीं। हैदराबाद पहुंचने के लिए हर श्रेणी के लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। मद्रास से हैदराबाद तक सीधे तेज गाड़ियों के चलाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसी प्रकार मद्रास बेजवाड़ा वाल्टेयर और हैदराबाद में भी सीधी तेज गाड़ियां चलनी चाहिए। डीलक्स, जनता गाड़ी जो कि दिल्ली और मद्रास के बीच चलती है नैलौर जिले के मुख्य स्थान पर खड़ी की जानी चाहिए। यह काफी तेज गाड़ी है परन्तु इसको पूरा प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा। यह बहुत ही लोकप्रिय गाड़ी है और इसकी यात्रा काफी आरामदेह हैं, तीसरे दर्जे के यात्री इसका काफी लाभ उठा सकते हैं इसमें डिब्बों की संख्या बढ़ाई जाय और इनमें सोने की व्यवस्था की जाय। क्योंकि दो दिन की यात्रा केवल कुर्सी पर ही बैठ कर नहीं हो सकती।

संसद् के दोनों सदनों में सड़क परिवहन की काफी चर्चा हुई है। इस मामले में समन्वय की चर्चा की गयी है, परन्तु यह समन्वय केवल रेलवे के हित में ही नहीं होना चाहिए। सरकार को सभी प्रकार के परिवहनों को प्रोत्साहित करना चाहिए, लोग जिसको चाहे अपने उपयोग में लायें। देश में जो उत्पादन बढ़ाने का वातावरण है, उससे यह आशा की जा सकती है कि माल यातायात के उपलब्ध न होने की कठिनाई शीघ्र दूर हो जायेगी। सड़क परिवहन के मार्ग में कोई रुकावट पैदा करने की बात का कोई औचित्य मुझे दिखाई नहीं देता। आवश्यकता इस बात की है कि जिस प्रकार विभिन्न रेलों का परस्पर समन्वय बड़ा आवश्यक है उसी प्रकार रेल और सड़क परिवहनों का आपसी समन्वय होना चाहिए। यह बात ठीक है कि सड़क यातायात में गत वर्ष से अधिक प्रगति हुई है। परन्तु रेलवे में यात्री और भाड़े दोनो ही प्रकार की आयों में भारी कमी हुई है और निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किये जा सके। परन्तु इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि इसका उत्तरदायित्व सड़क परिवहन पर डाल कर उसके लिए रुकावटें खड़ी कर दी जायें।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि एक ओर तो स्थिति यह है कि रेलों में काफी भीड़ होती है, स्थान मिलता नहीं और रेलें चालू करने की मांग हर दिशा से आ रही है और दूसरी ओर रेलवे मंत्री कहते हैं कि मालगाड़ी के वैगनों की क्षमता फालतू पड़ी है। मेरा कहना यह है कि रेल और सड़क परिवहन में समन्वय की इतनी आवश्यकता नहीं जितनी रेलवे में खुद में है। यदि एक जगह क्षमता कुछ अधिक हो तो उसे दूसरी ओर लगा देना चाहिए प्रशासनिक समस्याओं को भी हल करना होता है। जब यात्रीक्षमता की ही इतनी अधिक आवश्यकता है तो रेलवे माल यातायात पर ही इतना ध्यान क्यों दे रही है।

श्री मं० रं० कृष्ण (करीमनगर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : रेलवे एक

बहुत बड़ा राष्ट्रीय उपक्रम है और इससे यह आशा करना कि इसमें कहीं कोई कमी नहीं हो, ठीक नहीं है। कुछ न कुछ कमियां और दोष तो रह ही जाते हैं। हमें कमियां और दोष बताने चाहिए परन्तु हमें उनकी गफलताओं के लिए मंत्री को बधाई भी देनी चाहिए ।

रेलवे प्रशासन ने श्रमिकों के कल्याण कार्य में काफी प्रगति की है और खेलों इत्यादि को भी काफी प्रोत्साहन दिया है। इससे अधिकारी वर्ग को श्रमिक वर्ग से सीधा सम्पर्क स्थापित करने का अवसर प्राप्त होता है। इसके लिए मंत्रालय बधाई का पात्र है। रेलवे की आय के सम्बन्ध में सभी पक्षों के माननीय सदस्यों ने जो आलोचना की है उसके सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि बिना टिकट यात्रा करने के रोग को समुचित ढंग से रोका जाना चाहिए और साथ ही बेकार रखे हुए माल डिब्बों के प्रयोग की व्यवस्था करनी चाहिए । इस बहाने यातायात दरों को बढ़ाने का औचित्य मेरी समझ से बाहर है ।

रेलवे की आय में कमी के कारण हैं। सड़क परिवहन की बात की गयी है। जनता उसे प्रोत्साहन इसलिए देती है कि उसमें थोड़े खर्च में तुरंत काम होता है । उसके विपरीत रेलवे से गाड़िया लेने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए समुचित प्रबन्ध किये जाने चाहिए। लोगों को सस्ती और तुरन्त सेवा उपलब्ध होनी चाहिए। ऐसा करने के लिए यदि कुछ नये हाथों में भी काम देना पड़े तो उसमें संकोच नहीं करना चाहिए। मुझे आशा है कि यह संसद भी इस प्रकार की व्यवस्था को स्वीकृति प्रदान करने में संकोच नहीं करेगी। इसके अतिरिक्त अन्य बात यह है कि सरकार निजाम साहब को दिये आश्वासन तो पूरा करना चाहती है परन्तु हैदराबाद की जनता को दिये आश्वासनों की उपेक्षा कर रही है। परन्तु यह मामला शायद गृह-कार्य मंत्रालय के अन्तर्गत आता है। निजाम राज्य रेलवे का केन्द्रीय रेलवे में विलय करते समय जो आश्वासन दिये गये थे, उनको पूरा किया जाना चाहिए । प्रमुख स्थानों को मिलाने के लिए रेलवे लाइनों का निर्माण किया जाना चाहिए ।

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मध्य रेलवे में हरिजनों के अंश का पता करने के लिए रेलवे बोर्ड ने एक विशेषाधिकारी की नियुक्ति की है। इस दिशा में समुचित कार्यवाही की जानी चाहिए। मैं इस बात पर भी जोर दूंगा कि सिकन्दराबाद में बंगलौर तक की छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदल देना चाहिए ।

†**श्री राजेन्द्र सिंह** (छपरा): मैं आपका कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : आप अपना भाषण कल जारी रखें। अब हम गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य लेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

पैंतीसवां प्रतिवेदन

†**सरदार अ० सिं० सहगल** (जंजगीर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के पैंतीसवें प्रतिवेदन से, जो २५ फरवरी, १९५९ को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के पैंतीसवें प्रतिवेदन से, जो २५ फरवरी, १९५९ को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता की दूसरी किस्त देने के बारे में संकल्प

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सभा श्री स० म० बनर्जी द्वारा १३ फरवरी, १९५९ को प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित संकल्प पर अग्रेतर चर्चा शुरू करेगी:

"इस सभा की यह राय है कि वेतन आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त होने तक ३५० रुपये मूल वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को और अंतरिम सहायता दी जाये।"

श्री नाथपाई अपना भाषण जारी करें।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** (खम्मम्): मैं अपना संशोधन संख्या ७ प्रस्तुत करता हूं। मैं चाहता हूं कि संकल्प में यह शब्द और जोड़ दिये जायें—"अनाज और अन्य वस्तुओं के ऊंचे दामों को देखते हुए।"

†**श्री नाथपाई** (राजपुर): मैं उन २० लाख सरकारी कर्मचारियों, केन्द्रीय सरकार के, की दयनीय दशा तथा उनकी स्थिति को देखते हुए सरकार से अपील करता हूं कि उन्हें अन्तरिम सहायता की दूसरी किस्त दी जाये। २७ दिसम्बर, १९५७ को अपने सरकारी ज्ञापन में वित्त मंत्रालय ने कहा था कि वेतन आयोग ने अपने १४ दिसम्बर, १९५७ के अन्तरिम प्रतिवेदन में कहा था कि १ जुलाई, १९५७ से अन्तरिम सहायता दी जाये। मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान एक महत्वपूर्ण वाक्य की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं :

"आयोग ने कहा है कि यह अन्तरिम सहायता अस्थायी रूप से होगी और तब तक दी जायेगी जब तक कि आयोग अपना अग्रेतर या अन्तिम प्रतिवेदन न दे दें।"

---

†मूल अंग्रेजी में

स्पष्ट था कि यह सहायता अस्थायी रूप से दी गयी थी और यदि आवश्यकता पड़ी तो अन्तिम प्रतिवेदन के पूर्व सहायता की दूसरी किस्त दी जायेगी।

दो बातें हैं : या तो वेतन आयोग अपना कार्य शीघ्रता से समाप्त करके अपना अन्तिम प्रतिवेदन दे दे या फिर सरकारी कर्मचारियों को सहायता की दूसरी किस्त दी जाये। हम सभी जानते हैं कि वेतन आयोग ने बहुत समय ले लिया है। मैं यह नहीं कहता कि आयोग ईमानदारी, निष्ठा तथा शीघ्रता से काम नहीं कर रहा है। साथ ही हमें आशा थी कि आयोग अपना काम जल्दी समाप्त कर लेगा। आयोग के प्रतिवेदन के प्रकाशित होने में जो विलम्ब हो रहा है उससे सरकारी कर्मचारियों को बहुत कष्ट हो रहा है।

संसार के अन्य देशों के सामने भी ऐसी स्थितियां आई हैं और वहां आयोग ने केवल ४ महीने के भीतर अपना कार्य समाप्त कर लिया है। बड़े-बड़े महत्वपूर्ण कार्य डेढ़-दो महीनों में पूरे किये गये हैं। पर हमारा वेतन आयोग बहुत अधिक समय ले रहा है। इस विलम्ब की बात को छोड़ दीजिए। अब हमारे सामने दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता यही है कि हम अन्तरिम सहायता की दूसरी किस्त दें। पहले वेतन आयोग ने एक सुझाव रखा था कि रहन-सहन के स्तर के देशनांक में यदि २० पाइंट की वृद्धि हो जाये तो सहायता ५ रुपये बढ़ा दी जाये। अन्य देशों में जैसे ब्रिटेन, आस्ट्रिया आदि तथा हमारे देश में भी श्रम, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की सहायता से उद्योगों में इस नियम का पालन किया जाता है। पर यह नियम सरकारी कर्मचारियों के संबंध में क्यों लागू नहीं किया जाता। मैं पूछता हूं कि सरकार के सामने इस नियम को मानने में क्या कठिनाई है? वित्त मंत्री ने कहा कि यदि वेतन आयोग सिफारिश करेगा, तो मैं उसे अस्वीकार नहीं करूंगा। पर हमारी तो शिकायत यह है कि आप स्वयं वेतन आयोग के सामने यह मांग क्यों नहीं रखते। मैं इस बात का उत्तर चाहता हूं।

अब मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखूंगा। डाक तार विभाग के कर्मचारी वर्ष भर में २२२८ घण्टे काम करते हैं जब कि हम लोग यहां पर कठिनता से कुल १००० घण्टे के लगभग काम करते हैं। संसाधनों तथा वित्त का बहाना करके कब तक हम बेचारे गरीब कर्मचारियों की मांगों की अवहेलना करते रहेंगे? पोस्टमैन तथा तार ले जाने वालों को कितना कठिन परिश्रम करना पड़ता है। उनकी हालत को देख कर किसका हृदय नहीं पसीज उठता। भारत में सामान्य परिवार में ५.२१ व्यक्ति माने जाते हैं। इसमें से १७ प्रतिशत परिवारों में १० या १० से अधिक सदस्य हैं। साथ ही हमारे माननीय वित्त मंत्री सन्तति निरोध का कुछ विरोध करते हैं। आप देखें ८५ प्रतिशत कर्मचारी विवाहित हैं जिसमें से ७१.६ प्रतिशत कर्मचारी २० से ३० वर्ष की आयु के हैं जिन पर आपके विभाग की कार्यकुशलता निर्भर है।

जहां तक संसाधनों का प्रश्न है, मेरा निवेदन है कि मंत्रालयों की मांगों को स्वीकार कराने के लिए माननीय मंत्री विभाग की कार्य कुशलता को अपना पक्ष मजबूत करने के लिए तर्क रूप में उपस्थित करते हैं और कहते हैं कि मांगें स्वीकार की जायें क्योंकि हमारे मंत्रालय ने बहुत अच्छा काम किया है। पर मैं पूछता हूँ कि यह अच्छा काम करने वाले कौन लोग हैं? क्या वे बड़े-बड़े पदाधिकारी हैं या दूसरी, तीसरी व चौथी श्रेणी के क्लर्क हैं? शासन के संचालन का सारा भार किनके ऊपर है? पर कितनी कठिनाइयों में ये क्लर्क अपना गुजर कर रहे हैं इसका ध्यान आप नहीं देते। ८८ प्रतिशत डाक तार कर्मचारी किराये के मकानों में रहते हैं। उनके लिए सरकारी क्वार्टर नहीं हैं। उन्हें मकान बनवाने के लिए ऋण भी नहीं दिये गये।

श्री अशोक मेहता की खाद्यान्न जांच समिति के समक्ष दिल्ली स्कूल आफ एकोनामिक्स की ओर से एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था जिसमें बताया था कि यदि १९३९ को आधार वर्ष तथा देशनांक १०० माना जाये तो वास्तविक वेतन ६७ रुपये था और १९४७ में यह वेतन केवल ४८ रु० रह गया। १९४७ में यह वेतन तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों के सम्बन्ध में ४८ रु० था और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के संबंध में २२ रु० था। १९५७ में ये आंकड़े तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों के संबंध में ३९.५० रुपये था तथा चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के संबंध में २१ रु० थे। आप देख सकते हैं कि कर्मचारियों का जीवन कितनी कठिनाइयों में है।

जब वेतन आयोग ने अन्तरिम सहायता की सिफारिश की थी कि यदि देशनांक ३८५ पर पहुंच जाता और तीन महीनों तक उसी स्तर पर रहता या बढ़ जाता तो १० रुपये और अन्तरिम सहायता देने की बात पक्की तथा नियमानुकूल थी। अब यह देशनांक ४१२ पर आ गये हैं। आप ने कुछ भी नहीं किया है। अतः इन सब बातों पर विचार करने की आवश्यकता है।

माननीय मंत्री हमें बतायेंगे कि हमारे पास संसाधन नहीं हैं। मैं बताता हूं। अभी पिछले सप्ताह में सरदार स्वर्ण सिंह ने बताया था कि टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड और इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड पर १७ करोड़ रुपये बाकी हैं। इस राशि पर वार्षिक व्याज १,२०,००,००० रु० हुआ। यदि सरकार ५ रु० अन्तरिम सहायता बढ़ा दे तो सरकार पर कुल १२ करोड़ का अतिरिक्त व्यय आयेगा। माननीय गृह मंत्री ने कहा कि असैनिक प्रशासन पर बहुत अधिक व्यय हो रहा है। पर मैं पूछता हूं कि उस अतिरिक्त व्यय में से कितना भाग सरकारी कर्मचारियों के वेतन में व्यय हो रहा है? मैं चाहता हूं कि इन बातों का स्पष्ट उत्तर दिया जाये।

वैसे तो हमारे वित्त मंत्री बहुत यथार्थवादी प्रशासक हैं पर इस मामले पर वे इस दृष्टिकोण से विचार नहीं कर रहे हैं। नियम ४ क और ४ ख के अधीन कर्मचारी चाहे बोझ में दब कर पीड़ित हों, फिर भी चूं तक नहीं कर सकते। अभी बम्बई में एक लड़की को निकाला गया जिसके संबंध में लड़कियों ने शोक मनाया पर उस पर भी प्रतिबन्ध लगाया गया। पहले सरकार ने कहा था कि वह वेतन आयोग नहीं नियुक्त कर सकती। पर जब २० लाख कर्मचारियों ने मांग की तो सरकार तुरन्त तैयार हो गयी और एक वेतन आयोग नियुक्त कर दिया गया। अतः अच्छा होगा कि माननीय मंत्री इस बात को यहीं निबटा लें कहीं ऐसा न हो कि लोगों को अन्य उपाय काम में लाना पड़े।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै): केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अन्तरीम सहायता की दूसरी किस्त देने के संबंध में श्री बनर्जी का जो संकल्प है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। मैंने इस संबंध में दो संशोधन भी दिये हैं। मेरे एक संशोधन में कहा गया है कि ५ रु० की राशि जो दी गयी है बहुत ही कम है। दूसरे संशोधन में मैंने कहा है कि वेतन आयोग के प्रतिवेदन के प्रकाशन में विलम्ब होने की संभावना है।

५ रु० की राशि के संबंध में मेरा निवेदन है कि महंगाई की वृद्धि को देखते हुये यह राशि बहुत ही कम है। दूसरी बात यह है कि जब केन्द्रीय वेतन आयोग ने न्यूनतम ५ रु० निर्धारित

† मूल अंग्रेजी में

कर दिये हैं, तो सभी मजूरी बोर्ड भी इसका अनुकरण करेंगे। अभी चीनी मजूरी बोर्ड ने अन्तरिम सहायता दी है।

[श्री बर्मन पीठासीन हुये]

अभी परसों, एक प्रश्न के उत्तर में सभा में बताया गया था कि १०० रु० या उससे कम वेतन पाने वालों को ५ परसेंट या ३ रु०, १०० रु० से २०० रु० तक वेतन पाने वालों को ४% या ५ रु०; और २०० रु० से अधिक वेतन पाने वालों को कुछ अधिक अन्तरिम सहायता दी जायेगी। वास्तव में लोगों को ३ रु० ही मिलेंगे। अतः जब ५ रु० न्यूनतम निर्धारित कर दिये गये हैं तो अन्य उद्योग भी वैसा ही करेंगे। डाक–तार विभाग १,००,००० अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी हैं। उनके संबंध में २ रु० की अन्तरिम सहायता की आज्ञा दी गयी है। हम देखते है कि चीनी के कारखानों के कर्मचारियों को ३ रु० और अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों को २ रु० अन्तरिम सहायता मिलती है।

समग्रतः मेरा कथन है कि केवल ५ रु० अन्तरिम सहायता से न्याय नहीं होगा। वेतन आयोग ने कहा था कि यदि जीवन निर्वाह के देशनांक ३८५ पाइण्ट होते तो वे १० रु० की अन्तरिम सहायता की सिफारिश करते। पर अब तो जीवन निर्वाह के देशनांक २० पाइण्ट और भी बढ़ गये हैं। यदि हम पहले वेतन आयोग द्वारा निर्धारित सूत्र को ही माने; अर्थात् प्रत्येक २५ पाइण्ट की वृद्धि पर ५ रु०, तो भी आज अन्तरिम सहायता १५ रु० हो जाती ह।

अब मैं वेतन आयोग के प्रतिवेदन के प्रकाशन की बात को लेता हूं। अभी उस दिन तारांकित प्रश्न संख्या ३११ के उत्तर में माननीय वित्त मंत्री ने बताया था कि वेतन आयोग का प्रतिवेदन जून में प्रकाशित होगा।

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: मैंने कहा था कि प्रतिवेदन जून में हमें मिल जायेगा; जून में प्रकाशित नहीं होगा।

†**श्री तंगामणि** : अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों के संबंध में मेजर राजन को एक वेतन आयोग के रूप में नियुक्त किया गया था। उनका प्रतिवेदन जुलाई, १९५८ में प्राप्त हो गया था। मैं जानना चाहता हूँ कि वह प्रतिवेदन हम लोगों तक कब आ जायेगा? हम लोगों को पता नहीं कि उन्होंने क्या सिफारिशें की हैं। यदि मंत्रालय कोई निर्णय करता है तो हमें उसके बारे में बताया जाना चाहिए।

मेरा कहना है कि प्रतिवेदन मिलने के बाद भी कर्मचारियों को उसका लाभ दो या तीन वर्ष तक मिल पायेगा। अतः मैं माननीय वित्त मंत्री से पूछता हूँ कि वेतन आयोग से प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने के बाद मंत्रालय उस पर विचार करने में कितना समय लगायेगा और सभा को प्रतिवेदन कब तक प्राप्त होगा। मैं इस बात का स्पष्ट उत्तर चाहता हूं। अन्यथा लोग यही समझेंगे कि मामले को टालने की कोशिश की जा रही है।

अब केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी वेतन आयोग के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उधर जब प्रतिवेदन के प्रकाशित होने का समय निकट आ रहा है, तो नियम ४ क और ४ ख को लागू

†मूल अंग्रेजी में

किया जा रहा है। हमारे राज्य मद्रास में इस नियम को बिना किसी विवेक के लागू किया जा रहा है। कई लोगों पर अभियोग लगाये गये हैं क्योंकि उन्होंने 'प्रदर्शन' किये थे। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि वह स्पष्ट शब्दों में बताये कि 'प्रदर्शन' का क्या अर्थ है। माननीय मंत्री ने बताया कि पहले प्रतिवेदन उन्हें मिलेगा पर माननीय मंत्री को सभा के सामने यह भी बताना चाहिए कि उनके पास आने के बाद यह प्रतिवेदन सभा के सामने कब तक आ जायेगा। और वे कितने समय में उस पर विचार कर लेंगे और अपनी सिफारिश देंगे।

श्री वाजपेयी (बलरामपुर) : सभापति महोदय, जो प्रस्ताव मेरे मित्र ने उपस्थित किया है उसमें मैंने दो संशोधन रक्खे हैं। उनके प्रस्ताव का अभिप्राय यह है कि सरकार केन्द्रीय कर्मचारियों को जिनको कि वेतन ३५० रुपये प्रति मास तक है, उन्हें दूसरी अंतरिम सहायता दे लेकिन उन्होंने जो शब्दावली रक्खी है उसका यह अर्थ नहीं होता। उन शब्दों से जो अर्थ निकलता है वह यह है कि जिनको कि तनख्वाह ३५० रुपये महीना है, उनको दूसरी अंतरिम सहायता मिलनी चाहिये। मैं उनके अभिप्राय को समझता हूं और इसीलिये मैंने उसको स्पष्ट करते हुये एक संशोधन उपस्थित किया है कि जिनका कि वेतन ३५० रुपये तक है, उससे नीचे वाले कर्मचारी भी अंतरिम सहायता की दृष्टि से शामिल किये जायें। जो पहले अंतरिम सहायता दी गई थी ५ रुपये की वह २५० रुपये प्रति मास पाने वाले कर्मचारियों तक ही सीमित थी। इस बात की आवश्यकता है कि उसका दायरा बढ़ाया जाय क्योंकि जिस गति से रुपये की कीमत गिरती जा रही है और जीवन की आवश्यक वस्तुओं के भाव बढ़ते जा रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुये ३५० रुपये प्रति मास पाने वाले कर्मचारियों तक को अन्तरिम सहायता के क्षेत्र में शामिल किया जाना चाहिये।

दूसरा संशोधन मैंने यह उपस्थित किया है कि सरकार अन्तरिम सहायता को रुपयों में देने के बजाय इस बात पर गम्भीरता से विचार करे कि क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये ऐसी दुकानों का प्रबन्ध किया जा सकता है जिन पर वह सस्ती दर पर जीवन की आवश्यक वस्तुयें प्राप्त कर सकें। अब यदि अंतरिम सहायता रुपये के रूप में दी गई और चीजों के भाव बढ़ते गये जिस तरह से कि बढ़े हैं और अन्तरिम सहायता दी गई ५ रुपये और चीजों के भाव अनापशनाप बढ़ गये तो अन्तरिम सहायता का कोई अर्थ नहीं रहता। आप दूसरी भी अन्तरिम सहायता दे दें और चीजों के भाव वृद्धि में कोई रोक न हो तो उसका भी अधिक परिणाम नहीं होगा। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने गल्ले के थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने का फैसला किया है। अब आज नहीं तो कल इसका स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि आप गल्ले का फुटकर व्यापार भी अपने हाथ में ले लें। उस समय वितरण आपको करना होगा। अब यदि आप केन्द्रीय कर्मचारियों की दृष्टि से उनको नियत दर पर उचित दर पर अनाज प्राप्त करने की सुविधा कर दें तो मैं समझता हूं कि वह आज की दृष्टि से भी ठीक होगा और भविष्य की दृष्टि से भी लाभकारी होगा।

अभी इस बात की चर्चा की गई कि दूसरी अन्तरिम सहायता देने के लिये सरकार के पास साधन कहां हैं। मैं समझता हूं कि जो सुझाव मैं दे रहा हूं उसमें सरकार को अधिक साधनों की आवश्यकता नहीं होगी।

पहले रेलवे कर्मचारियों को इस तरह सस्ती दर पर अनाज दिया जाता था। मैं मानता हूं कि उसमें कुछ गड़बड़ियां थीं मगर उन बुराइयों की विकृतियों को दूर करके इस व्यवस्था को फिर से चालू करना चाहिये।

[श्री वाजपेयी]

जहां तक अनाज के भावों में वृद्धि को रोकने का सवाल है, मुझे डर है कि यह वृद्धि रुकने वाली नहीं है क्योंकि इसका सम्बन्ध केवल कृषि और खाद्य मंत्रालय की नीति से ही नहीं है। एक दृष्टि से हमारा वित्त मंत्रालय भी उससे सीधी तरह से जुड़ा हुआ है। हम जिस ढंग की योजना बना रहे हैं और उसमें देश की अर्थ व्यवस्था के ऊपर जो आर्थिक भार डाला जा रहा है और जिसका कि परिणाम इनफ्लेशन में हो रहा है, मुद्रास्फीति में हो रहा है, उसके फलस्वरूप भाव बढ़ रहे हैं। और फिर आप विचार करें कि भाव गिरने की बात कही जा रही है। लेकिन २५ रुपये मन पर गेहूं के भाव स्थिर हो गये हैं ऐसा लगता है और आने वाले महीनों में २५ रुपये मन गेहूं के सामान्य भाव समझे जाने लगेंगे। और इधर तीसरी योजना के परामर्शदाता कह रहे हैं कि तीसरी योजना १० हजार करोड़ की बनायी जायेगी। तो फिर मुद्रास्फीति को रोका नहीं जा सकेगा और उस स्थिति में भावों पर नियंत्रण रखना बहुत कठिन होगा। अच्छा तो यह है कि सरकार अपने कर्मचारियों के लिये जीवनोपयोगी वस्तुओं का प्रबन्ध स्वयं करे और इसी दृष्टि से मैंने संशोधन उपस्थित किया है।

जहां तक पे कमीशन की रिपोर्ट का सवाल है, पे कमीशन को यह तो नहीं कहा जा सकता कि वह अपनी रिपोर्ट जल्दी दे दें। उनकी टर्म्स आफ रेफरेंस बहुत जटिल हैं और उन्हें अपनी नीति पर विचार के लिये समय चाहिये, जल्दबाजी की जाये इस मत का मैं नहीं हूं। लेकिन जून में रिपोर्ट प्राप्त होने की आशा है। फिर सरकार उस पर विचार करेगी। और इस बीच में कर्मचारियों को बढ़ती हुई महंगाई से बचाने के लिये सरकार क्या योजना कर रही है यह मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा। यदि आप दूसरी अन्तरिम सहायता नहीं देते तो आप क्या करेंगे? कर्मचारियों में उत्पन्न होने वाला असन्तोष किस तरह से दूर किया जायेगा। पंचवर्षीय योजनायें कर्मचारियों के बलबूते पर सफल हो रही हैं। वे हमारे इस शासनतंत्र के राजमहल की नींव के पत्थर हैं। महल का शिखर तो दिखाई देता है, चमक पर तो सबकी आंखें जाती हैं, पर वे जिनकी छाती पर यह इमारत खड़ी हुई है, वे छोटे छोटे कर्मचारी जो इस इमारत के नींव के पत्थर हैं उनकी दशा की ओर ध्यान देना आवश्यक है।

पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जीवनस्तर को ऊंचा उठाना है। मगर जिनकी निश्चित आय है, जिनकी फिक्सड इनकम है, और जिनमें सरकारी कर्मचारियों का वर्ग सब से बड़ा है, महंगाई के कारण उनका जीवनस्तर गिर रहा है। योजना का उद्देश्य जीवन स्तर बढ़ाना है, मगर इन लोगों का जीवन स्तर गिर रहा है। इस सम्बन्ध में सरकार क्या करेगी? योजनायें कर्मचारियों के बल पर सफल होती हैं। यदि उनमें असन्तोष बढ़ गया तो समाज विरोधी तत्व उसका लाभ उठायेंगे। आप उससे बच नहीं सकते। यह आपका कहना ठीक है कि यदि कोई धमकी दे तो उसका प्रभाव नहीं होगा, लेकिन धमकियां लोग क्यों देते हैं। सीधा कदम उठाने के लिये क्यों विवश होते हैं। अगर हम ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करें जिसमें सरकारी कर्मचारी संतोष के साथ, अपना जीवन निर्वाह करते हुये राष्ट्र के महान निर्माण कार्य के प्रति अपने उत्तरदायित्व का पालन कर सकें, तो यह हमारे लिये भी ठीक होगा और उन कर्मचारियों से भी हम अधिक कर्तव्य कर्म की अपेक्षा कर सकते हैं। इस दृष्टि से मैंने दो संशोधन उपस्थित किये हैं और मैं समझता हूं कि सरकारी कर्मचारियों को सस्ते दाम पर जीवनोपयोगी वस्तुयें देने का जो सुझाव है उसके सम्बन्ध में गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये।

पिछले साल बजट पर भाषण करते हुये मैंने एक सुझाव रखा था कि सरकार राशन बांड्स इश्यू करे सरकारी कर्मचारियों के लिये। उसमें कुछ प्राप्ति भी हो सकती है और सरकारी कर्म--

चारियों को यह विश्वास भी दिलाया जा सकता है कि बजार में जीवनोपयोगी वस्तुओं का भाव चाहे कुछ भी हो, उन्हें उचित मूल्य पर वे सब चीजें मिलती रहेंगी। उनमें सुरक्षा का भाव पैदा होगा और जो अर्थ व्यवस्था आप बनाने जा रहे हैं, जिसमें अनाज का वितरण सरकार अपने हाथ में लेने वाली है, उससे भी अधिक संगति बैठती है।

मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री महोदय इन सुझावों पर गम्भीरता से विचार करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं श्री बनर्जी के प्रस्ताव की भावना का पूर्ण समर्थन करता हूं।

श्री प्र० ना० सिंह (चन्दौली) : माननीय सभापति जी, आज सदन के सामने जो प्रस्ताव श्री बनर्जी ने पेश किया है और जो संशोधन श्री वाजपेयी जी ने पेश किया है कि ३५० रुपये तक पाने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अन्तरिम रिलीफ दिया जाये, इसके द्वारा इस सदन का ध्यान २० लाख सरकारी कर्मचारियों की समस्या के समाधान की ओर आकर्षित होने का मौका मिला है। इस प्रस्ताव के द्वारा इस ओर भी ध्यान आकर्षित किया गया है कि सैकिंड पे कमीशन की रिपोर्ट के आने के दरम्यान में जो तकलीफें और मुसीबतें सरकारी कर्मचारियों को उठानी पड़ रही हैं उनके सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की जाये।

लोगों का ऐसा खयाल था कि युद्ध के दौरान में जो चीजों के भाव बढ़ गये थे वे युद्ध के खातमे के साथ नीचे गिरेंगे। लेकिन हमने देखा कि इस सम्बन्ध में अभी तक सरकार को सफलता नहीं मिली है। हमने महसूस किया है कि जो सरकार यह कहती रही है कि हम कास्ट आफ लिविंग नहीं बढ़ने देंगे इस मामले में सरकार बिल्कुल ही असफल रही है, और हम समझते हैं कि आने वाले वर्षों में यह कास्ट आफ लिविंग गिरने नहीं जा रहा है बल्कि इसमें दिनोंदिन बढ़ोतरी होते ही जा रही है। ऐसी अवस्था में मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी हैं उनके सम्बन्ध में वह ठीक तौर से गौर करें। इस सम्बन्ध में इस बात को समझ लेना बहुत ही जरूरी है कि जब पे कमीशन ने १४ दिसम्बर, १९५७ को अन्तरिम रिलीफ दिया था उस समय कास्ट आफ लिविंग इंडेक्स ३८५ पर था यदि सन् १९३९ को बेस इअर माना जाये। यह आंकड़े हमको एकानामिक एडवाइजर के विभाग द्वारा दिये गये हैं। उन्हीं के आंकड़ों से हमको मालूम होता है कि दिसम्बर, १९५८ में यह कास्ट आफ लिविंग का इंडेक्स ४४२·७ हो गया। यह हमको अभी नहीं मालूम हुआ है कि अगर हम १९३९ को बेस इअर मान लें तो जनवरी और फरवरी १९५९ में कास्ट आफ लिविंग इंडेक्स क्या हो गया है। लेकिन जो आंकड़े १९५२–५३ को बेस मान कर एकानमिक ऐडवाइजर के यहां से इश्यू किये गये हैं उनको देखने से मालूम होता है कि १९५२-५३ को बेस मान कर अगर दिसम्बर १९५८ में कास्ट आफ लिविंग इंडेक्स ११३·३ था वह जनवरी १९५९ में ११४.७ हो गया। इसका मतलब यह है कि जो जीवन निर्वाह की चीजें हैं उनके दाम दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं।

जब पे कमीशन ने सन् १९४६ में अपनी रिपोर्ट दी थी और जिसको सरकार ने सन् १९४७ में माना था, उस रिपोर्ट में इस सिद्धान्त को साफ तौर से रख दिया गया था कि जब भी कास्ट आफ लिविंग इंडेक्स में २० प्वाइंट बढ़ें तो पांच रुपये की बढ़ोतरी अन्तरिम रिलीफ के रूप में डिअरनेस अलाउंस में होनी चाहिये। लेकिन हम देखते हैं कि सरकार किसी उसूल से नहीं बंधना चाहती सरकार चाहती है कि बिना उसूलों के किसी मामले को चलाते रहें। हम देखते हैं कि सन् १९५७ में जब इन्टरिम रिलीफ दिया गया उस वक्त कास्ट आफ लिविंग इंडेक्स ३८५ और दिसम्बर, १९५८ में ४४२ से भी ऊपर है अर्थात् ५७ प्वाइंट्स की बढ़ोतरी हुई है। इसका मतलब

[श्री प्र० ना० सिंह]

यह है कि पे कमीशन द्वारा निर्धारित सिद्धान्त के अनुसार १५ से २० रुपये तक की बढ़ोतरी सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में होनी चाहिये। लेकिन हमारे माननीय वित्त मंत्री कहते हैं कि पे कमीशन की रिपोर्ट आने तक वे इस प्रश्न पर गौर करने को तैयार नहीं हैं। मैं आपके द्वारा उन तक और उनके द्वारा उनको सरकार तक इस बात को पहुंचाना चाहता हूं कि जब सन् १९५७ में अन्तरिम रिलीफ दिया गया था उस वक्त से कास्ट आफ लिविंग इंडेक्स में बड़ा फर्क पड़ गया है। मैं जानता हूं कि उनका दिल बहुत मजबूत हो चुका है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वे उन कर्मचारियों की दशा पर विचार करें जो कि एक माननीय सदस्य के शब्दों में इस बड़े महल के नींव के रोड़े हैं और जिन्होंने इस देश को बनाने के लिये अपनी जिन्दगी को लगा रखा है। इस सम्बन्ध में माननीय वित्त मंत्री जी की तरफ से यह सवाल उठाया जायेगा कि हमारे पास साधन नहीं हैं और साधनों की कमी के कारण यह मुमकिन नहीं है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि आज हमारा बजट ग्यारह और बारह अरब के बीच में है और अगर उसमें बीस लाख सेंट्रल एम्पलाइज़ की तरफ़ ध्यान नहीं दिया जाता है, जिन में से चौदह, पंद्रह लाख वे लोग हैं, जिनकी बेसिक सैलेरी ५१ रुपये से १०१ रुपये तक है, तो यह उचित बात नहीं है। हमारा १९५८-५९ का बजट ग्यारह, बारह अरब का है। आगे आने वाला बजट शायद ज्यादा हो सकता है। हम नहीं जानते कि सरकार और टैक्स लगाने की सोच रही है या नहीं। लेकिन हो सकता है कि टैक्स लगाने के बाद बजट और बढ़े। जो भी हो, इस वक्त जो ग्यारह बारह अरब का बजट है, अगर उसमें इन एम्पलाइज़ के लिये कोई गुंजाइश नहीं है, तो मैं समझता हूं कि इस सरकार के अधीन लो-इनकम ग्रुप के एम्पलाईज़ के साथ इन्साफ़ नहीं हो रहा है।

इस बारे में एक और बात गौर करना जरूरी है। प्रश्न यह है कि इस समय उन लोगों को रीयल वेज क्या मिल रही है और इनफ्लेशन और महंगाई के वर्तमान समय में उनके जीवन के निर्वाह लायक रीयल वेज मिल रही है या नहीं। माननीय वित्त मंत्री मानेंगे कि कास्ट आफ लिविंग इंडेक्स में बड़ी वृद्धि हुई है और रुपये की कीमत बहुत गिर गई है। पिछले दिनों जब पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ वर्कर्ज़ ने हड़ताल का नोटिस दिया था, तो दूसरा पे कमीशन बिठाया गया था और उन लोगों को पांच रुपये का इन्टेरिम् रिलीफ दिया गया था। सब लोग जानते हैं कि कास्ट आफ लिविंग इंडेक्स दिन-प्रति-दिन बढ़ रहा है—वह ५५-५६ प्वाइंट के करीब बढ़ रहा है। पे कमीशन की रिपोर्ट के आने तक इन्तजार करने की बात कही जा सकती है। उस रिपोर्ट के जून में आने की बात की जाती है। हो सकता है कि और देर लगे फिर यह मामला सरकार के पास विचार के लिये जाये। इस प्रकार इसमें सालों की देर लग सकती है। माननीय वित्त मंत्री जी की सरकार की यह हालत है कि वह हर काम को टालती जाती है— इतनी देर तक टालती जाती है कि कोई भी काम निपटने न पाये। इस लिये सालों तक यह मसला टलेगा। यह बीस लाख एम्पलाईज़ का सवाल है। १९५५ में उनकी संख्या पंद्रह, सोलह लाख थी। इस बीच में दो ढाई लाख और बढ़ गये हैं, इसलिये अब वे करीब अठारह उन्नीस लाख होंगे। इतने लोगों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है।

अधिक न कह कर मैं आखिर में यह कहना चाहता हूं कि जहां तक सेंट्रल पे कमीशन की रिपोर्ट का सवाल है, माननीय वित्त मंत्री जी ने डिक्लेयर किया है कि जून के महीने में वह रिपोर्ट आ जाने की संभावना है। यदि वह रिपोर्ट जल्दी आ जाती है, तो उसको लागू करने का प्रश्न तो है ही, लेकिन जहां तक इन्टेरिम रिलीफ का प्रश्न है, माननीय मंत्री जी ने माननीय मित्र श्री नाथ पाई को उत्तर देते हुये कहा है कि अगर हम तो भी कहेंगे, तो हम कनविंसिंग तरीके से तो कहेंगे। लेकिन हम उन से यह निवेदन करना चाहते हैं कि वह जरा इधर के तर्क को भी अच्छी तरह से, जरा ठंडे

दिल से सुनें और उस पर गौर करें कि क्या ५५, ५६ प्वाइंट के इन्क्रीज के बाद भी इन्टेरिम रिलीफ देना उचित है या नहीं। फ़र्स्ट पे कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया था कि कास्ट आफ लिविंग इंडेक्स में बीस प्वाइंट के इन्क्रीज़ पर पांच रुपये बढ़ने चाहिये। और अगर कास्ट आफ लिविंग इंडेक्स में इतनी वृद्धि के बाद भी माननीय वित्त मंत्री जी उसी पत्थर दिल के बनना चाहते हैं, तो मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन इस देश को बनाने की भावना उन में भी है। और वे मानते हैं कि सैंट्रल एम्पलाईज़ इस देश को बनाने में लगे हैं। अगर उनका यही ख्याल है, तो उनको इस समस्या पर सहानुभूति से गौर करना चाहिये और अगर उनका ख्याल दूसरा है, तो बात दूसरी है। मुझे आशा है कि जब माननीय वित्त मंत्री इस सम्बन्ध में जवाब देंगे, तो हमारे सामने इस बात को अवश्य रखेंगे कि १९५७ में जो इन्टेरिम रिलीफ दिया गया, उसके बाद अब कास्ट आफ लिविंग इन्डेक्स ५६, ५७ प्वाइंट बढ़ जाने के बावजूद भी इन्टेरिम रिलीफ न देने का क्या लाजिक है—क्या तर्क है। और अगर माननीय वित्त मंत्री के पास कोई तर्क नहीं है या केवल यह तर्क है कि हमारे फाइनेंशियल रीसोर्सिज एलाऊ नहीं करते हैं, तो मैं उनकी सरकार से कहूंगा कि क्या वह सरकार इतनी असफल होना चाहती है कि इंडिपेंडेंस के बाद कास्ट आफ लिविंग इंडेक्स दिन-प्रति-दिन बढ़ता चला जाये महंगाई बढ़ती जाय और देश की समस्याओं के सम्बन्ध में सरकार की नीतियां असफल होती जायें और उसके बावजूद भी उन समस्याओं की तरफ ध्यान न दिया जाये, जिनका सीधा सम्बन्ध गरीब और साधारण लोगों से है। मैं समझता हूं कि वह उचित नहीं होगा।

आखिर में मैं फिर वित्त मंत्री से अपील करना चाहता हूं कि वह इन्टेरिम रिलीफ के मसले पर विचार करें और कम से कम सैंट्रल एम्पलाईज़ को कास्ट आफ लिविंग इंडेक्स के आधार पर इन्टेरिम रिलीफ देने की व्यवस्था करें।

†श्री आचार (मंगलौर) : मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं क्योंकि इसका अर्थ यह निकलता है कि केवल उन व्यक्तियों को ही सहायता दी जाये जिनका वेतन ३५० रुपये है जब कि संभवतः प्रस्तावक का तात्पर्य ३५० रुपये और उससे कम वेतन पाने वालों से रहा होगा।

अभी तक जो भाषण हुये हैं उनको मैं नहीं समझ सका क्योंकि वे हिन्दी में थे। इसलिये मैं इस संकल्प के समर्थन में रखे गये तर्कों को नहीं समझ सका। मेरा निवेदन है कि हमें इस प्रश्न पर बजट सम्बन्धी दृष्टिकोण से विचार करना चाहिये।

बजट के सम्बन्ध में बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है क्योंकि जरा से हेर फेर से उसका संतुलन बिगड़ जाता है। भूतलक्ष्मी प्रभाव से दी जाने वाली थोड़ी सी वृद्धि का भी बजट पर गम्भीर असर पड़ता है।

वेतन आयोग के प्रतिवेदन में कुछ विलम्ब हो गया है जो बहुत स्वाभाविक है। उसका जांच क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है इसलिये उसमें कुछ समय लगेगा ही। परन्तु हम कैसे समझ लें कि उसका निर्णय केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के पक्ष में ही होगा? (अन्तर्बाधायें) अकेले उन्हीं का वेतन कैसे बढ़ाया जा सकता है। राज्य सरकारों तथा स्थानीय निकायों के कर्मचारी भी उसकी मांग करेंगे। इसलिये इन सब पहलुओं पर विचार करना होगा। इसके अतिरिक्त थोड़ी सी सहायता की सिफारिश आयोग कर भी चुका है। अस्तु अब अधिक वृद्धि उचित नहीं है।

---

† मूल अंग्रेजी में

[श्री आचार]

हमें अपनी वित्तीय स्थिति का ध्यान रखना चाहिये। वेतन में वृद्धि करना तो आसान है परन्तु उसकी पूर्ति के लिये संसाधन जुटाना कठिन होता है। इसलिये यदि वृद्धि स्वीकार भी की जाये तो उसको भूतलक्ष्मी प्रभाव नहीं दिया जाना चाहिये क्योंकि भूतलक्ष्मी प्रभाव देने से बजट पर बहुत असर पड़ता है। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की संख्या इतनी अधिक है कि उनके वेतन में वृद्धि करने से देश की वित्त व्यवस्था का संतुलन बिगड़ जायेगा।

इस संकल्प के पक्ष में एक तर्क यह भी रखा गया है कि आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है। मैं इस कथन से सहमत नहीं हूं। चाहे किसी भी वस्तु को ले लिया जाये आजकल सरकार के प्रयत्न से दाम गिर रहे हैं। मैं अन्य भागों की स्थिति तो नहीं जानता परन्तु मेरे जिले में तो ऐसी ही स्थिति है। इसलिए मंहगाई के आधार पर वेतन वृद्धि की माँग अनुचित है।

इसके अतिरिक्त एक बात यह भी है कि इस संकल्प की शब्दावलि के अनुसार ३५० रुपये वेतन वालों के लिये मांग की गई है। ३५० रु० प्रति मास के हिसाब से वार्षिक आय ४००० रुपये होती है। एक ओर तो आप किसानों के लिये ३००० रुपये वार्षिक आय की सीमा निर्धारित करते हैं और दूसरी ओर इन ४००० रुपये वार्षिक आय वालों के लिये वेतन वृद्धि की मांग करते हैं। यह सर्वथा अनुचित है। इन सब बातों के कारण यह संकल्प स्वीकार नहीं किया जा सकता। यदि १०० रुपये पाने वालों के लिये यह मांग की गई होती तो दूसरी बात थी। परन्तु जिन शब्दों में संकल्प प्रस्तुत किया है उनसे वैसा अर्थ नहीं निकलता। देश के औसत व्यक्ति की आय कितनी है? वह तो प्रायः भूखा रहता है। उसकी आय बढ़ाना अधिक आवश्यक है। उसके बाद ही सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया जा सकता है, अन्यथा नहीं।

†श्री खाडिलकर : (अहमदनगर) : मेरे विचार से यह संकल्प बड़े अच्छे समय प्रस्तुत किया गया है जब कि बजट उपस्थित किया जाने वाला है। ऐसे समय में इस प्रश्न पर विचार करना बहुत लाभप्रद होगा क्योंकि इसमें आधारभूत आर्थिक कमजोरी पर प्रकाश डला गया है। इस समय देश के समक्ष सब से बड़ी कठिनाई महंगाई ही है। चीजों के बढ़ते हुये मूल्यों को रोकना बहुत आवश्यक है। परन्तु समुचित ध्यान न दिये जाने के कारण स्थिति पर नियंत्रण नहीं किया जा सका और ये सब कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं।

यदि हम वेतन आयोग के अन्तःकालीन प्रतिवेदन को देखें तो मालूम होगा कि आयोग ने भी वेतन वृद्धि की आवश्यकता को स्वीकार किया है। महंगाई के कारण ही सरकारी कर्मचारियों का भत्ता समय समय पर बढ़ाया जाता रहा है। परन्तु मूल्यों की वृद्धि को हम नहीं रोक सके। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसके सम्बन्ध में कुछ किया जाना चाहिये।

इस वेतन वृद्धि का एक और औचित्य भी है। श्री संथानम ने हाल में कहा है कि वर्तमान कर-व्यवस्था का सब से अधिक भार नागरिक वर्ग पर पड़ता है जिसकी निश्चित आय होती है।

यह प्रश्न ऐसा है जिसके सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय का सोचना ही पर्याप्त नहीं है। किसी स्वतंत्र अर्ध-न्यायिक निकाय द्वारा इस प्रश्न की छानबीन की जानी चाहिये। दूसरे वेतन आयोग ने अपने अन्तःकालीन प्रतिवेदन में अन्तरिम सहायता को सर्वथा उचित बताया है और कहा है कि आर्थिक स्थिति सम्बन्धी आंकड़ों को देखते हुये कर्मचारियों को ५ रुपये के बजाय १० रुपये की वृद्धि दी जानी चाहिये थी। परन्तु खेद है कि सरकार ऐसा उत्तर देती है कि उनके लिये कुछ नहीं किया जायेगा। मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस पर विचार करें क्योंकि देशनांक बहुत बढ़ गये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

एक स्वतंत्र निकाय स्थापित किया जाना चाहिये जो वेतन क्रमों के सम्बन्ध में पूरी तरह से जांच करे ।

इस सम्बन्ध में यह बात भी विचारणीय है कि जब तक कर्मचारी प्रसन्न नहीं होंगे उनका पूर्ण सहयोग सरकार को प्राप्त नहीं हो सकता। हमें अपने देश का विकास करना है। जब तक विकास के यंत्र ये कर्मचारी सन्तुष्ट नहीं होंगे वे कार्य क्या करेंगे ? इसलिये इस मांग को इस तरह नहीं ठुकराया जाना चाहिये वरन् एक स्वतंत्र निकाय को निर्दिष्ट कर देना चाहिये जो उसका निर्णय करे ।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। प्रथम वेतन आयोग ने कहा था कि जब मूल्य के स्तर में २० अंक का परिवर्तन हो जाये तो स्थिति का पुनर्विलोकन किया जाना चाहिये। इस बात को भूलना नहीं चाहिये। ऐसा करा के हमें देखना चाहिये कि अन्तरिम सहायता न्याय है अथवा नहीं। इस बात पर भी विचार किया जाना चाहिये कि वह सहायता नकद हो या अन्य किसी रूप में।

वेतन आयोग के अन्तःकालीन प्रतिवेदन में इस बात की आवश्यकता का संकेत भी है कि मूल्यों के स्तर पर निगरानी रखी जानी चाहिये। यदि ऐसा नहीं किया जायेगा तो आर्थिक स्थिति पर नियंत्रण रखना सर्वथा असंभव हो जायेगा। इन शब्दों के साथ मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह आर्थिक वास्तविकताओं का ध्यान रखें।

†श्री एन्थनी पिल्ले (मद्रास-उत्तर) : केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी यह समझने लगे हैं कि उनके साथ जबर्दस्त धोखा किया जा रहा है। सरकार समय समय पर वायदे करती रहती है पर करती कुछ भी नहीं है। इस संकल्प में केवल यह मांग की गई है कि प्रथम वेतन आयोग द्वारा निर्धारित मजूरी का स्तर बनाये रखा जाना चाहिये।

सरकार यह कहती है कि औद्योगिक प्रगति हो रही है। परन्तु उसे ऐसा कहने का क्या अधिकार है जब कि उसके कर्मचारियों का रहन सहन का स्तर गिरता जा रहा है। उसको ऊंचा उठाना चाहिये ।

वेतन आयोग के प्रतिवेदन में अंतरिम सहायता देने के आधार का अभाव नहीं है। प्रथम वेतन आयोग ने भी कहा था कि रहन सहन के देशनांक में प्रति २० अंकों की वृद्धि पर महंगाई भत्ते में ५ रुपये की वृद्धि की जानी चाहिये। दूसरे आयोग ने भी बहुत हद तक इसी सिद्धान्त का समर्थन किया है ।

यहां मैं यह बता देना चाहता हूं कि दूसरे वेतन आयोग ने इस प्रश्न पर विचार करने के लिये स्वयं देशनांकों का संकलन किया। इन आंकड़ों के अनुसार जून १९५१ में जब महंगाई भत्ते में ५ रुपये बढ़ाये गये थे और अक्टूबर १९५७ के बीच २४ अंकों की वृद्धि हुई। इसी वृद्धि के आधार पर आयोग ने महंगाई भत्ते में ५ रुपये अस्थायी तौर से बढ़ाने की सिफारिश की थी।

इस प्रकार दूसरे वेतन आयोग ने भी प्रथम आयोग द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त का समर्थन किया है। इस सिद्धान्त के आधार पर कर्मचारियों को महंगाई भत्ता १० रुपया अधिक मिलना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

इसलिये सरकार का यह कहना निरर्थक है कि जब तक वेतन आयोग का अंतिम प्रतिवेदन नहीं प्राप्त होता तब तक हमें कुछ नहीं करना चाहिये । मेरा निवेदन है कि जब दोनों आयोगों ने एक ही सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है तो सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में वृद्धि पाने का पूरा हक हो जाता है ।

मैं एक बात का संकेत और करना चाहता हूं । जब हम महंगाई भत्ते में वृद्धि की बात करते हैं तो उसका त त्पर्य होत है बढ़े हुये मूल्यों को सम तुलित करन । चूंकि गत दस वर्षों में जीवनोपयोगी वस्तुयें बहुत महंगी हो गई हैं इसलिये कर्मच रियों का जीवन बहुत दूभर हो गया है ।

हम झूठे वायदे कर के यह आशा नहीं कर सकते कि कर्मचारी ठीक तरह से कार्य करते रहेंगे । सरकार राष्ट्रीय विकास के लिये सहयोग की अपील करती है । मैं सरकार को बता देना चाहता हूं कि सरकारी कर्मचारियों में असन्तोष बढ़ता जा रहा है ऐसी स्थिति में केवल वायदों से कार्य नहीं चलेग । उनके लिये कोई ठोस कदम उठा ा जाना चाहिये ।

रेलवे के पिछले प्रतिवेदन में कहा गया है कि १९५७-५८ में १२,००० काम के घंटों की क्षति हुई । महंगाई की वृद्धि को देखते हुये और इस बात को ध्यान में रखते हुये कि उसके लिये कोई सहायता नहीं दी गई यह स्थिति सन्तोषजनक ही कही जायेगी । परन्तु इस प्रकार की स्थिति बहुत दिन तक नहीं चल सकती यदि सरकार इसी प्रकार निष्क्रिय बनी रही । सरकारी कर्मचारियों को प्रदर्शन करने से रोकने के लिये जो नियम बनाये गये हैं वह सब व्यर्थ जायेंगे और वे भी औद्योगिक श्रमिकों के साथ मिल कर अपनी मांगें पूर्ण कराने का प्रयत्न करेंगे ।

श्री मोरारजी देसाई : मैंने संकल्प के पक्ष में और संशोधनों के पक्ष में भी पेश किये गये तर्कों को बड़े गौर से सुना है । मैं मानता हूं कि मैं श्री नाथ पाई का कौशल तो नहीं दिखा सकूंगा । मैं ऐसे ढंग से उत्तर नहीं दे सकूंगा कि उससे लोगों की भावनायें जाग सकें, या उनमें उत्तेजना पैदा हो सके ।

श्री नाथ पाई ने कहा था कि वह अपने भाषण में नाटकीयता पैदा नहीं करना चाहते, लेकिन मैं तो यह समझता हूं कि उन्होंने नाटकीयता के अतिरिक्त और कुछ किया ही नहीं । यह शायद उनका स्वभाव ही है ।

मैं मानता हूं कि उन्होंने अपनी बात बड़े अच्छे ढंग से कही है । मैं यह भी नहीं कहता कि उन्होंने जो भी बातें कही हैं वे तथ्यों से मेल नहीं खात या उनमें कोई तर्क नहीं है । मैं तो अपने माननीय मित्रों से यही कहना चाहता हूं कि यदि वे पूरे देश की परिस्थिति पर वस्तुगत ढंग से विच र करें, और सरक र का विरोध दलगत भावना या लाभ के कारण ही न करना चाहें, तो मुझे विश्वास है कि वे मेरी ही बातों से सहमत होंगे, अपने भाषणों से नहीं ।

आयोग के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि उसने अपने कार्य में बड़ी देर लगाई है । मुझे इसका पूरा विश्व स है और इसका विश्व स ही मैं अपने माननीय मित्रों में पैदा करना चाहता हूं । माननीय सदस्यों ने कहा है कि आयोग ने बहुत समय लगाया है, इतना समय लगाना जरूरी नहीं था और यह भी कि इससे पहले के आयोग ने इतना समय नहीं लगाया था ।

इससे पहले के आयोग ने एक वर्ष में अपना काम पूरा कर दिया था । इस आयोग ने अभी १८ महीने तो लगा ही दिये हैं, और शायद कुछ महीने और लगेंगे । पहले आयोग ने केवल ४०० गवाहों से जिरह की थी, लेकिन इस आयोग के सामने ८०० से अधिक गवाह आये हैं ।

†**श्री नाथ पाई** : पहले आयोग को सारा कार्य स्वयं प्रारम्भ करना पड़ा था, लेकिन इस आयोग के सामने पहले आयोग का पूरा किया हुआ काम, उसकी पृष्ठ भूमि मौजूद थी। यह बड़ा भारी अन्तर है।

†**श्री मोरारजी देसाई** : माननीय सदस्य चाहे अधीरता दिखायें, पर मैं पूरे धैर्य से उनकी बातें सुनूंगा। माननीय सदस्य स्वयं ही मेरी बात सिद्ध कर रहे हैं। वह स्वयं बता रहे हैं कि इस आयोग का इतना समय क्यों लग रहा है। पहले आयोग के सामने तो कोई पृष्ठ भूमि थी ही नहीं, इसकी जांच करनी ही नहीं थी, इसलिये उन्हें अधिक समय नहीं लगा था। इस आयोग को तो कई मामलों पर विचार करना था और उसमें कुछ समय लगता ही है। इस आयोग को तो व्यवस्थित ढंग से सारी चीजें देखना है। इस आयोग को ८५० गवाहों से जिरह करनी पड़ी है। इसके अलावा सभी मंत्रालयों से भी लिखा पढ़ी करनी पड़ी है। पहले आयोग के पास ६५० ज्ञापन आये थे, और इनके पास ५,००० ज्ञापन आये हैं। पहले आयोग द्वारा जारी की गयी प्रश्नावली के ३७० उत्तर आये थे, और इनके पास ७१५ आये हैं। इस आयोग को, पहले की अपेक्षा, दो गुना काम करना पड़ा है। और अब, १९४६-४७ की तुलना में, कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ गई है। इसलिये हमें इन सभी तथ्यों को भी ध्यान में रखना चाहिये, सिर्फ राजनीतिक तर्कों को ही नहीं।

माननीय सदस्यों ने यहां जो भी तर्क दिये हैं वे राजनीतिक दृष्टिकोण से ही दिये गये हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं। लेकिन कठिनाई तो यह है कि माननीय सदस्य, मेरी भांति, धैर्य से कुछ सुनना ही नहीं चाहते। यदि वे चाहें, तो मैं बिना बोले ही बैठ सकता हूं।

यही सब कारण हैं जिनकी वजह से यह वेतन आयोग उतनी शीघ्रता से अपना प्रतिवेदन तैयार नहीं कर सका है, जितना कि हम सभी चाहते हैं। मैं भी चाहता था कि आयोग का प्रतिवेदन जितनी भी जल्दी हो सके हमें मिल जाये। लेकिन श्री पिल्ले ने तो इसे धोखाधड़ी बताया है। अब मैं उसके बारे में क्या कहूं। यही कह सकता हूं कि लोग अपने जैसा ही दूसरों को मान बैठते हैं। वरना सरकार पर ऐसा आरोप कैसे लगाया जा सकता है। लेकिन यदि ऐसे आरोप लगाये जाते हैं, तो उनका माकूल जवाब भी देना ही पड़ता है।

वेतन आयोग संभवतः जून के अन्तिम सप्ताह तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगा। मुझे इसका विश्वास है। सरकार भी इस प्रतिवेदन के उपलक्षणों पर विचार करने में अधिक समय नहीं लगायेगी।

मैं अभी ठीक-ठीक नहीं बता सकता कि कितना समय लगेगा। यदि थोड़ी भी समझदारी से देखा जाये तो स्पष्ट हो जायेगा कि सरकार जरूरत से ज्यादा वक्त नहीं लगायेगी। आयोग की अन्तरिम सिफारिश के बारे में भी सरकार ने ज्यादा समय नहीं लगाया था। सरकार ने लगभग एक ही सप्ताह में आदेश निकाल दिये थे। पहले आयोग की सिफारिशों पर विचार करने में भी सरकार ने कोई ज्यादा समय नहीं लगाया था। उसे कुल तीन महीने लगे थे। इसलिये, ऐसे किसी तर्क का क्या लाभ? मुझे विश्वास है कि वेतन आयोग अपने सम्बन्ध में कहीं गई ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देगा और अपनी दलील का आधार केवल तथ्यों को ही बनायेगा। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर, हम इस विषय में सही निष्कर्षों पर पहुंच सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

यह भी कहा गया था कि मुझे वेतन आयोग से कहना चाहिये था कि वह पूरा प्रतिवेदन देने से पहले एक दूसरा अन्तरिम प्रतिवेदन पेश कर दे। माननीय सदस्य यह भूल जाते हैं कि यह बात आयोग के निर्देश पद में शामिल है। आयोग से कहने की कोई जरूरत ही नहीं है। निर्देश-पद में उल्लिखित है :"कि आयोग अन्तरिम प्रकार की सहायता की मांगों पर विचार कर सकता है और उस सम्बन्ध में प्रतिवेदन भेज सकता है।" इसलिये आयोग जब भी चाहे प्रतिवेदन भेज सकता है। उसके लिये लिखने की कोई जरूरत नहीं। यदि मैं अन्तरिम प्रतिवेदन को ठीक नहीं समझता, तो मैं उसके लिये कैसे लिख सकता हूं ? हां, यदि आयोग ठीक समझे, तो भेज सकता है। उस पर कोई रोक नहीं है। स्थिति यही है।

†**श्री नाथ पाई** : इसीलिये तो यह संकल्प रखा गया है।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं इस संकल्प को स्वीकार नहीं करता।

†**श्री पाणिग्रही** (पुरी) : आप हमारी भावनायें आयोग तक पहुंचा सकते हैं।

†**श्री तंगामणि** : आयोग हमारे विचारों का सम्मान करेगा।

† **श्री मोरारजी देसाई** : मैं यह तो नहीं कह सकता कि आयोग यदि उनके विचारों का सम्मान करेगा तो मुझे बुरा लगेगा लेकिन हां यदि आयोग मेरे विचारों का सम्मान करे, स्वीकार करे, तो उन्हें बुरा नहीं मानना चाहिये। इस मामले में ज्यादती नहीं होनी चाहिये।

†**श्री खाडिलकर** : आयोग ने अपना पहला अन्तरिम प्रतिवेदन अपनी ही ओर से भेजा था, या सरकार के कहने पर ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : सरकार ने इस मामले में अलग से कुछ नहीं लिखा था। आम तौर से जितनी बातें कही गई थीं, उन्हीं के आधार पर आयोग ने वह अन्तरिम प्रतिवेदन भेजा था।

इसलिये यह कहना सही नहीं है कि सरकार इस मामले में उदासीन है। सरकार ने अपनी ओर से भरसक प्रयत्न किया है।

पिछली बार यह भी कहा गया था कि सरकार ने वेतन आयोग की नियुक्ति इसीलिये की थी कि २० लाख सरकारी कर्मचारी हड़ताल करने पर तुले हुए थे। पहले सरकार उस नियुक्ति के पक्ष में नहीं थी। लोग जैसा जी चाहें, सोचें। यदि लोग इसी तरह सोचते जायेंगे, तो किसी दिन इसका बुरा नतीजा उन्हें देखना पड़ेगा।

मुझे इस सम्बन्ध में सिर्फ यही कहना है। यह ख्याल भी गलत है कि इतिहास अपनी पुनरावृत्ति करता है। कभी-कभी इतिहास का अनुसरण करने की कोशिश करने वाले अपने सिर भी फोड़ लेते हैं। लेकिन मैं उस भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहता, जिसका प्रयोग कुछ माननीय सदस्यों ने किया है। सरकार वैसी भाषा का प्रयोग न तो कर सकती है और न उसे करना ही चाहिये। लेकिन सरकार को सभी चीजों का लेखा-जोखा करके, जनता की और खासकर सरकारी कर्मचारियों की, कठिनाइयां दूर करने का भरसक प्रयत्न करना चाहिये। सरकार इसे अपना कर्त्तव्य मानती है, और वह उसे निभाने का पूरा प्रयास कर रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अब इस प्रश्न के गुण–दोषों पर विचार कीजिये। माननीय सदस्यों ने इस सिलसिले में जो आंकड़े पेश किये हैं, उन्हें तो सभी जानते हैं। उनको गलत या सही कहने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मैं नहीं कहता कि वे गलत हैं। लेकिन क्या मेरे माननीय मित्रों ने इस बात पर भी विचार किया है कि कुछ माननीय सदस्य सभा में परस्पर बड़ी ही विरोधी मांगें उठाते हैं ?

सभा में कहा गया था कि इन सरकारी कर्मचारियों ने ही वह सब करके दिखाया है जिसका श्रेय सरकार को है, और इसीलिये सरकार को, अपने संसाधनों की कमी के बावजूद, उनके लिए कुछ करना चाहिये। सरकारी कर्मचारियों ने ही सरकार को श्रेय दिलाया है, इसलिये सरकार को उन्हें श्रेय देना चाहिये। ये माननीय सदस्य सरकारी कर्मचारियों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिये इस संकल्प के सिलसिले में उनके पक्ष में सभी कुछ कहते हैं। लेकिन जब वे सरकार पर चोटें करना शुरू करते हैं, तो यह कहने में जरा भी नहीं हिचकते कि इस सरकारी प्रशासन से अधिक भ्रष्ट तो कोई और है हो नहीं, इसमें अधिक कार्य क्षमता हो न तो कोई है ही नहीं।

†**एक माननीय सदस्य** : वह उच्चाधिकारियों के लिये कहा जाता है।

†**श्री मोरारजी देसाई** : यह कोई दलील नहीं है। हमेशा यही कहा गया है कि ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार है। मैं उच्चाधिकारियों का प्रश्न टाल नहीं रहा हूं। पर कहा यही गया है कि ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार नीचे के कर्मचारियों में ही अधिक हो सकता है क्योंकि नीचे के कर्मचारियों को ही सारी चीजें क्रियान्वित करनी पड़ती हैं। विलम्ब नीचे के कर्मचारियों के पास ही होता है, उच्चाधिकारियों के पास नहीं। मैं यही नहीं समझ पाता कि यदि सरकारी कर्मचारियों को भ्रष्ट बताया जाता है, तो उन्हें श्रेय कैसे दिया जा सकता है हां, कोई राजनीतिक दलील हो तो दूसरी बात है। जब मैं राजनीतिक दलील की बात कहता हूं, तो लोग सोचते हैं कि मैं यह कह रहा हूं कि लोग अपना कोई हित साधना चाहते हैं। इसका तो कोई प्रश्न नहीं है। हमारा सारा जीवन ही राजनीतिमय है हमारे जीवन में और कुछ है ही नहीं। यह सभा भी राजनीतिक कार्य ही करती है। मैं नहीं कहता कि सभा राजनीतिक कार्य नहीं करती।

मैं इस प्रश्न को टाल कहां रहा हूं ? मैं तो अपने उन मित्रों से कह रहा हूं कि हमारा पूरा जीवन ही राजनीतिमय है, जो इस प्रश्न से कतराते हैं और यह मानने में शर्म महसूस करते हैं। मुझे इस पर शर्म नहीं आती।

†**श्री एन्थनी पिल्ले** : क्या मैं यह समझूं कि यह मांग इसीलिये नहीं मानी जा रही है कि कर्मचारी भ्रष्ट और अक्षम हैं ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : जी, बिलकुल नहीं। मेरी दलील यह नहीं है, न मैं ऐसी दलील पसंद ही करता हूं। मैं तो सिर्फ यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि लोग कैसी गलत ढंग की दलीलें पेश करते हैं। मैं यह नहीं कहता कि कर्मचारी अक्षम हैं, इसलिये उनको उचित वेतन न दिया जाये। यदि कर्मचारी अक्षम हैं, तो उनको नौकरी से निकाल देना चाहिये। तब उन्हें सेवा में नहीं रखना चाहिये। यही मेरी दलील है।

†**श्री नाथ पाई** : यह बात तो मंत्रियों पर भी लागू होनी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मोरार जी देसाई:** हर एक पर। लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि यह बात संसद सदस्यों पर भी लागू होनी चाहिये, क्योंकि वह मेरे हाथ की बात नहीं है। माननीय मित्र यह भूल रहे हैं कि मैं भी एक संसद्-सदस्य हूं केवल मंत्री ही नहीं।

मैं सभी संसद्–सदस्यों को अपने बराबर ही महत्वपूर्ण समझता हूं। मैं अपने सहयोगियों से बेहतर नहीं हूं।

हो सकता है कि उनसे बुरा होऊं। मैं मानने को तैयार हूं। लेकिन मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं कि मैं उनसे अच्छा हूं। यह बिलकुल सही है, मैं मानता हूं कि अपने माननीय मित्रों के मुकाबले में बुरा ही हूं।

अब आइये, हम इस प्रश्न के गुण-दोषों पर विचार करें। सभा में कुछ इस तरह कहा जाता है कि जैसे सरकार ने इतने साल में कुछ किया ही नहीं है। चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के उल्लेख के सिलसिले में वर्ष १९३९ का उल्लेख किया गया था। १९३९ में चौथी श्रेणी के कर्मचारी को १४ रुपये प्रतिमाह मिलते थे। आज उसे दिल्ली से बाहर ७५ रुपये और दिल्ली में ८५ रुपये मिलते हैं। उसे पांच गुना मिलता है। १०० और ४२१ के देशनांकों से तुलना कर देखिये। लेकिन यह मेरा तर्क नहीं हैं। तर्कशास्त्र ही सदा पूरा जीवन नहीं होता, और न जीवन तर्कशास्त्र ही होता है। मेरा विश्वास तो यह है कि हर इंसान के रहन सहन का दर्जा, उसका मानदण्ड उचित होना चाहिये।

†**श्री नाथ पाई** : क्या आप १९३९ और १९५७ के वास्तविक वेतनों का उल्लेख कर रहे हैं?

†**श्री मोरारजी देसाई** : ये वास्तविक वेतन ही हैं।

मेरा तो यह विश्वास है कि हर इंसान अपनी रोजी कमाने के लिये जो भी काम करे, उससे उसको कम से कम इतना तो मिलना ही चाहिये कि वह ठीक ढंग से गुजर कर सके और अपना विकास कर सके। (अन्तरबाधा)।

†**सभापति महोदय** : मूल विषय से असंगत, इस प्रकार की अन्तरबाधायें उचित नहीं है। इस वाद विवाद से सिर्फ विरोधी दल को ही नहीं, पूरे देश को दिलचस्पी है।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मुझे इससे कोई शिकायत नहीं। फिर भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इससे समय बर्बाद तो होता ही है, साथ ही वाद-विवाद भी अधिक दिलचस्प नहीं बनता।

मैं कह चुका हूं मैं हर इंसान को गुजारे लायक तनखा देना चाहता हूं, २०० या २५० रुपये प्रतिमाह की गुजारे लायक तनखा देना चाहता हूं।

†**एक माननीय सदस्य** : १९९९ में।

†**श्री मोरारजी देसाई** : पता नहीं इस देश में यह कब किया जा सकेगा।

माननीय सदस्य का यह कथन ठीक है कि जब मैं यहां नहीं रहूंगा। लेकिन मेरे माननीय मित्र भी तब यहां नहीं होंगे। उन्हें भी ऐसी गलतफहमी नहीं रहनी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त० ब० विट्ठलराव** : तब कौन होगा ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : कोई और ही होगा ।

और, अब आप सरकारी कर्मचारियों के इन वेतनों की तुलना देश के कस्बों और गांवों के करोड़ों मेहनतकशों की तनखाहों से कीजिये । उनको हर दिन आठ आने, बारह आने या एक रुपया ही मिलता है . . . .

†**एक माननीय सदस्य** : आप न्यूनतम वेतन निर्धारित क्यों नहीं करते ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : उनको वह भी नहीं मिलता। उनकी तनखाहें बढ़ाने के लिये क्या किया जा सकता है ? (**अन्तरबाधायें**)

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : तब आप मंत्रियों को २,००० और ३,००० क्यों देते हैं ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : माननीय सदस्यों को पहले अपने वेतन कम करने चाहियें । तब मंत्री लोग भी अपने वेतन कम कर देंगे । लेकिन माननीय सदस्य तो दिन-दिन अपने वेतन बढ़ाने की ही मांग करते हैं . . . . . (**अन्तरबाधायें**)

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

माननीय सदस्य तो दिन-दिन अधिक सुविधाओं की मांग करते जा रहे हैं। वे अधिक वेतन चाहते हैं, और अधिक भत्ते भी । मंत्रियों से उन्हें जलन होती है ; यह कोई अच्छी बात तो नहीं है । लेकिन मैं उसमें क्या कर सकता हूं । विभिन्न व्यक्तियों को मिलने वाली उपलब्धियों में अन्तर तो रहेगा ही, इस देश में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में । किसी भी देश में सभी लोगों को समान वेतन नहीं मिलता । ऐसा न संभव है, और न उचित ही । वैसा करने से तो कोई काम ही नहीं कराया जा सकेगा । हां, लेकिन विभिन्न लोगों के वेतनों में कोई बहुत बड़ा अन्तर नहीं रहना चाहिये । और, इसी की हम कोशिश कर रहे हैं । पर यह सब एक दिन में तो नहीं किया जा सकता । इसे ठीक ढंग से करने में कई साल लग जायेंगे । हम यदि देश से गरीबी मिटाना चाहें, तो हमें पहले कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे जिनसे उत्पादन बढ़े और देश अधिक समृद्ध बन सके; बचत ज्यादा हो सके । अगर हम जितना कमायें उस सबको उड़ा डालें और उसका कुछ भाग उत्पादन बढ़ाने के काम में लगायें, तो गरीबी दूर नहीं होगी । इस सभा में एक तरफ तो यह कहा जाता है कि असैनिक प्रशासन की लागत दिन-दिन बढ़ती जा रही है, जो कम की जानी चाहिये । लेकिन यदि कभी छंटनी की जाती है, तो लोग उसके खिलाफ चीख-पुकार मचाने लगते हैं कि छंटनी किये बिना ही असैनिक प्रशासन का खर्च कम करो । यदि हम कहें कि हम अधिक वेतन देने में असमर्थ हैं, तो भी यही दलील दी जायेगी । एक-दूसरे को काटने वाली ऐसी दलीलें मेरी समझ में नहीं आतीं ।

†**श्री नाथ पाई** : आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया । असैनिक प्रशासन के बढ़े हुए व्यय का कितना भाग सरकारी कर्मचारियों को वेतनों के रूप में मिलता है ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं उसका हिसाब निकाल कर माननीय सदस्य को बता दूंगा । लेकिन माननीय सदस्य जितना सोचते हैं, उससे कहीं अधिक भाग कर्मचारियों को मिला है । लेकिन मेरी शिकायत तो यह है कि माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में अपना कोई दायित्व महसूस ही नहीं करते, और दुर्भाग्य की बात है कि उन्हें अभी कुछ समय तक वह दायित्व संभालने का अवसर भी नहीं मिलेगा; इसीलिये वह तथ्यों की जानकारी रखने में दिलचस्पी ही नहीं दिखाते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : राष्ट्रीय सरकार में तो उन्हें अवसर मिल सकता है।

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फिरोजाबाद) : वह प्रस्ताव तो ठुकरा दिया गया है।

†**श्री मोरारजी देसाई** : न कुछ ठुकराया गया है, और न स्वीकार किया गया है। स्थिति यही है। यदि स्थिति यही है, तो मैं यह कैसे कह सकता हूं कि लाखों करोड़ों जनता से अधिक पाने वाले कर्मचारियों को और अधिक वेतन न देना अन्याय है ? मुझे यही कहना पड़ता है। सैद्धान्तिक रूप से, मैं यह नहीं कह सकता कि उन्हें जरूरत से ज्यादा मिल रहा है। लेकिन व्यवहारिकता और यथार्थ को देखते हुए, मेरे लिये ऐसा करना संभव नहीं है। फिर जब वे यह आशा करते हैं कि वेतन आयोग अधिक वेतनों की ही सिफारिश करेगा, तो मैं भी आशा संजो सकता हूं कि वेतन आयोग वेतन वृद्धि की सिफारिश न करे। इसका यह भी मतलब नहीं है कि वह वृद्धि की सिफारिश करेगा ही। चीज यह है कि वेतन आयोग को सभी चीजों को देखना चाहिये—राज्यों में मिलने वाले वेतनों को, जनता को मिलने वाले वेतनों को, देश की हालत और जनता की हालत, इत्यादि को। तभी उसे अपनी सिफारिशें करनी चाहियें। हमने भी यही कहा है। हमने आयोग से यह नहीं कहा कि वह कर्मचारियों को वेतन-वृद्धि की सिफारिश करे।

†**एक माननीय सदस्य** : क्या आयोग उससे इन्कार कर सकता है ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : यदि आयोग ठीक समझे, तो वेतन-वृद्धि से इन्कार भी कर सकता है। बिलकुल कर सकता है। माननीय सदस्य क्यों मुझसे ऐसी कोई बात कहलाना चाहते हैं जिससे वेतन आयोग पर कोई प्रभाव पड़े ? मैं ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहता। मैं चाहता हूं कि वेतन आयोग अपने आप ही सोच-विचार कर, बिना किसी से प्रभावित हुए, अपनी सिफारिशें करे। आयोग को तो देश की वास्तविक दशा, सरकार के संसाधनों, हमारी अदायगी की क्षमता और परिस्थिति की आवश्यकताओं को देखकर ही अपनी सिफारशें करनी चाहियें। यही करने के लिये उनसे कहा गया है। हमें उन के रास्ते में आड़े नहीं आना चाहिये। यदि हम चाहते हैं कि आयोग अपना कार्य अच्छे ढंग से करे, तो हमें जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिये। मेरा केवल यही अनुरोध है। इसीलिये, मुझे पूरा विश्वास है कि वेतन आयोग अपना कार्य यथाशीघ्र पूरा कर लेगा और उसे कार्य-क्षमता के साथ करेगा। हमें उसके प्रतिवेदन तक रुकना चाहिये, और उसके बाद ही कोई कार्यवाही करनी चाहिये।

मैं इस संकल्प और सभी संशोधनों का विरोध करता हूं।

†**श्री स० म० बनर्जी** (कानपुर) : **मुझे माननीय मंत्री से आशा थी कि वह इस समस्या का आर्थिक विश्लेषण करेंगे परन्तु उन्होंने जो भाषण दिया उससे अत्यन्त निराशा हुई। उन्होंने कहा कि आयोग के प्रतिवेदन के उपस्थापन में कोई विलम्ब नहीं हुआ है क्योंकि उसे काफी काम करना पड़ा है। प्रथम वेतन आयोग ने यह कहा था कि उसने जिन वेतन-क्रमों की सिफारिश की है उसके आधार में यह धारणा है कि मूल्य १६० से १७५ पर दृढ़ हो जायेंगे। परन्तु यह बात गलत सिद्ध हुई क्योंकि युद्ध की समाप्ति के पश्चात् मूल्य किसी स्तर पर दृढ़ नहीं हुए।**

मुझे माननीय मंत्री के न करने से विशेष दुख नहीं हुआ क्योंकि मुझे उनसे वैसी ही आशा थी। परन्तु इसका असर यह होगा कि मिल-मालिक और उद्योगपति भी वैसी ही प्रेरणा ग्रहण करेंगे और कोई भी मजूरी बोर्ड अन्तरिम सहायता का सुझाव नहीं देगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

मेरे संकल्प को सदन के सभी सदस्यों का नैतिक समर्थन प्राप्त है इतना मैं जानता हूं चाहे वह पास न हो सके। मैं समझता था कि सरकार उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी परन्तु वैसा नहीं हुआ। यदि आयोग अपना प्रतिवेदन शीघ्र प्रस्तुत कर भी दे तो भी उसके क्रियान्वयन में विलम्ब होगा। आप कर्मचारियों से अधिक कार्य करने के लिये तो कहते हैं परन्तु उन्हें देते कुछ नहीं हैं। यह संकल्प गिर भले ही जाये पर कर्मचारियों को सरकार का दृष्टिकोण तो मालूम हो ही जायेगा। मैं अपनी इस हार को अपने ट्रेड यूनियन सम्बन्धी जीवन की सबसे बड़ी नैतिक विजय समझूंगा। एक दिन वह आयेगा जब केन्द्रीय सरकार के ही नहीं वरन् समस्त कर्मचारी एक झंडे के नीचे एकत्र होकर वेतन वृद्धि की मांग करेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहियें। उन्हें केवल स्पष्टीकरण के उद्देश्य से बोलना चाहिये।

†**श्री स० म० बनर्जी** : मैं एक बार पुनः मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस प्रश्न पर विचार करें। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को और अंतरिम सहायता देना जरूरी है। मैं सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वह संकल्प के पक्ष में मत दें।

†अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ४ मतदान के लिये रखा गया। पक्ष में ३९ और विपक्ष में ११७।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं संकल्प को मतदान के लिये रखूंगा। प्रश्न यह है :

"कि इस सभा की यह राय है कि वेतन आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त होने तक ३५० रुपये मूलन वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को और अन्तरिम सहायता दी जाये।"

सभा में मत विभाजन हुआ। पक्ष में ४० विपक्ष में ११९।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

---

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला संकल्प श्री सै० अ० मेहदी के नाम से है। माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं। इसके पश्चात्, श्री वासुदेवन् नायर।

नये औद्योगिक एककों को अनुज्ञप्ति देने की नीति के संबंध में संकल्प

†**श्री वासुदेवन् नायर** (तिरुवल्ला) : **मैं प्रस्ताव करता हूं कि :**

"इस सभा की यह राय है कि नये औद्योगिक एककों को अनुज्ञप्ति देने की नीति में इस तरह परिवर्तन किया जाये कि ऐसे एकक कम विकसित क्षेत्र में, जब तक कि ऐसे क्षेत्रों में कच्चे माल की उपलब्धता में बड़ी कठिनाइयां न हों, स्थापित करने पर जोर दिया।"

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री वासुदेवन् नायर] .

मैं आशा करता हूं कि मेरे संकल्प को सदन स्वीकार करेगा क्योंकि इसमें कोई विवादस्पद बात नहीं है। इस संकल्प की भावना को सरकार स्वीकार कर ही चुकी है। मैं समस्त सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे इस संकल्प पर दलीय दृष्टिकोण से विचार न करें।

हमारे देश में औद्योगिक विकास की स्थिति प्रत्येक क्षेत्र में भिन्न है। इस असमान विकास के कारणों का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं है। विदेशी सरकार हमारे देश के आर्थिक विकास में रुचि क्योंकर लेती। इसलिये जो कम विकसित क्षेत्र थे उनकी स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही। परन्तु स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात् इस स्थिति में सुधार होना आवश्यक है।

वास्तव में केन्द्रीय सरकार ने उद्योगों की स्थापना की जो नीति अपनाई थी वह सही थी। जब हमने पंचवर्षीय योजनायें बनाईं तो पिछड़े हुए क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया गया। दूसरी पंच-वर्षीय के पृष्ठ १८, पैरा २ में कहा गया है कि "विकास की किसी भी व्यापक योजना में अविकसित क्षेत्रों की आवश्यकताओं पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये। राष्ट्रीय विकास परिषद् ने उपलब्ध संसाधनों के अन्तर्गत देश के विभिन्न भागों में संतुलित विकास करने की सिफारिश की है। इस समस्या के अनेक हल हो सकते हैं जिन में से एक उद्योगों की स्थिति की उपयुक्त नीति भी है।"

इसी नीति का औद्योगिक नीति सम्बन्धी संकल्प में भी समर्थन किया गया है। उस संकल्प का भी कुछ अंश मैं पढ़ कर सुनाऊंगा। संकल्प में कहा गया है कि "विभिन्न क्षेत्रों के विकास के स्तरों की असमानता को धीरे-धीरे कम किया जाना चाहिये। राष्ट्रीय आयोजन का एक उद्देश्य पिछड़े हुए क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की सुविधायें उपलब्ध कराना है।"

राज्य पुनर्गठन आयोग ने भी इस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया है और कहा है कि भविष्य में हम जिन उद्योगों की स्थापना करें उनमें कम विकसित क्षेत्रों को अधिमान्यता दी जानी चाहिये इसलिये मेरा निवेदन है कि जहां तक सिद्धान्त का सम्बन्ध है इस प्रश्न पर कोई मतभेद नहीं है। अनेक अवसरों पर मंत्रियों ने भी यह कहा है कि वे इस नीति को मानते हैं और नये उद्योगों की स्थापना में कम विकसित क्षेत्रों को अधिमान्यता दी जायेगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि माननीय सदस्य अधिक समय बोलना चाहते हैं तो अगले दिन बोलें।

इसके पश्चात् लोक-सभा शनिवार, २८ फरवरी, १९५९ / ९ फाल्गुन, १८८० (शक) के सायंकाल ५ बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

शुक्रवार, २७ फरवरी, १९५९

८ फाल्गुन, १८८० (शक)

विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर . . . १७३१–५५

तारांकित प्रश्न संख्या

७२२	भौजायनिकों और काशविज्ञों का प्रशिक्षण .	१७३१–३३
७२३	हुगली के पश्चिमी किनारे पर गहरे डुबाव वाले पत्तन . .	१७३३–३४
७२४	टेलीफोन के तार बिछाना .	१७३४–३५
७२५	कृत्रिम वर्षा .	१७३५–३६
७२७	उत्तर प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण . . .	१७३६–३७
७२९	खाद्यान्न भण्डार मंत्रणा समिति . . .	१७३८–४०
७३०	मेडिकल-विद्यार्थी	१७४०–४२
७३१	धान का मूल्य	१७४२–४४
७३२	मद्रास और केरल के बीच अन्तर्राज्यीय जल विवाद . .	१७४४–४५
७३३	कोयना परियोजना	१७४५–४६
७३४	प्रोसेसिंज यूनिट के लिये लाइसेन्स . . .	१७४६–४८
७३७	जल परिवहन निगम	१७४८
७३८	रिण्डरपैस्ट	१७४८–४९
७४०	डयूडोनल और गैस्ट्रिक अल्सर	१७४९
७४३	विमान निगमों का विलय	१७४९–५१
७४४	उर्वरक	१७५१–५३
७४७	लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज	१७५४
७५१	तांबे के तार की चोरी	१७५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर १७५६–१८०२

तारांकित प्रश्न संख्या

७२६	रेलगाड़ियों का चालन समय	१७५६
७२८	वातानुकूलित गाड़ियां	१७५६

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित

प्रश्न संख्या

७३५	केन्द्रीय ट्रेक्टर संगठन	१७५६–५७
७३६	हावड़ा और बर्दवान के बीच बिजली की गाड़ी के डिब्बों को क्षति	१७५७
७३९	खाद्यान्नों का आयात	१७५७
७४१	पशुओं का उत्पादन तथा पशु उत्पादन पदार्थ	१७५८
७४२	दीघा में हवाई पट्टी	१७५८
७४५	शरावती जल विद्युत् परियोजना	१७५८–५९
७४८	गोहाटी पत्तन	१७५९
७४९	कृमिनाशक पदार्थों की मांग	१७५९
७५०	दिल्ली में दुग्ध पावडर की बिक्री	१७५९
७५२	हिन्दुस्तान शिपयार्ड में जहाजों का निर्माण	१७६०
७५४	दिल्ली में चेचक	१७६०–६१
७५५	हिन्दुस्तान शिपयार्ड में जहाजों का त्रुटिपूर्ण निर्माण	१७६१
७५६	उड़ीसा में फालतू चावल	१७६१–६२
७५७	बारसाट-बसिरहाट रेलवे	१७६२
७५८	रेलवे लाइन पर बम	१७६२–६३
७५९	मैसूर राज्य में सब मौसमों के लिये उपयुक्त बन्दरगाह	१७६३
७६०	औषधियों की सिद्ध पद्धति	१७६३
७६१	दशमिक सैल	१७६३–६४
७६२	चिकित्सा संस्थाओं में नियुक्त डाक्टरों द्वारा प्राइवेट प्रेक्टिस	१७६४

अतारांकित

प्रश्न संख्या

१०३२	अनधिकृत फेरी वाले और विक्रेता	१७६४–६५
१०३३	गांवों का विद्युतीकरण	१७६५
१०३४	गाड़ियों का देर से चलना	१७६५–६६
१०३५	काचे गुडा-मनमाड लाइन पर क्षतिग्रस्त पुल	१७६६
१०३६	पंजाब से निर्यात किया गया गेहूं	१७६६–६७
१०३७	कृषि भूमि	१७६७
१०३८	दुर्घटनायें	१७६७–६८
१०३९	पेनिसिलीन	१७६८

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)	
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१०४०	तपेदिक	१७६८–६९
१०४१	रेलवे के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का सेवा निवृत्त होना	१७६९
१०४२	स्वास्थ्य समन्वय समिति	१७६९—७२
१०४३	कच्चा बेंत	१७७२–७३
१०४४	बाजारों सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करने की व्यवस्था में सुधार की योजना	१७७३
१०४५	आयुर्वेदिक कालेज	१७७३
१०४६	चीनी की मिलें	१७७४
१०४७	राज्यों को गेहूं का आवंटन	१७७४
१०४८	राजस्थान नहर परियोजना	१७७४–७५
१०४९	मस्तिष्क कोप	१७७५–७६
१०५०	दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में कुएं	१७७६
१०५१	दिल्ली में तालाब	१७७६–७७
१०५२	डिप्थेरिया	१७७७
१०५३	कानपुर मेडिकल कालेज	१७७७–७८
१०५४	रामगंगा परियोजना	१७७८
१०५५	ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में सड़कें	१७७८
१०५६	डाक तथा तार विभाग की प्रपत्र समिति	१७७८–७९
१०५७	तुंगभद्रा उच्च स्तर नहर परियोजना	१७७९
१०५८	अन्तर्देशीय मीन क्षेत्र	१७७९–८०
१०५९	बाल कल्याण	१७८०
१०६०	पटना में जर्मन पर्यटकों के साथ कुव्यवहार	१७८१
१०६१	डाक फार्म	१७८१
१०६२	टेलीफोन एक्सचेंज	१७८२
१०६३	मनीपुर को सागवान की लकड़ी	१७८२
१०६४	मनीपुर में मलेरिया निरोधक यूनिट	१७८२
१०६५	मनीपुर में मलेरिया निरोधक यूनिट	१७८३
१०६६	लुधियाना और मिलरगंज के बीच ऊपरी पुल	१७८३
१०६७	फुलेश्वर में साइडिंग लाइन	१७८३

विषय		पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या

१०६८	त्रिपुरा में जिरातिया काश्त	१७८३-८४
१०६९	देशीय चिकित्सा गवेषणा संस्था, जामनगर	१७८४
१०७०	बिना टिकट के एक यात्री का बुरा बर्ताव	१७८४-८५
१०७१	हिमाचल प्रदेश में बी० सी० जी० के टीके	१७८५
१०७२	हिमाचल प्रदेश में कुष्ठ केन्द्र	१७८५
१०७३	नोगली खड्ड (हिमाचल प्रदेश) की विद्युत परियोजना	१७८५-८६
१०७४	फलों के पौधे देना	१७८६
१०७५	हिमाचल प्रदेश में बागीचों का विकास	१७८७
१०७६	हिमाचल प्रदेश के काश्तकार	१७८७
१०७७	हिमाचल प्रदेश में सहकारी बिक्री समितियां	१७८७-८८
१०७८	हिमाचल प्रदेश में बाल (धूम्रपान पर रोक) एक्ट	१७८८
१०७९	हिमाचल प्रदेश में ट्राउट फार्म	१७८९
१०८०	हिमाचल प्रदेश में पशु-पालन	१७८९
१०८१	उड़ीसा से चावल की वसूली	१७८९
१०८२	रबी आन्दोलन	१७८९-९०
१०८३	केरल में छोटे पत्तनों का विकास	१७९०
१०८४	मद्रास-मंगलौर लाइन के केरल सेक्शन पर यात्रियों के लिये सुख सुविधायें	१७९०-९१
१०८५	मालाबार-कोचीन एक्सप्रैस	१७९१
१०८६	अमरीकी गुब्बारा	१७९२
१०८७	इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन	१७९२
१०८८	रेल परीक्षक (ट्रेन एग्जामिनर)	१७९३
१०८९	उत्तर रेलवे में भ्रष्टाचार के मामले	१७९३
१०९०	राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी	१७९३
१०९१	राज्य विद्युत बोर्ड	१७९४
१०९२	अनुसूचित जाति के लोगों की पानी पिलाने वालों के रूप में नियुक्ति	१७९४
१०९३	रेलवे स्टेशनों पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों द्वारा भोजन व्यवस्था	१७९४-९५
१०९४	मछली पकड़ने के जाल बनाने का संयंत्र	१७९५

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

अतरांकित
प्रश्न संख्या

१०९५	मध्य रेलवे पर लाइसेंस प्राप्त पोर्टर . . .	१७९५--९६
१०९६	केन्द्रीय सुपारी समिति के लिये फार्म आफिस और फील्ड प्रयोगशाला का निर्माण	१७९६
१०९७	तपेदिक पर नियंत्रण	१७९६
१०९८	छोटे सिंचाई कार्यों के लिये ऋण . . .	१७९६--९७
१०९९	भुवनेश्वर में विश्राम गृह . . .	१७९७
११००	डाक बीमा	१७९७
११०१	रेलवे क्वार्टर	१७९७--९८
११०२	भारत के लिये पश्चिम जर्मनी में बनाये गये जहाज . .	१७९८
११०३	गुड़गांव जिले के लिये भाखड़ा का पानी . .	१७९८--९९
११०४	आसाम में नाली योजना . .	१७९९
११०५	असैनिक उड्डयन विभाग के अराजपत्रित कर्मचारी	१७९९
११०६	आसाम में छोटे सिंचाई संभाव्य संसाधन . .	१७९९--१८००
११०७	आंग्ल भारतीयों के लिये पदों का रक्षण . .	१८००
११०८	कानपुर लोको वर्कशाप में भिड़न्त . . .	१८००
११०९	बम्बई में छोटी सिंचाई योजनायें . . .	१८०१
१११०	माल-डिब्बे	१८०१
११११	सिंचाई और विद्युत् परियोजनाओं की फालतू मशीनरी .	१८०१--०२
१११३	पूर्वोत्तर रेलवे पर लाइनों का सर्वेक्षण . .	१८०२

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . १८०२--०३

निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखे गये :--

(१) मोटरगाड़ी अधिनियम १९३९ की धारा १३३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत त्रिपुरा मोटरगाड़ी नियम, १९५४ में कुछ संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :--

(एक) दिनांक ८ नवम्बर, १९५८ की संख्या एफ ४(७०)/ एम० वी०/५८ ।

(दो) दिनांक १३ दिसम्बर, १९५८ की संख्या एम० वी०/३-१२३ ५८ ।

विषय पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—(क्रमशः)

(तीन) दिनांक १० जनवरी, १९५९ की दो अधिसूचनायें संख्या एफ० वी० (१)—एम० वी०/५७ ।

(२) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक १६ फरवरी, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या २०१ ।

(दो) चावल और धान (आसाम) दूसरा मूल्य नियंत्रण आदेश, १९५८ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २१ फरवरी, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या २१३ ।

(तीन) उत्तर प्रदेश धान (यातायात पर प्रतिबन्ध) आदेश, १९५८ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १८ फरवरी, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या २१८ ।

विधेयक पर राय १८०३

श्री रघुबीर सहाय ने दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक पर, जिसे ३१ दिसम्बर, १९५८ तक उस पर राय जानने के लिये परिचालित किया गया था, रायों के पत्र संख्या २ और ३ की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखी ।

राज्य-सभा से सन्देश १८०३

सचिव ने राज्य-सभा से यह सन्देश प्राप्त होने की सूचना दी कि राज्य-सभा ने अपनी १९ फरवरी, १९५९ की बैठक में लागत तथा निर्माण लेखापाल विधेयक, १९५९ को पारित कर दिया है ।

राज्य-सभा द्वारा पास किया गया विधेयक—सभा-पटल पर रखा गया १८०३

सचिव ने लागत तथा निर्माण लेखापाल विधेयक, १९५९ की प्रति, राज्य-सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, सभा-पटल पर रखी ।

प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित . १८०३

पैंतीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन स्वीकृत १८०३

बारहवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना १८०४

श्री झूलन सिंह ने गण्डक परियोजना के सम्बन्ध में बिहार के सिंचाई मंत्री के वक्तव्य की ओर, जो २४ फरवरी, १९५९ को समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था, सिंचाई और विद्युत् मंत्री का ध्यान दिलाया ।

विषय	पृष्ठ
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना––(क्रमशः)	
सिंचाई और विद्युत् मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम) ने उस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।	
रेलवे आयव्ययक––१९५९-६० . . .	१८०५––२२
रेलवे आयव्ययक १९५९-६० पर सामान्य चर्चा जारी रही । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।	
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन स्वीकृत	१८२३
पैतीसवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ ।	
गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प––अस्वीकृत . . .	१८२३––४१
केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता की दूसरी किस्त देने के बारे में श्री स० म० बनर्जी के संकल्प पर चर्चा समाप्त हुई । संकल्प अस्वीकृत हुआ ।	
गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प––विचाराधीन . . .	१८४१-४२
श्री वासुदेवन नायर ने नये औद्योगिक एककों को अनुज्ञप्ति देने के बारे में संकल्प प्रस्तुत किया । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।	
शनिवार, २८ फरवरी, १९५९/९ फाल्गुन, १८८० (शक) के लिये कार्यावलि––	
सामान्य आयव्ययक १९५९–६० का उपस्थापन और वित्त विधेयक का पुरःस्थापन ।	